



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का


प्रतिवेदन

संघ सरकार

1995 की संख्या 19 (वाणिज्यिक)

आर्थिक उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में  
पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण

•CAG  
SI-7232R  
NS;1





भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का  
प्रतिवेदन

संघ सरकार  
1995 की संख्या 19 (वाणिज्यिक)


आर्थिक उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में  
पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण

Mr. M. Govt. Pimpri Chinchwad  
MC 95131 (R)  
1319196

CPA  
351.7232 R  
NS;)


## विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	प्राक्कथन	i
	विहंगावलोकन	iii
1.	प्रस्तावना	1
2.	पेट्रोलियम की मूल्य निर्धारण नीति	6
3.	कच्चे तेल का मूल्य निर्धारण	11
4.	परिष्करण लागत और संबंधित मामले	15
5.	मार्केटिंग और वितरण	28
6.	पूँजी पर प्रतिफल	34
7.	उत्पाद बिक्री मूल्य	37
8.	तेल उद्योग पूल लेखे	44
9.	उदारीकरण और पेट्रोलियम उद्योग	53
	अनुबन्ध	64
	प्रयुक्त संकेताक्षरों की सूची	72



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 1995 की संख्या 1 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि विभाग द्वारा की गई समीक्षा के आधार पर सरकार को पृथक-पृथक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं।

तेल समन्वय समिति जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य कर रही है, द्वारा संचालित पेट्रोलियम उत्पादों और तेल उद्योग पूल लेखाओं के लिए विद्यमान मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समीक्षा की गई थीं और उसके परिणाम इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं। समीक्षा में आर्थिक उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में पेट्रोलियम क्षेत्र में हाल के विकास और तेल उद्योग पूल लेखाओं पर उनके प्रभाव को शामिल किया गया है।



## I. प्रस्तावना

पेट्रोलियम उत्पादों की भारत में खपत 1973-74 में 22.35 मिलियन टन से बढ़कर 1993-94 में 62.3 मिलियन टन हो गई। भारत उन देशों में से एक है जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि की दर उच्चतम है। इसकी पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 2003-04 तक 107.9 मिलियन टन तक और 2010 तक 150 मिलियन टन तक बढ़ जाने की आशा है।

(पैरा 1.1.0 व 1.1.1)

देश का कच्चे तेल का देशज उत्पादन तथा परिष्करण क्षमता पेट्रोलियम उत्पादों के लिए समग्र मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पूर्ति और मांग के बीच अन्तर बढ़ता जा रहा है और उसे आयात द्वारा पूरा किया जाता है। वर्ष 1993-94 का निवल तेल आयात बिल 16,221 करोड़ रु. था।

(पैरा 1.1.4 व 1.1.5)

कच्चे तेल का उत्पादन/आयात, इसका परिष्करण और पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन (सिवाय कुछ सीमा तक स्नेहक के) हाल तक निर्देशित कीमत पर केवल सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए जाते थे। तथापि, गत दो वर्षों से पेट्रोलियम क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है। तेल क्षेत्रों को निजी क्षेत्र की विदेशी/भारतीय कम्पनियों का लाभ उठाने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। निजी क्षेत्र को शोधनशालाएं स्थापित करने की अनुमति दी गई है। कई उत्पादों के आयात को डिकेनालाइज किया गया है और मुक्त मूल्य निर्धारण के अन्तर्गत मिट्टी के तेल और एल पी जी का समानान्तर विपणन निजी क्षेत्रों के लिए अनुमत किया गया है। ये परिवर्तन और पेट्रोलियम उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में परिवर्तन का वितरण और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन तथा सार्वजनिक क्षेत्र के पेट्रोलियम उत्पादन, परिष्करण और विपणन कम्पनियों के निष्पादन पर परिणामी प्रभाव के साथ निर्देशित मूल्य प्रक्रिया पर सरकार की नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

(पैरा 1.2.0)

यह अध्ययन पेट्रोलियम क्षेत्र में हाल के विकासों के परिप्रेक्ष्य में विद्यमान तेल मूल्य निर्धारण व्यवस्था जैसे "निर्देशित मूल्य प्रक्रिया" (नि. मू. प्र.) की समीक्षा है।

(पैरा 1.3.0)

## II. पेट्रोलियम की मूल्य निर्धारण नीति

1974 तक आयात समानता वह आधार था जिस पर पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य तय किए जाते थे। उत्पाद मूल्यों में कच्चे तेल के मूल्य निर्धारण के प्रयोजन के लिए कच्चे तेल के देशज और आयातित मूल्य का

पूर्लिंग मार्च 1974 से लागू किया गया था। तेल मूल्य समिति 1976 की सिफारिशों को स्वीकार करने के साथ शोधन शालाओं का अवधारण मार्जिन और विपणन कम्पनियों का प्रस्ताव किया गया था। तेल लागत समीक्षा समिति (ते.ला.स.स.) 1984 की सिफारिशों के परिणामस्वरूप कुछ और परिवर्तन किए गए थे। यद्यपि भारत सरकार ने 1989 में तेल मूल्य समीक्षा समिति का गठन किया परन्तु इसकी सिफारिशों (1991) को अभी तक (सितम्बर 1995) सरकार द्वारा नहीं स्वीकार किया गया है। इस प्रकार आज भी पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य नीति का ढांचा ते.ला.स.स. की सिफारिशों के आधार पर आशोधनों के साथ तेल मूल्य समिति की सिफारिशों पर बनाया गया था।

(पैरा 2.1.0)

बी. पी. सी. सामान्य नेपथ्य से स्पेशल कट नैफ्था का निष्कर्षण करता है और बाजार अवधारित मूल्य पर निजी क्षेत्र की कम्पनियों को उसकी आपूर्ति करता है। स्पेशल कट नैफ्था के निष्कर्षण के परिणामस्वरूप एच. एस. डी. की उत्पादन हानि होती है जिसका आयात उच्च लागत पर किया जाता है जो नेपथ्य की निर्देशित अन्तरण मूल्य की अपेक्षा उच्चतर होता है। अक्टूबर 1991 से दिसम्बर 1994 तक बी. पी. सी. द्वारा बेचे गए 680216 टन स्पेशल कट नैफ्था पर पूल लेखे द्वारा अवशोषित उत्पादन हानि का मूल्य 20.81 करोड़ रु. बनता था।

(पैरा 2.3.2 और 2.3.3)

### III. कच्चे तेल का मूल्य निर्धारण

जुलाई 1981 में कच्चे तेल के देशज उत्पादकों को प्रदत्त मूल्य प्रति टन 1021 रु. तय किया गया था। सितम्बर 1992 तक जब यह प्रतिटन 1506 रु. तक और आगे अप्रैल 1993 में प्रतिटन 1741 रु. तक बढ़ा दिया गया था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(पैरा 3.1.1)

तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम और ओ. आई. एल. दोनों के लिए प्रतिटन 1741 रु. पर कच्चे तेल के लिए समरूप मूल्य नियतन उत्पादन की लागत के लिए तेल उत्पादन कम्पनियों का क्षतिपूर्ति रूपी कथित उद्देश्य और नियोजित पूँजी पर कर के बाद 15 प्रतिशत का प्रतिफल पूरा नहीं हुआ क्योंकि उत्पादन लागत और उनके द्वारा नियोजित पूँजी भिन्न थी।

(पैरा 3.1.3)

1986 में शोधनशालाओं द्वारा प्रदत्त कच्चे तेल का मूल्य एक रूप से प्रतिटन 1700 रु. तय किया गया था। यह कच्चे तेल की देशज और आयातित तत्कालीन कीमतों और उनकी संबंधित प्रमात्रा के आधार पर

जहाज पर्यन्त निःशुल्क पूलित मूल्य था। इसमें संशोधन नहीं किया गया है। जहाज पर्यन्त निःशुल्क पूलित मूल्य में संशोधन न करने से परिष्करण कम्पनियों की कार्यवालन पूँजी अपेक्षाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

(पैरा 3.2.0 व 3.2.1)

सरकार देशज कच्चे तेल पर तेल विकास उपकर लगा रही है। उपकर में आवधिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार से संग्रहीत उपकर तेल उद्योग के विकास में उपयोग के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड (ते.उ.वि.बो.) को दिए जाते हैं। जबकि 1994-95 तक संग्रहीत उपकर 23,228.50 करोड़ रु. था परन्तु उस समय तक तेल उद्योग विकास बोर्ड को दी गई राशि केवल 902.40 करोड़ रु. थी। वास्तव में 31 मार्च 1995 को समाप्त गत तीन वर्षों के दौरान ते.उ.वि.बो. की कोई निधि अन्तरित नहीं की गई थी। उपकर से अर्जित निधि का उस मूल उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है जिसके लिए यह लगाया गया था।

(पैरा 3.3.1 से 3.3.5)

#### IV. परिष्करण लागत और संबंधित मामले

प्रत्येक शोधन शाला की मानक थोपुट और मानक उत्पाद प्रतिमान तय करना महत्वपूर्ण है क्योंकि शोधनशालाएं थोपुट के इस स्तर पर उठाई गई लागतों के लिए और निवेशित पूँजी के लिए पूर्ण क्षतिपूर्ति प्राप्त करती है। कोई शोधनशाला जब मानक थोपुट से कम संसाधन करती है तो हानि होने की संभावना होती है और मानक थोपुट की अपेक्षा अधिक संसाधन करने वाली शोधनशाला को अतिरिक्त मार्जिन प्राप्त होता है। 1990-91 से 1993-94 के दौरान अधिकांश शोधनशालाओं के संबंध में वास्तविक थोपुट मानक थोपुट से अधिक था।

(पैरा 4.2.4. से 4.2.6.)

एच पी सी बम्बई, बी पी सी बम्बई और आई ओ सी मधुरा शोधनशालाओं का तुलनात्मक रूप से कम स्तर पर मानक थोपुट तय करने के परिणामस्वरूप केवल इन कम्पनियों को 1992-93 में 2937.82 लाख रु. का अतिरिक्त मार्जिन हुआ।

(पैरा 4.2.7 से 4.2.11)

कुछ कच्चे तेल का ईधन के रूप में खपत होती है और परिष्करण प्रक्रिया में उसकी हानि होती है। शोधनशालाओं में ईधन के और हानि के लिए नियत सीमा सामान्यतः अधिक है यहां तक कि वास्तविक हानि से उच्चतर है। इस प्रकार ईधन और हानि की उच्चतर प्रतिशतता के प्रति कोई निवारक नहीं है।

(पैरा 4.3.2 से 4.3.6)

शोधनशालाएं जिनके पास एल पी जी सिलेंडरों को भरने की सुविधा है अतिरिक्त भरण के लिए प्रोत्साहन के बावजूद सुविधा का पूर्णक्षमता के साथ उपयोग नहीं कर रही थीं क्योंकि वे बल्क आपूर्ति बढ़ाकर

और सिलेंडरों की आपूर्ति कम करके अधिक लाभ उठा सकते हैं। वह इस कारण से है कि विद्यमान मूल्य क्रियाविधि के अन्तर्गत शोधनशाला अपनी समस्त लागतों, जिनमें से कुछ के प्रति व्यय भी नहीं हुआ है, के लिए सिलेंडर भरण हेतु एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लाट को संचालित किए बिना भी प्रतिपूर्ति प्राप्त कर लेती है।

(पैरा 4.5.1 से 4.5.9)

#### V. विपणन और वितरण

विपणन कम्पनियों की अवधारण परिकल्पना के अन्तर्गत अपनी विपणन लागतों, स्टाक हानियों और पूँजी पर प्रतिफल के लिए क्षतिपूर्ति की जाती है। विपणन लागतों की कुछ चुनी गई मदों के विश्लेषण से पता चलता है कि वेतन और मजदूरी तथा ऊपरी खर्च व्यय के मुख्य भाग हैं। विभिन्न विपणन क्रियाकलापों के लिए जनशक्ति अपेक्षाओं का प्रतिमान विकसित नहीं किया गया है। प्रतिमान के संदर्भ में विपणन मार्जिन नियत नहीं किए गए हैं। विपणन लागतों की क्षतिपूर्ति के लिए विद्यमान अवधारण परिकल्पना में लागत की कमी के प्रयास में कोई प्रोत्साहन नहीं है।

(पैरा 5.1.3 से 5.1.7)

विपणन कम्पनियों को उतना पेट्रोलियम उत्पाद बेचने के लिए अनुमत किया जाता है जितना सेल्स प्लान इंटाइटेलमेट (एस.पी.ई) द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जाता है। एस.पी.ई. की वर्तमान स्कीम सभी विपणन कम्पनियों के लिए समरूप वृद्धि अनुमत करती है। अपनी एस पी ई पार करने वाली कम्पनी को घाटेवाली कम्पनियों के लिए अपने विपणन मार्जिन का एक भाग अन्वर्धित करना पड़ता है। एस.पी.ई. अपने विद्यमान रूप में विपणन पहल का निषेध करता है।

(पैरा 5.2.0 से 5.2.4)

#### VI. पूँजी पर प्रतिफल

पूँजी पर प्रतिफल के लिए क्षतिपूर्ति की विद्यमान स्कीम के परिणामस्वरूप यथा विनिर्दिष्ट तेल कम्पनियों के साथ पर्याप्त आंतरिक संसाधन उत्पन्न हुए। परन्तु इससे तेल कम्पनियों के कारोबार में उन निधियों के विस्तार में सहायता नहीं मिली।

(पैरा 6.1.2 से 6.1.3)

वर्ष 1989-90 से 1991-92 के दौरान नकदी रूप से धनी तेल कम्पनियों के वित्तीय उपकरणों में अपने निवेश पर व्याज की पर्याप्त आय अर्जित की। ऐसी प्राप्तियों के कारण निवल सम्पत्ति में वृद्धि पर भी निर्देशित मूल्य के अन्तर्गत कर के बाद 12 प्रतिशत का अर्जन हुआ। दूसरी ओर वह कम्पनी जो सापेक्ष रूप से

उच्च ऋण इकिवटी अनुपात का प्रचालन करती है प्रतिफल कम है जबकि उधार ली गई निधि का कम्पनी के अन्दर ही नियोजन किया गया है।

(पैरा 6.1.4)

विद्यमान मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में पूँजी संरचना पर प्रतिफल निवल धन पर कर के बाद 12 प्रतिशत है। तथापि वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान तेल कम्पनियों द्वारा अर्जित निवल धन पर वास्तविक प्रतिफल उच्चतर थे।

(पैरा 6.1.5 व 6.1.6)

## VII. उत्पाद बिक्री मूल्य

पेट्रोलियम उत्पादों के शोधनशाला पर मूल्य में 1986 से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उसी तरह मूल्य संरचना में शामिल सी. एण्ड एफ. और एफ.एस.पी. आधिभार 1986 से अवरुद्ध पड़ा रहा। यह कहना नहीं है कि कच्चे तेल और अन्य तत्वों की लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। इन वृद्धियों को मूल्य ढांचों में संबंधित तत्वों का संशोधन किये बिना उत्पाद मूल्य समायोजन में तदर्थ वृद्धियों के माध्यम से वसूल करने का उपाय किया गया था।

(पैरा 7.1.5)

वर्ष 1994-95 के लिए विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों पर कुल आर्थिक सहायता लगभग 8500 करोड़ रु. अनुमानित किया गया है। तथापि आर्थिक सहायता के कारण निवल प्रभाव बहुत कम होगा क्योंकि यह आर्थिक सहायता मोटर स्प्रिट, ए.टी.एफ. आदि के लिए नियत उच्च कीमतों द्वारा अधिक सीमा तक प्रति संतुलन है।

(पैरा 7.3.0 से 7.3.3)

उर्वरक के विनिर्माण के लिए संभरक स्टाक के रूप में उपयोग के लिए आपूर्त नेफथा, एफ.ओ. और एल.एस.एच.एस. के मूल्य में आर्थिक सहायता दी जाती है। तथापि यह ज्ञात हुआ कि संभरक स्टाक से अन्यथा उपयोग के लिए उर्वरक उद्योग को आपूर्त इन उत्पादों के मूल्य भी आर्थिक सहायता प्राप्त होते हैं। यह सरकारी नीति के विरुद्ध है। यद्यपि सरकार ने उर्वरक उद्योग में संभरक स्टाक के रूप में अपेक्षित इन उत्पादों के लिए प्रतिमान विकसित करने के लिए ओ.सी.सी. को निदेश (सितम्बर 1992) दिया था परन्तु इस संबंध में अभी तक (सितम्बर 1995) कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं।

(पैरा 7.4.1 से 7.4.4)

बिटुमन बल्क में बेचे जाते हैं और इस्पात के द्रमों में पैक किया जाता है। पैक किए गए बिटुमन का बिक्री मूल्य बल्क बिटुमन के बिक्री मूल्य की अपेक्षा अधिक होता है क्योंकि पैक की गई स्थिति में बेचे गए

बिटुमन में इम और भरण प्रभारों के रूप में अतिरिक्त लागत के तत्व हैं। बल्कि बिटुमन की तुलना में पैक किए गए बिटुमन के लिए प्रभारित उच्चतर मूल्य पैकिंग में अन्तरग्रहस्त अतिरिक्त लागत के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्षों के दौरान इम की लागत और भरण लागत बढ़ रही है परन्तु 1986 के बाद किसी समय पैक किए गए बिटुमन के मूल्य ढाँचे में इम की लागत में संशोधन नहीं किया गया है। इस प्रकार पैक किए गए बिटुमन के मूल्य में सन्निहित आर्थिक सहायता का तत्व है यद्यपि बल्कि बिटुमन की बिक्री को बढ़ावा देने की सरकार की नीति है। केवल 1992-93 के दौरान इस आर्थिक सहायता का भार 80 करोड़ रु. था। विद्यमान मूल्य निर्धारण योजना में बल्कि में बिटुमन की खरीद/बिक्री के लिए न तो उपभोक्ता और न ही विक्रेता के लिए कोई प्रोत्साहन है।

(पैरा 7.5.1)

#### VIII. तेल उद्योग पूल लेखे

1989-90 से 1993-94 तक तेल पूल लेखे से प्रतिवर्ष निवल वहिर्गमन हुआ। इसके परिणामस्वरूप निवल पूल शेष में 1993-94 के अन्त तक 605.87 करोड़ रु. का घाटा हुआ जबकि 1988-89 के अन्त में 9266.94 करोड़ रु. का अधिशेष था। पूल लेखे में घाटे का मुख्य कारण यह था कि यहाँ कच्चे तेल, परिष्करण और विपणन की लागत बढ़ गई थीं वहाँ पेट्रोलियम उत्पादों के बिक्री मूल्य में तदनुरूपी वृद्धि नहीं हुई थी।

(पैरा 8.1.2)

पूल की निधियां भारत सरकार के लोक लेखे में रखे गए हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान सरकार ने लोक लेखे में रखे गए पूल के धन से भारत की समेकित निधि में 2300 करोड़ रु. की राशि का विनियोजन किया। इसे ओ.सी.सी. द्वारा पूल निधि से बट्टे खाते डाल दिया। इससे पूल लेखे में किर निवल घाटा हुआ। यदि लोक लेखे में ओ.सी.सी. के जमा से भारत के समेकित निधि में ऐसा विनियोजन भविष्य में भी होता है तो पूल लेखे में बड़े निवल घाटे की संभावना से इकार नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 8.1.3)

पूल पर तेल कम्पनियों की पर्याप्त राशि उधार है। जबकि लोक लेखे में पूल के जमा पर कोई अवधारणा नहीं दिलता है, पूल से तेल कम्पनियों को देय राशि पर 10.5 प्रतिशत यह बदाज आदा करता है।

(पैरा 8.1.4 और 8.1.5)

#### IX. उदारीकरण और पेट्रोलियम उद्योग

पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए और आर्थिक उदारीकरण की नीति के परिपेक्ष्य में सरकार ने निजी क्षेत्र में पेट्रोलियम उद्योग खोले हैं। अधिमान्य शर्तों के अन्तर्गत अंवशोषण के लिए

ते.प्रा.गै.नि./ओ.आई.एल. के खोजे गए तेल/गैस क्षेत्रों की निजी क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव किया गया है जो ते.प्रा.गै.नि./ओ.आई.एल. के लिए उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार कोई स्तर का उद्यम क्षेत्र नहीं है।

(पैरा 9.1.2)

सरकार ने संयुक्त/निजी क्षेत्र में कई नई शोधनशालाएं स्थापित करने के लिए आशय पत्र भी जारी किया है। तथापि नई शोधनशालाओं की वास्तविक स्थापना पेट्रोलियम क्षेत्र में मूल्य निर्धारण और गैर विनियमन के संबंध में अधिक सीमा तक सरकार के अंतिम नीति निर्णय पर आधारित होगा। निर्देशित कीमतों के जारी रहने का मतलब विद्यमान लोक क्षेत्र शोधनशालाओं द्वारा निजी और संयुक्त क्षेत्र में नई शोधनशालाओं को आर्थिक सहायता देना होगा क्योंकि नई शोधनशालाओं में उत्पादन की लागत स्पष्टतः अधिक होगी। इसका तात्पर्य "कास्ट प्लस" प्रणाली की आनुषंगिक कमियों का जारी रहना होगा।

(पैरा 9.1.4 से 9.1.6)

उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित मूल्य को यथोचित रूप से समायोजित करने के लिए समानान्तर कार्यवाही नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप कई पेट्रोलियम/पेट्रोरसायन उत्पादों पर सीमा शुल्क में कमी सहित कुछ डिकेनालाइज्ड उत्पादों (जो जब लोक क्षेत्र की बड़ी तेल कम्पनियों द्वारा बेचे गए निर्देशित मूल्य निर्धारण के अन्तर्गत हैं) के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में घट बढ़ लोक क्षेत्र पेट्रोलियम कम्पनियों को प्रभावित किया और राजकोष पर विपरीत प्रभाव पड़ा।


(पैरा 9.2.1)

मूल्य संयोजित मुक्त व्यापार उत्पादों जैसे बैनजेने, पी.पी.एफ.एस. आदि के विनिर्माण में प्रयुक्त प्रयोज्य सामग्री के अवास्तविक निर्देशित मूल्य के कारण लोक क्षेत्र की बड़ी तेल कम्पनियां प्रतियोगी दरों पर इन उत्पादों का विपणन नहीं कर सकीं और इन उत्पादों के विनिर्माण के लिए देशज क्षमता का कम उपयोग हुआ जिसके परिणाम स्वरूप मूल्य संयोजन और परिहार्य आयात की हानि हुई।

(पैरा 9.4 व 9.5)

अप्रैल 1992 से आर.पी.सी का आयात डिकेनालाइज्ड कर दिया गया। तथापि निर्देशित मूल्य जुलाई 1993 तक जारी रहा। चूंकि आर.पी.सी. का निर्देशित मूल्य आयात की उत्तराई लागत की अपेक्षा काफी अधिक था इसलिए आर.पी.सी. के उपभोक्ताओं ने उत्पाद का आयात करना शुरू कर दिया जिसके परिणामस्वरूप शोधनशालाओं में स्टाक का ढेर लग गया और बन्द होने की आशंका हो गई।

(पैरा 9.6)



## अध्याय 1

### प्रस्तावना

#### 1.1 पेट्रोलियम परिदृश्य

1.1.0 भारत की पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 1973-74 में 22.35 मिलियन टन (एम एम टी) बढ़कर 1983-84 में 35.84 एम एम टी और 1993-94 में 62.3 एम एम टी तक हो गया। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 2003.04 में 107.9 एम एम टी और 2010 तक लगभग 150 एम एम टी तक बढ़ जाने की संभावना है।

1.1.1 विश्व के 15 चुने हुए देशों 1982 और 1992 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत तथा 1992 में प्रतिव्यक्ति खपत निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं:

देश	कुल खपत		1982 से 1992 में	1992 में प्रतिव्यक्ति
	1982	1992	प्रतिशतता वृद्धि	खपत (कि.ग्रा. में)
(मिलियन टन में)				
अमरीका	706	781	11	3091
कनाडा	73	76	4	2798
ब्राजील	53	60	11	उ.न.
मैक्सिको	61	74	21	उ.न.
फ्रांस	92	94	2	1656
इटली	91	94	3	1630
जर्मनी	126	134	6	1677
नीदरलैंड	31	36	16	2391
स्पेन	48	50	4	1282
यू.के.	76	82	8	1430
चीन	82	128	56	111
भारत	35	62	77	72
इंडोनेशिया	22	35	59	194
जापान	208	259	25	2089
दक्षिण कोरिया	24	71	196	उ.न.

1.1.2 उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की प्रति व्यक्ति

खपत अन्य देशों की तुलना में काफी कम था। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत की द्वितीय उच्चतम वृद्धि दर थी, अगला दक्षिण कोरिया था।

1.1.3 कच्चा तेल कच्ची सामग्री है जिससे पेट्रोलियम उत्पाद परिष्करण द्वारा उत्पादित किए जाते हैं भारत में कच्चा तेल दो लोक क्षेत्र कम्पनियों यथा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि. (ते प्रा गै नि) और आयल इंडिया लि. (ओ आई एल) द्वारा उत्पादित किया जाता है। अपस्ट्रीम पेट्रोलियम क्षेत्र में उदारीकरण के भाग के रूप में भारत सरकार ने ते प्रा गै नि/ओ आई एल के संयुक्त उद्यम में निजी क्षेत्र की विदेशी/भारतीय कम्पनियों द्वारा विकास के लिए ते प्रा गै नि/ओ आई एल के कुछ प्रमाणित तेल/गैस क्षेत्र का भी प्रस्ताव किया है और उनके साथ ठेकों में भाग लेकर उत्पादन में प्रवेश किया है (अक्टूबर 1994/दिसम्बर 1994/जून 1995)। देशज उत्पादन के अतिरिक्त आवश्यकता का आयात किया जाता है और आयात को भारतीय तेल निगम लि. के माध्यम से केनालाइज किया जाता है। कच्चे तेल को देश के निम्न तेरह शोधनशालाओं में परिष्कृत किया जाता है जिनमें से सभी इस समय लोक क्षेत्र में हैं:

शोधनशाला	के स्वामित्व में	31.05.95 को कच्चे शोपुट
		के लिए प्रतिष्ठापित क्षमता
		मिलियन टन में
गुवाहाटी	भा. ते. नि.	1.00
बरोनी	भा. ते. नि.	3.30
गुजरात	भा. ते. नि.	9.50
हल्दिया	भा. ते. नि.	2.75
मथुरा	भा. ते. नि.	7.50
दिग्बोर्ड	भा. ते. नि.	0.50
बम्बई	एच पी सी	5.50
विजाग	एच पी सी	4.50
बम्बई	बी पी सी	6.00
मद्रास	एम आर एल	6.50
कोचीन	सी आर एल	7.50
बोगाईंगांव	बी आर पी एल	2.35
नरिमानम	एम आर एल	<u>0.50</u>
		57.40

1.1.4 निम्नलिखित तालिका वर्षों के दौरान देश में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग पूर्ति शेष दर्शाती है:-

उत्पादन	कच्चे तेल का आयात (निवल)	कच्चे तेल का आयात (निवल)	शोधनशाला की क्षमता	कच्चा ध्रोपुट उत्पादों का उत्पादन (निवल)	आयात उत्पादन (निवल)	खपत/शोधनशाला इंधन को छोड़कर मांग	कुल निवल आयात बिल (करोड़ रु. में)	
1979-80 (पांचवीं योजना के अंत में)	11.77	16.12	45.55	27.47	25.79	4.72	29.88	3246
1984-85 (छठवीं योजना के अंत में)	28.99	7.16	45.55	35.56	33.23	5.16	38.80	3527
1989-90 (सातवीं योजना के अंत में)	34.09	19.49	51.85	51.94	48.69	3.97	54.10	5648
1993-94	27.03	30.8	53.25	54.30	51.08	8.04	60.68	16221

1.1.5 यह देखा जा सकता है कि देश में कच्चे तेल का देशज उत्पादन और परिष्करण क्षमता पेट्रोलियम उत्पादों की समग्र मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और यह कि कच्चे तेल के लिए और उत्पादों के लिए उत्पादन और मांग के बीच अन्तर बढ़ रहा है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है 2003-04 के अन्त तक पेट्रोलियम उत्पादों की मांग प्रतिवर्ष 107.9 एम एम टी तक बढ़ जाने की संभावना है। इसके प्रति कच्चे तेल का उत्पादन 1997 तक प्रतिवर्ष 45 एम एम टी पर स्थिर हो जाने की आशा है। परिष्करण क्षमता प्रतिवर्ष 94.05 एम एम टी तक बढ़ जाने की आशा है। पूर्ति और मांग के बीच यह अन्तर और कच्चे/उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें देश की भुगतान स्थिति के शेष पर तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण पर गहरा प्रभाव रखते हैं।

1.1.6 परिष्कृत उत्पादों का विपणन चार लोक क्षेत्र तेल विपणन कम्पनियों (मुख्य तेल कम्पनियां भी कही जाती हैं) जैसे भारतीय तेल निगम लि. (भा टे नि), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी पी सी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एच पी सी) और आई बी पी के लि. (आई बी पी) द्वारा किया जाता है। तथापि कुछ विशेष उत्पादों विपणन शोधनशालाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। स्नेहकों का विपणन निजी/लोक क्षेत्र में (लघु तेल कम्पनियां कहा जाता है) अन्य कम्पनियों द्वारा किया जाता है। एल पी जी, मिट्टी के तेल और एल एस एच जैसे कुछ उत्पादों का विपणन हाल ही में समानान्तर विपणन प्रणाली के अन्तर्गत निजी क्षेत्र को खोल दिया गया है। इसके अन्तर्गत मुख्य तेल कम्पनियों द्वारा निर्देशित कीमतों पर इन उत्पादों के विपणन के अतिरिक्त निजी क्षेत्र को भी बाजार सम्बद्ध कीमतों पर एल पी जी और मिट्टी के तेल का आयात करने और बेचने के लिए मुक्त रूप से अनुमति किया गया है।

1.1.7 पेट्रोलियम उत्पादों जिनका विपणन देश में किया जाता है, को दशनि वाली एक सूची और कीमत निर्धारण के संदर्भ में उनका वर्गीकरण अनुबन्ध 1 में दिया गया है।

1.1.8. मुख्य तेल कम्पनियों द्वारा विपणन किए जाने वाले अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें सरकार द्वारा निर्देशित की जाती हैं। मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों का लगभग 98 प्रतिशत निर्देशित मूल्य के अन्तर्गत है। स्नेहक, बेनजेनेजैसे मुक्त व्यापार उत्पादों के संबंध में भी उनके विनिर्माण के लिए प्रयुक्त सम्भरक स्टाक और इधन की कीमतें निर्देशित हैं। अपनी प्रचालन लागत को पूरा करने के लिए और उनके निवेश पर प्रतिफल अर्जित करने के लिए शोधनशालाओं और विपणन कम्पनियों को मार्जिन अवधारण संकल्पना है। निर्देशित मूल्य और अवधारण मार्जिन के अन्तर्गत तेल कम्पनियां अपने दावे का समायोजन करती हैं और तेल उद्योग पूल में अभ्यर्पण करती हैं। इस प्रयोजन के लिए कई पूल लेखे तेल समन्वय समिति (ते स स) द्वारा प्रचालित और निर्देशित किए जाते हैं। पूल लेखे में निवल घाटे का तात्पर्य होगा कि भारत सरकार को तेल कम्पनियों को तदनुरूपी राशि अदा करने की देयता है।

## 1.2 परिवर्तनशील भारतीय परिदृश्य

1.2.0 गत दो वर्षों से पेट्रोलियम क्षेत्र में भारी परिवर्तन हो रहा है। निजी क्षेत्र में विदेशी/भारतीय कम्पनियों द्वारा कई तेल क्षेत्रों के अवशोषण के लिए प्रस्ताव किया गया है। उसी तरह से परिष्करण और कुछ स्तर तक, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन निजी क्षेत्र के लिए खुला कर दिया गया है। लोक क्षेत्र तेल कम्पनियों को निजी क्षेत्र में विदेशी तथा भारतीय कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने के लिए अनुमत कियागया है। कई पेट्रोलियम उत्पादों का आयात जिसे लोक क्षेत्र उपक्रम के माध्यम से अब तक केनालाइज किया गया था, डिकेनालाइज कर दिया गया है। पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा/उत्पाद शुल्क की दर महत्वपूर्ण ढंग से बदल गई है। ये परिवर्तन और पेट्रोलियम उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में परिवर्तन का पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण और विपणन तथा लोक क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन, परिष्करण और विपणन कम्पनियों के निष्पादन पर परिणामी प्रभाव के साथ निर्देशित मूल्य निर्धारण स्कीम पर सरकार की नीति पर महत्व पूर्ण प्रभाव पड़ता है।

## 1.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

1.3.0 देश में तेल मूल्य निर्धारण व्यवस्था का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1989 की संख्या 7 संघ सरकार द्वारा पहले समीक्षा की गई थी। उस प्रतिवेदन में 1987-88 तक की अवधि शामिल की गई थी। वर्तमान अध्ययन देश में पेट्रोलियम क्षेत्र में हाल के विकास को ध्यान में रखकर विद्यमान तेल मूल्य निर्धारण व्यवस्थाओं और उद्योग पूल लेखाओं पर उनके प्रभाव की आवश्यक रूप से एक समीक्षा है। समीक्षा में शोधन शालाओं के मानक थोपुट का निर्धारण, प्रोत्साहन और विपणन व्यवस्थाओं

का अध्ययन शामिल है। इस प्रयोजन के लिए 1988-89 से 1993-94 (जहां उपलब्ध थे 1994-95 के आंकड़े) की अवधि के सभी सुसंगत आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण किया गया है। आर्थिक उदारीकरण के परिपेक्ष्य में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर टैरिफ के डिकेनालाइजेशन और निष्कासन/कटौती के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

## पेट्रोलियम की मूल्य निर्धारण नीति

### 2.1 ऐतिहासिक आधार

2.1.0 1974 के पूर्व आयात समानता वह आधार था जिस पर पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारित किया गया था। आयात समानता की संकल्पना वर्ष 1974 में हटा दी गई थी और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य नियन्त्रण के प्रयोजन के लिए देशज और आयातित कच्चे तेल की कीमतों की पुलिंग मार्च 1974 से प्रारंभ की गई। आयात समानता को हटाने का मुख्य कारण यह था कि आयात से देश की कुल मांग का 10 प्रतिशत से कम आवश्यकता पूरी होती थी और यह कि भावी वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों की अतिरिक्त आवश्यकताएं भारत में अतिरिक्त देशज कच्चे तेल के परिष्करण द्वारा पूरी की जाने की संभावना थी। भारत सरकार ने 1974 में तेल मूल्य समिति का गठन किया। ते.मू.स. की सिफारिशों 1976 में सरकार द्वारा स्वीकार की गई थी। परिष्करण और विपणन क्रियाकलाप के लिए अवधारण मार्जिन लागू किया गया था। 1984 में तेल लागत समीक्षा समिति (ते.ला.स.स.) की सिफारिशों के परिणामस्वरूप कुछ और परिवर्तन किए गए थे। यद्यपि भारत सरकार ने 1989 में तेल मूल्य समीक्षा समिति का गठन किया परन्तु इसकी सिफारिशों (1991) अभी तक (सितम्बर 1995) सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई हैं। इस प्रकार आज भी पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य निर्धारण नीति की रचना ते.ला.स.स. की सिफारिशों के आधार पर आशोधनों के साथ तेल मूल्य समिति की सिफारिशों पर आधारित है।

### 2.2 वर्तमान मूल्य निर्धारण नीति की मुख्य विशेषताएं

2.2.0 पेट्रोलियम उत्पादों की वर्तमान मूल्य निर्धारण नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं:-

- क) ते.प्रा.गै.नि. और ओ आई एल के उत्पादन की लागत के भारित औसत पर कच्चे तेल उत्पादकों के लिए देशज कच्चे तेल की वेल हेड मूल्य और नियोजित पूँजी पर 15 प्रतिशत कर के बाद प्रतिफल।
- ख) इस बात का ध्यान दिए बिना कि वे देशज कच्चे तेल या आयातित कच्चे तेल को संसाधित करते हैं; देशज और आयातित कच्चे तेल का पूल्ड जहाज पर्यात निःशुल्क मूल्य के आधार पर सभी शोधन शालाओं के लिए समान रूप से जहाज पर्यात निःशुल्क लागत पर कच्चे तेल का मूल्य निर्धारण/शोधन शालाओं में कच्चे तेल को लाने की अन्य लागत का वास्तविक आंकड़ों के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है। आयातित कच्चे तेल के मामले में कच्चे तेल लागत भाड़ा लागत पर 0.5 प्रतिशत तेल की समुद्री हानि अनुमत है।

- ग) अवधारण आधार पर परिष्करण लागत और प्रतिफल (परिष्करण मार्जिन)। सरकार प्रत्येक तीन वर्ष में प्रत्येक शोधनशाला के लिए नियोजित पूँजी पर मानक परिष्करण लागत और प्रतिफल अवधारित करती है। मानक परिष्करण लागत और नियोजित पूँजी पर प्रतिफल जब कच्चे थोपुट से विभाजित किया जाता है तो उस रिफाइनरी के लिए प्रतिटन अवधारण मार्जिन देता है। यह तीन वर्ष की अवधि के लिए उस शोधन शाला के लिए अपरिवर्तनीय रहता है। तथापि, कुछ प्रकार की वार्षिक वृद्धि अवधारण मार्जिन के अतिरिक्त अनुमत है।
- घ) प्रत्येक शोधन शाला के लिए पेट्रोलियम उत्पाद की अवधारण कीमत - किसी उत्पाद का प्रतिटन अवधारण मूल्य कच्चे थोपुट के प्रतिटन अवधारण कीमत प्राप्त करके हासिल किया जा सकता है। कच्चे थोपुट की प्रतिटन अवधारण कीमत में कच्चे तेल की लागत और परिष्करण लागत तथा पूँजी पर प्रतिफल शामिल है। यह तब अक्षांकों के सेट द्वारा प्रत्येक उत्पाद के लिए आवंटित किया जाता है। मिट्टी के तेल का इनडेक्स 1 के रूपे में लिया जाता है। अन्य उत्पादों का अक्षांक वर्तमान और भावी मांग पूर्ति, अतिरिक्त प्रभार वहन करने की अलग-अलग उत्पादों की क्षमता, उनके अंतिम उपयोग पद्धति जैसे घटकों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है।
- ड.) उत्पादवार समरूप शोधनशाला पर मूल्य जो सभी शोधनशालाओं के अवधारण मूल्य का भारित औसत है उस उत्पाद और 25 रु. प्रति बिक्री यूनिट (के एल अथवा एम टी) के समरूप संयोजन को एक साथ मिला लिया जाता है। यह वह कीमत है जिस पर शोधनशालाएं विपणन यूनिट को उत्पाद अन्तरित करती हैं। अवधारण मूल्य और रिफाइनरी पर मूल्य के बीच अन्तर तेल पूल लेखे से अमर्यपित/दावित किए जाते हैं।
- घ) अवधारण आधार पर विपणन लागत और प्रतिफल (विपणन मार्जिन)
- छ) निवल धन को आरोप्य भाग पर करके बाद में 12 प्रतिशत पर नियोजित पूँजी (निवल स्थाई परिसम्पत्ति और मानकीय कार्यचालन पूँजी) और परिष्करण तथा विपणन के लिए अलग से उधारों को आरोप्य भाग के लिए उधार की वास्तविक औसत पर प्रतिफल।
- ज) विपणन मार्जिन के औसतन द्वारा शोधन शाला केन्द्र पर उत्पादवार समरूप भंडार पर केन्द्र, मूल्य भंडार पर केन्द्र मूल्य में शोधनशाला पर मूल्य, उत्पाद शुल्क, विपणन मार्जिन, वहन किए गए वास्तविक का ध्यान दिए बिना समरूप उपभोक्ता कीमत प्रभारित करने के कारण विशिष्ट कम वसूलियों को पूरा करने के लिए मूल्य से बने विभिन्न अधिभार और उत्पाद मूल्य समायोजन (उ.मू.स.) शामिल है। उत्पाद मूल्य समायोजन वह माध्यम है जिस पर सामाजिक आर्थिक विचार पर उत्पाद मूल्य की प्रति आर्थिक सहायता होती है।

- झ) प्राथमिक कीमत निर्धारण केन्द्रों के रूप में शोधन शालाएं और कीमत निर्धारण जोन का सीमांकन मूल्य निर्धारण केन्द्रों से जुड़ा है। सभी प्राथमिक मूल्य निर्धारण केन्द्रों पर पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य एक रूप होगा। कीमत निर्धारण केन्द्रों को निर्दिष्ट कीमत निर्धारण जोन के अन्तर्गत स्थानों पर मूल्य भंडार केन्द्र पर मूल्य और कीमत निर्धारण केन्द्र से उस स्थान के लिए अभिप्रायात्मक रेलवे भाड़ा तथा स्थानीय कर होगा।
- अ) तीन वर्ष में एकबार परिष्करण और विपणन मार्जिन का उन्नयन।

2.2.1 शोधनशाला पर विल्ड अप, भंडार केन्द्र पर और पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोक्ता खुदरा मूल्य दर्शाति हुए एक फ्लोचार्ट अनुबन्ध ॥ में दिया गया है।

### 2.3 उत्पाद अक्षांक

2.3.0 अलग उत्पादों के लिए शोधनशाला के उत्पादन की कुल लागत आवंटित करने के लिए विभिन्न उत्पादों हेतु तेल मूल्य निर्धारण समिति 1976 ने अक्षांकों का एक सेट विकसित किया था। ये अक्षांक मिट्टी के तेल के इनडेक्स को ध्यान में रखकर, जो अत्यधिक छपत की वस्तु है 1 के रूप में विकसित किया गया था। 1 की अपेक्षा अधिक के इनडेक्स के साथ उत्पाद की शोधनशाला पर कीमत मिट्टी के तेल की शोधन शाला पर कीमत और इसके विपरीत भी अधिक होगी। इसलिए एम एस और नैफ्था की शोधनशाला पर कीमत जिसके अक्षांक 1 की अपेक्षा कम हैं, मिट्टी के तेल और एल पी जी की शोधनशाला पर कीमत निम्नतर है जिसके इनडेक्स 1.15 हैं उस मिट्टी के तेल से अधिक है। तेल मूल्य निर्धारण समिति के शब्दों में "ये अक्षांक समिति के माने गए निर्णय के आधार पर हैं जिसने वर्तमान और भावी मांग तथा पूर्ति, अतिरिक्त प्रभार वहन करने वाले अलग उत्पादों की योग्यता, उनके अंतिम उपयोग पैटर्न, शोधनशाला अर्थ व्यवस्था और अन्य सुसंगत तकनीकी घटकों जैसे घटकों को ध्यान में रखकर किया गया था। विस्तृत रूप से ये अक्षांक राष्ट्रीय अपेक्षा जैसा कि हम निर्धारित करने में समर्थ हुए हैं, को प्रतिविम्बित करते हैं।" तेल मूल्य निर्धारण समिति द्वारा परिकलित अक्षांक देश की पूर्ति और मांग की स्थिति, विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की प्रघलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, विदेशी मुद्रा के संरक्षण के लिए घाटे के उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता और उत्पाद जो हमारे देश की आवश्यकता के लिए बेशी थे, के उत्पादन को निरुत्साहित करने के आधार पर तेल लागत समीक्षा समिति द्वारा आशोधित किए गए थे। निम्नलिखित तालिका 1976 में तेल मूल्य निर्धारण समिति द्वारा यथा अनुशसित, ते.ला.स.स. की सिफारिशों के आधार पर 1984 में और उस तारीख को विद्यमान भारत सरकार द्वारा मानी गई और कतिपय उत्पादों के संबंध में ते.मू.स.स. (1991) द्वारा यथा अनुशासित अक्षांक दर्शाती है:

	1976 से ते.मू.स.	1984 से जैसा	ते.मू.स.स. द्वारा 1991 विद्यमान है में सिफारिश की गई
एस के ओ	1.00	1.00	1.00
एम एस	1.05	0.95	1.10
नैफ्था	0.98	0.90	0.90
एच एस डी	0.95	0.95	0.95
एल पी जी	1.15	1.15	1.20
आर पी सी	-	0.70	0.70

2.3.1 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है ते.मू.स.स. की सिफारिशें अभी तक (सितम्बर 1995) स्वीकार नहीं की गई हैं और 1984 में तय किए गए अक्षांक अभी भी कायम हैं।

2.3.2 इन अक्षांकों की सीमित भूमिका होती है। वे उत्पादवार अवधारण कीमतों को तय करने के लिए शोधनशाला के उत्पादन की कुल लागत आवंटित करने के लिए आधार मुहैया करते हैं। तथापि उपभोक्ता की अंतिम कीमत उत्पाद कीमत समायोजन घटक द्वारा अवधारित किए जाते हैं। इन अक्षांकों का महत्व बढ़ जाता है जब कतिपय विशेष कट्स जो मुख्य धारा मेंनहीं हैं, हो जाती है। उदाहरण के लिए नैफ्था का इनडेक्शन 0.90 तक कम है (जबकि यह अधिक मूल्य का उत्पाद है) क्योंकि इसका उत्पादन आवश्यकता से अधिक है। 1987 में बी पी सी ने स्पेशल कट नैफ्था (110-140 कट) की आपूर्ति के लिए निजी क्षेत्र की पेट्रोरसायन कम्पनी के साथ करार किया। मूलतः बी पी सी सामान्य निर्देशित मूल्य पर वाइड कट (सामान्य) नैफ्था की आपूर्ति कर रहा था। स्पेशल कट ग्राहकों द्वारा प्राप्त किया जाता है। बाद में बी पी सी ने स्पेशल कट प्राप्त करने के लिए 32.52 करोड़ रु. की लागत पर सुविधाएं प्रतिष्ठापित (1991) की और अक्टूबर 1991 से स्पेशल कट की आपूर्ति करना शुरू किया। स्पेशल कट नैफ्था को प्राप्त करने से एच एस डी की उत्पादन पर प्रभाव पड़ा जिसका आयात उच्च लागत पर लोक क्षेत्र द्वारा किया गया था और आर्थिक सहायता वाली कीमत पर बेचा गया। ते.स.स. द्वारा यह अनुमानित (दिसम्बर 1987) किया गया था कि एच एस डी में उत्पादन हानि ग्राहकों को आपूर्त स्पेशल कट नैफ्था के प्रत्येक 75 टन के लिए 100 टन होगे। इस स्पेशल कट नैफ्था पर प्रतिटन 306 रु. की उत्पादन शास्ति लगाने के लिए भारत सरकार के पूर्व निर्णय (अप्रैल 1988) कार्यान्वयन के पहले ही वापस ले लिए गए थे (अगस्त 1988)।

2.3.3 वर्तमान व्यवस्था यह है कि स्पेशल कट प्राप्त करने के लिए बी पी सी द्वारा उपभुक्त वाइड कट नैफथा के लिए निर्देशित कीमत पर संभरक स्टाक के रूप में माना गया है और स्पेशल कट नैफथा बाजार कीमत पर मुक्त व्यापार उत्पाद के रूप में ग्राहकों को इसके द्वारा बेचा जाता है। तथापि एच एस डी के उत्पादन में कमी के कारण राजकोष को हानि और इसकी परिणामी हानि की क्षतिपूर्ति नहीं की गई थी। 306 रु. प्रतिटन की दर पर परिकलित अक्टूबर 1991 से दिसम्बर 1994 तक बी पी सी द्वारा बेचे गए स्पेशल कट नैफथा के 680216 टन पर पूल लेखे द्वारा अवशोषित उत्पादन हानि का मूल्य 20.81 करोड़ रु. बनता है।

2.3.4 मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 1995) कि नैफथा का अन्तरण मूल्य इस ठंग से तय किया गया था कि पूल लेखे के ब्याज का यथेष्ट रूप से सरक्षण रहे। मंत्रालय ने आगे बताया कि नैफथा का उत्पादन इसकी मांग से अधिक था और इसलिए जिसकी खपत नहीं की गई थी उसका निर्यात करना पड़ा था।

2.3.5 मंत्रालय का उत्तर सुसंगत नहीं था क्योंकि उपरोक्त लेखापरीक्षा मुद्दा विशेष रूप से स्पेशल कट नैफथा के अवशोषण से संबंधित है न कि सामान्य नैफथा से। मंत्रालय का उत्तर एच एस डी के उत्पादन में कटौती और इसके परिणामी आयात के कारण राजकोष को हानि के बारे में भी मौन है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि एच एस डी घाटे का उत्पाद है और इसकी आयात लागत इसकी निर्देशित बिक्री कीमत की अपेक्षा उच्चतर है। उत्पादन में कोई कमी अतिरिक्त आयात द्वारा पूरा किया जाएगा और विभेदक कीमत राजकोष द्वारा वहन की जाती है।

### अध्याय 3

#### कच्चे तेल का मूल्य निर्धारण

##### 3.1 देशज कच्चे तेल का मूल्य

3.1.1 11 जुलाई 1981 से तदर्थ आधार पर सरकार द्वारा कच्चे तेल के देशज उत्पादकों को प्रदत्त मूल्य प्रतिटन 1021 रु. तय किया गया था। इसके बाद 16 सितम्बर 1992 तक जब इसे प्रतिटन 1506 रु. तक बढ़ाया गया था, की काफी लम्बी अवधि तक आधार मूल्य का संशोधन नहीं किया गया था और उसके बाद 1 अप्रैल 1993 से प्रतिटन 1741 रु. तक की वृद्धि की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि ये संशोधन निम्नलिखित प्रतिफलों पर आधारित थे:-

- I) देशज कच्चे तेल की अलाभकारी कीमत के कारण ते प्रा गै नि और ओ आई एल और तेल क्षेत्र का विकास करने के लिए संसाधन उत्पन्न करने और नए क्षेत्र की खोज करने में असमर्थ थे।
- II) कच्चे तेल की देशी वेल हेड कीमत इस प्रकार अवधारित की जानी चाहिए जिससे उत्पादन की लागत के लिए ते प्रा गै नि की क्षति पूर्ति हो सके और निवेश पर यथोचित प्रतिफल दे सके। कच्चे तेल की वेल हेड कीमत ते प्रा गै नि और ओ आई एल के उत्पादन की लागत का भारित औसत और नियोजित पूँजी पर कर के बाद 15% का प्रतिफल है।

3.1.2 निम्नलिखित तालिका मार्च 1993 को समाप्त तीन वर्षों के लिए प्रा गै ते नि और ओ आई एल द्वारा कच्चा तेल (15% की दर से निवेश पर आय सहित) के उत्पादन की लागत दर्शाती है:

(रुपया प्रतिटन)

	1990-91	1991-92	1992-93
प्रा गै ते नि	1228	1460	1714
ओ आई एल	1662	2067	1990

टिप्पणी: उपरोक्त लागत में रायल्टी और उपकर शामिल नहीं हैं जिसका आरंभ में तेल उत्पादक कम्पनियों द्वारा भुगतान किया गया था किन्तु बाद में रिफाइनरियों/पूल लेखे से वूसल कर लिए गए थे।

3.1.3 जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, कि प्रा.गै. ते. नि. तथा ओ आई एल के कच्चे तेल के उत्पादन की लागत एक सी नहीं है। इसलिए दोनों कम्पनियों के लिए सरकार द्वारा समान मूल्य 1741 रु.

प्रतिटन कच्चे तेल का एक समान दर पर मूल्य निर्धारण से उत्पादन की लागत और नियोजित पूँजी पर 15 प्रतिशत पश्च टैक्स अभिलाभ के लिए तेल उत्पादक कम्पनियों को प्रतिपूर्ति का उद्देश्य पूरा नहीं होता।

### 3.2 कच्चे तेल की जहाज पर कीमत का पूलित किया जाना

3.2.0 जैसाकि पहले बताया गया है कि रिफाइनरी द्वारा भुगतान किये कच्चे तेल के मूल्य जहाज पर पूलित कीमत होती है जो देशी और आयातित कच्चे तेल की कीमत की पूर्णिंग द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। जहाज पर पूलित कीमत 1986 में समान रूप से 1700 रु. प्रतिटन निर्धारित की गई थी। उसके बाद इसमें संशोधन नहीं किया गया यद्यपि कि भारतीय रूपये के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय कच्चा तेल और देशी कूड़ की उत्पादन लागत एवं उनके सुसंगत उत्पादन में परिवर्तन हो गया था।

3.2.1 जहाज पर पूलित कीमत में संशोधन न करने का प्रभाव तेल शोधक कम्पनियों की प्रचालन पूँजी पर पड़ा। तेल शोधक कम्पनियों को प्रचालन पूँजी की क्षतिपूर्ति जहाज पर पूलित कीमत पर आधारित होती है। जबकि धारण की वास्तविक लागत काफी बढ़ गई थी, जहाज पर पूलित कीमत जो 1986 में 1700 रु. प्रतिटन निर्धारित की गई थी, उसी स्तर पर बनी रही।

3.2.2 मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 1995) कि चूंकि वर्तमान मूल्य निर्धारण तंत्र ओ सी आर सी द्वारा अंकित सिद्धान्तों पर आधारित थी और उनकी अनुशंसा (जुलाई 1984) के अनुसार 1700 रु. प्रतिटन जहाज पर पूलित कीमत निर्धारित की गई थी, जहाज पर पूलित कीमत को संशोधित नहीं किया गया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि क्षतिपूर्ति पाने वाली तेल कम्पनियों की धारण की क्षमता में रिफाइनरियों की कार्यचालन क्षमता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

3.2.3 जहाज पर पूलित कीमत में संशोधन न करने के कारण प्रचालन पूँजी की आवश्यकता के लिए संगणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रिफाइनरियों द्वारा आरंभ में आयातों/देशी कूड़ के आधार पर विपणन मूल्य/निर्देशित मूल्य पर उनके द्वारा अधिप्राप्त कूड़ के लिए भुगतान किया जाता है। उसके बाद जब इन रिफाइनरियों द्वारा उनका संसाधन किया जाता है तो पूलित लागत और वास्तविक लागत के बीच अन्तर पूल लेखे में समायोजित किए जाते हैं। अतः कूड़ की धारण अवधि के लिए रिफाइनरियों की कार्यचालन पूँजी प्रभावित होती है।

3.2.4 इसके अतिरिक्त, जहाज पर विद्यमान पूलित कीमत का कच्चे तेल की वर्तमान कीमत से कोई संबंध नहीं होता है।

### 3.3 तेल उद्योग विकास उपकर

3.3.1 सरकार तेल उद्योग में निवेश के लिए निधि उपलब्ध कराने के विशेष उद्देश्य के लिए स्वदेशी कच्चे तेल पर तेल विकास उपकर का उद्घरण करती है। उपकर की दरों में समय-समय पर बृद्धि की गई है। ऐसी

पिछली वृद्धि 1 फरवरी 1989 से की गई थी जब कच्चे तेल पर उपकर 600 रु. प्रतिटन से बढ़ाकर 900 रु. प्रतिटन कर दिया गया था।

3.3.2 निम्न तालिका सरकार द्वारा संग्रहीत उपकर की स्थिति और तेल उद्योग के विकास के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) को हस्तान्तरित राशि की स्थिति दर्शाती है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	भारत के समेकित ओआईडीबी	ओआईडीबी द्वारा तेल उद्योग को अनुदान/निधि को क्रेडिट किए एकट की धारा 16 सहायता	गए उपकर की निवल आय	के अन्तर्गत ओआईडीबी को भुगतान	अनुदान	ऋण	जोड़
<b>प्रारंभ से निम्न</b>							
<b>वर्षों तक</b>							
1986-87	4,311.07	604.50	27.94	1484.59	1512.53		
1987-88	1,794.50	-	5.42	242.01	247.43		
1988-89	2,000.15	63.09	11.37	260.39	271.76		
1989-90	2,895.04	50.00	8.64	241.09	249.73		
1990-91	2,766.50	89.81	6.52	294.94	301.46		
1991-92	2,483.88	95.00	9.71	1029.83	1039.54		
<b>उप जोड़</b>	<b>16,251.14</b>	<b>902.40</b>	<b>69.60</b>	<b>3552.85</b>	<b>3622.45</b>		
1992-93	2,192.91	-	11.29	706.20	717.49		
1993-94	2,160.89	-	12.22	915.82	928.04		
* 1994-95	2,623.56	-	26.15	276.27	1947.95		
<b>उप जोड़</b>	<b>6,977.36</b>	<b>-</b>	<b>49.66</b>	<b>1898.29</b>	<b>1947.95</b>		
<b>जोड़</b>	<b>23,228.50</b>	<b>902.40</b>	<b>119.26</b>	<b>5451.14</b>	<b>5570.40</b>		

\* आकड़े अनन्तिम

3.3.3 जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 1991-92 तक 16251.14 करोड़ रु. के निवल संग्रहण में से ओ आई डी बी को केवल 902.40 करोड़ रु. ही दिया गया। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान संग्रहीत कुल 6977.36 करोड़ रु. में से गत तीन वर्षों के दौरान ओ आई डी बी को कोई राशि अन्तरित नहीं की गई।

3.3.4 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित लोक सभा की स्थाई समिति ने बताया था (नवम्बर 1994) कि मंत्रालय ने ओ आई डी बी को आवंटन नहीं बदला था यद्यपि पेट्रोलियम सैक्टर संसाधनों के लिए मोहताज था और कहा "यह खेद का विषय है कि एक विशेष प्रयोजन के लिए संग्रहीत विशाल निधि को सरकार द्वारा अपने बजटीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया गया।"

3.3.5 चूंकि उपकर से एकत्रित निधि का मुख्यतः मूल उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था, जिसके लिए यह लगाया गया था अतः उपकर का लगाया जाना स्वयं ही अपने औचित्य को खो देता है।

## अध्याय 4

### परिष्करण लागत और संबंधित मामले

#### 4.1 शोधनशाला के लिए प्रतिधारण कीमत

4.1.0 प्रत्येक शोधनशाला के लिए उत्पादवार प्रतिधारण कीमत की घारणा जो आयातित एक समान मूल्य की पूर्व घारणा के स्थानन पर 1975 में लागू की गई थी, में तीन मुख्य तत्व जैसे इनपुट (कच्चा तेल) की लागत, शोधन की लागत और पूँजी पर प्रतिफल शामिल है। प्रतिधारण कीमत जो प्रत्येक शोधनशाला के लिए विशिष्ट है, की निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए गणना की गई है:

- (i) कच्चे तेल की सौपते समय लागत
- (ii) कच्चे थूपुट का स्तर (मानक थूपुट)
- (iii) उत्पादन का मानक नमूना
- (iv) संसाधन और शोधन कीमत; और
- (v) नियोजित पूँजी पर उपयुक्त प्रतिफल

#### 4.2 मानक थूपुट

4.2.0 प्रत्येक शोधनशाला के उत्पादों के लिए प्रतिधारण कीमत की गणना के उद्देश्य से कच्चे तेल की उपलब्धता, उपलब्ध अप्रत्यक्ष संसाधन सुविधाओं, आफ-साइट सुविधाओं और अन्य सुसंगत तकनीकी घटकों को ध्यान में रखते हुए ओ पी सी 1976 ने प्रत्येक शोधनशाला के लिए कच्चे थूपुट के मानक और मानक उत्पाद नमूना निर्धारित किया।

4.2.1 प्रत्येक शोधनशाला के लिए मानक थूपुट और मानक उत्पाद नमूना निर्धारित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि थूपुट और उत्पादन का यह वह स्तर है जहां शोधनशाला द्वारा खर्च की गई लागत के लिए उसे पूर्ण क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है और इसके निवेश पर प्रतिफल प्राप्त होता है। अन्य शब्दों में, इस प्रकार निर्धारित थूपुट का मानक स्तर ऐसा तैयार किया जाता है ताकि निर्धारित यूनिट दर के माध्यम से उनकी लागत/प्रतिफल की रिकवरी हो सके। अगर शोधनशालाएं मानक थूपुट को प्राप्त करने में असमर्थ हैं तब निर्धारित व्यय और प्रतिफल के संबंध में कम वसूली होगी और यदि शोधनशाला निर्धारित मानक से अधिक थूपुट प्राप्त करती है तो इसे अतिरिक्त मार्जिन प्राप्त होता है।

4.2.2 व्यवहारिकता के अनुसार शोधनशालाओं के मानक थूपुट की ओ सी सी द्वारा समीक्षा की जाती है यदि शोधनशालाओं में कोई बड़ी विस्तारण योजना/नई परियोजना आरंभ की गई है या जब भी पेट्रोलियम एवं

प्राकृतिक गैस मंत्रालय शोधनशालाओं के मानक उत्पाद स्तर के सामान्य अद्यतन करने के लिए निर्देश देता है। जब कभी भी अनुवर्ती नवीनीकरण किया जाता है, तो नये प्रतिमान निर्धारित करने के लिए वास्तविक निष्पादन में सभी सुधारों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

4.2.3 मानक कच्चे थ्रूपुट का ओ सी सी द्वारा संशोधन वार्षिक कामबंदी के 20 दिन के भीतर पुष्टि करने के आधार पर वास्तविक प्रतिदिन कच्चे तेल की प्राप्ति की गई आमद और आरम्भिक संसाधित यूनिट के मामले में 5 प्रतिशत आकस्मिक कूट प्रदान करने के बाद इसे ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।

4.2.4 पिछला मानक कच्चे थ्रूपुट /मानक उत्पाद स्तर का सामान्य नवीनीकरण 1 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। यद्यपि मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 1995) कि नये मानक उत्पाद प्रतिमान निर्धारित करते समय नई सुविधाओं, कच्चे तेल की उपलब्धता, गौण संसाधन आदि ध्यान में रखे गए थे, समिति की रिपोर्ट जिसके आधार पर मानक थ्रूपुट निर्धारित किए गए थे, लेखापरीक्षा के मांगने पर भी प्रस्तुत नहीं की गई।

4.2.5 31 मार्च 1994 को समाप्त तीन वर्षों के लिए विभिन्न शोधनशालाओं के मानक और वास्तविक थ्रूपुट नीचे दिये गए हैं:

शोधनशाला	1.4.89 से	वास्तविक थ्रूपुट		1.4.93 से संशोधित वास्तविक थ्रूपुट	
	मानक थ्रूपुट	1991-92	1992-93	एस टी	1993-94
एच पी सी बम्बई	5200	4700	5842	5500	5984
बी पी सी बम्बई	6000	6950	7242	6750	7207
सी आर एल कोचीन	4150	4849	5158	4700	4856
एम आर एल मद्रास	5100	5530	5314	5900	5715
एच पी सी, विजाग	3900	3929	4535	4300	4485
आई ओ सी, हल्दिया	2500	3037	3050	2750	3113
आई ओ सी, कोयाली	9000	9357	9749	9100	9431
आई ओ सी, मथुरा	7100	8236	7835	7500	8532
आई ओ सी, बरैनी	3000	2262	2287	2100	2221
आई ओ सी, गुवाहाटी	800	862	810	800	861
आई ओ सी, दिग्बोई	500	545	546	500	586
बी आर पी एल, बोगाङ्गांव	1000	1162	1117	1100	1200

4.2.6 उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 1992-93 के दौरान बरौनी के अतिरिक्त सभी शोधनशालाओं का मानक थूपुट से वास्तविक थूपुट स्पष्टतः बढ़ गया था। मानक थूपुट से वास्तविक थूपुट की वृद्धि 1.25 प्रतिशत से 24.29 प्रतिशत के बीच थी। संशोधित मानक थूपुट की तुलना में भी, एम आर एल मद्रास के अतिरिक्त सभी शोधनशालाओं का मानक थूपुट स्पष्टतः बढ़ गया था। मथुरा शोधनशाला के मामले में, एक मिलियन से ज्यादा मानक थूपुट बढ़ गया और बी पी सी एवं एच पी सी बम्बई के मामले में लगभग आधे मिलियन टन बढ़ गया था। 1993-94 में संशोधित मानकों की तुलना में वास्तविक थूपुट में 3.32 प्रतिशत से 17.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

4.2.7 तीन शोधनशालाओं के मानक थूपुट के निर्धारण की नमूना जांच में ध्यान में आए मुद्दे नीचे दिए गए हैं:

#### **एच पी सी शोधनशाला, बम्बई**

4.2.8 शोधनशाला के मानक थूपुट 5.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष 1.4.1989 से निर्धारित किया गया था। यह 345 कार्य दिवसों (नियोजित कामबंदी के लिए 20 दिन) के आधार पर 15,073 टन प्रतिदिन के स्तर के अनुरूप है। इसके प्रति, शोधनशाला द्वारा 1989-90 से 1992-93 के दौरान क्रमशः 16679, 16176, 13623 और 16934 टन प्रति दिन वास्तविक थूपुट प्राप्त किया गया।

#### **बी पी सी शोधनशाला, बम्बई**

4.2.9 इस शोधनशाला का मानक थूपुट 1 अप्रैल 1989 से 6 मिलियन टन प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था। यह 345 कार्य दिवसों के आधार पर 17391 टन प्रतिदिन के स्तर के अनुरूप है। इसकी तुलना में शोधनशाला ने वर्ष 1989-90 से 1992-93 के दौरान क्रमशः 20501, 20149, 20269 और 20991 टन प्रतिदिन के हिसाब से वास्तविक थूपुट प्राप्त किया। परिणामतः वास्तविक थूपुट में 1992-93 में 1.242 मिलियन टन (20.70% की वृद्धि) मानक थूपुट की वृद्धि हुई।

#### **आई ओ सी शोधनशाला, मथुरा**

4.2.10 इस शोधनशाला का मानक थूपुट 1 अप्रैल 1989 से 7.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया था। यह 345 कार्य दिवसों के आधार पर 20580 टन प्रतिदिन के स्तर के अनुरूप है। इसकी तुलना में शोधनशाला ने वर्ष 1990-91 से 1992-93 के दौरान क्रमशः 22662, 23872, 22710 टन प्रतिदिन के

हिसाब से वास्तविक थूपुट प्राप्त किया। परिणामतः वास्तविक थूपुट में मानक थूपुट से वर्ष 1991-92 में 1.136 मिलियन टन (16% वृद्धि) की वृद्धि हुई।

4.2.11 उपरोक्त आंकड़ों से यह देखा जाएगा कि वर्ष 1991-92 में एच पी सी, बम्बई के मामले में प्राप्त किया गया वास्तविक थूपुट आशान्वित मानक से काफी उच्च श्रेणी का था। जैसाकि पहले बताया गया है, अगर एक शोधनशाला मानक से अधिक थूपुट प्राप्त करती है तो यह अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त करती है। वर्ष 1992-93 में थूपुट मानक का निम्न स्तर होने के परिणामस्वरूप केवल 1992-93 में इन शोधनशालाओं का अतिरिक्त प्रतिफल एच पी सी, बम्बई के मामले में 626.08 लाख रु., बी पी सी, बम्बई के मामले में 1626.65 लाख रु. और मथुरा के मामले में 685.09 लाख रु. था।

4.2.12 मानक थूपुट के निर्धारण की पद्धति से यह भी पता चलता है कि ओ सी सी वास्तव में तकनीकी सुधारों की ओर ध्यान नहीं दे रहा था जो उन वर्षों के दौरान किए गए थे जो रिफाइनरी की थूपुट क्षमता बढ़ाने के लिए प्रभावी था।

4.2.13 मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 1995):

"मानक थूपुट प्राप्त सामान्य क्षमता और थूपुट में किसी प्रकार की वृद्धि रिफाइनरियों के कुशल कार्यचालन, संसाधनों के बेहतर प्रबन्धन के कारण मानक की तुलना में काम बन्दी की अवधि कम करने के कारण होती है। साथ ही शोधनशाला की भौगोलिक स्थिति की उच्च मौसमी मांग के कारण और आयात के लिए अवसंरचनात्मक कमियों के कारण शोधनशालाओं को अधिकतम प्राप्त क्षमता के साथ प्रचालन की सलाह दी जाती है। उदाहरण के लिए, मथुरा शोधनशाला जो उत्तरी भारत में एक मात्र शोधनशाला है जो प्रमुख उपभोग क्षेत्रों की मांग पूरी करती है, को हमेशा अधिकतम निष्पादन स्तर पर प्रचालन के लिए बाध्य किया जाता है। शोधनशाला उत्पाद आपूर्ति की दृष्टि से सामान्य अनुरक्षण अवधि प्राप्त नहीं कर सकेगी। तथापि, विशेषज्ञ समिति ने मानक थूपुट (संशोधित) निर्धारित करते समय शोधनशाला में नई सुविधाएं दिये जाने के साथ-साथ उच्च स्तर पर दीर्घकालिक और स्थिर निष्पादन पर जोर दिया।"

4.2.14 मंत्रालय का उत्तर विश्वसनीय नहीं है। आंकड़े, जो विगत में वास्तव में प्राप्त किए गए, आंकड़े से कम हैं, को ध्यान में रखते हुए और उसके बाद अतिरिक्त आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान को सामान्य प्राप्त

क्षमता के बराबर नहीं माना जा सकता है। जब एक शोधनशाला पूरे वर्ष उच्च वास्तविक थूपुट पर्याप्त रूप से प्राप्त कर लेती है तो इसे उच्च मौसमी मांग आयातों आदि के लिए समायोजनों के कारण समायोजन के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त निरन्तर आधार पर सामान्य मानक से काम बन्दी अवधि को घटाने पर यह पता लगता है कि या तो सामान्य काम बन्दी अवधि इतनी अधिक है या कटौती शोधनशाला के हित में नहीं थीं। मधुरा रिफाइनरी के सम्बन्ध में 1 अप्रैल 1993 से मानक में संशोधन करके 7.5 एम एम टी पी ए करने के बावजूद वास्तविक थूपुट 1993-94 में बहुत अधिक 8.532 एम एम टी था।

#### 4.3 ईंधन और हानि

4.3.0 शोधन प्रक्रिया के दौरान, शोधनशाला स्वयं ईंधन के रूप में कच्चे तेल की कुछ मात्रा उपभोग करती है और कच्चे तेल की कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है। यूकि ये दोनों तथ्य अन्ततः शोधन के लिए कच्चे तेल की निवल उपलब्धता में कमी कर देते हैं, अधिकतम क्षमता की प्राप्ति के लिए दिए गए उत्पादन प्रतिमान के संदर्भ में इन्हें कम कर देना चाहिए। धारण कीमत की गणना के उद्देश्य के लिए ईंधन और हानि के लिए प्रत्येक रिफाइनरी को कुछ निर्धारित प्रतिशतता की अनुमति दी जाती है।

4.3.1 ओ पी सी 1976 ने अपनी अनंतिम रिपोर्ट में ईंधन और हानि की कुछ मात्रा की सीमा की सिफारिश की जो ओ पी सी की तकनीकी विंग के द्वारा किए गए विस्तृत अध्ययन के आधार पर बाद में उनकी अन्तिम रिपोर्ट में संशोधन किया गया। इन सीमाओं में अद्यतन कूड़ मिश्रण और गौण संसाधन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ओ पी सी आर सी 1984 द्वारा और संशोधन किया गया जिसे ओ पी सी 1976 से विभिन्न रिफाइनरियों में लागू किया गया था।

4.3.2 कुछ शोधनशालाओं के संबंध में ओ पी सी सी द्वारा इस सीमा में संशोधन किया गया जो ओ पी आर सी रिपोर्ट के बाद विस्तृत किया गया। उसके बाद, ओ पी सी ने पुनः अप्रैल 1989 से और पुनः अप्रैल 1993 से इस सीमा में संशोधन किया। निम्नलिखित तालिका समय-समय पर विद्यमान ईंधन और हानि की स्थिति दर्शाती है:-

(थ्रूपुट के प्रतिशतता में आंकड़े)

शोधनशाला	ओ पी सी	ओ सी आर सी	अप्रैल 1989 से	अप्रैल 1993 से
	1976	1984	प्रभावी संशोधन	प्रभावी संशोधन
बी पी सी, बम्बई	5.81	5.06	6.9	5.9
एच पी सी, बम्बई	5.36	5.94	6.3	4.95
एच पी सी, विजाग	7.44	8.64	6.5	6.53
एम आर एल, मद्रास	8.77	7.36	7.8	6.8
सी आर एल, कोचीन	5.58	4.03	5.8	5.94
आई ओ सी, गुवाहाटी	9.00	9.00	9.1	8.50
आई ओ सी, बरौनी	7.55	7.17	8.5	9.05
आई ओ सी, गुजरात	5.35	7.50	6.0	5.53
आई ओ सी, हल्दिया	9.56	8.48	10.0	6.87
आई ओ सी, मधुरा	-	6.61	5.7	5.76
आई ओ सी, दिग्बोई	5.24	3.40	14.6	14.80
बी आर पी एल, बोगाइगांव	-	11.00	9.8	7.64

4.3.3 निम्नलिखित तालिका शोधनशालाओं के संबंध में उनसे संबंधित सीमा की तुलना में वास्तविक हानियों की स्थिति दर्शाती है :-

शोधनशाला	मानक	वास्तविक			वास्तविक के प्रति अधिक मानक की प्रतिशतता		
		90-91	91-92	92-93	90-91	91-92	92-93
एच पी सी, बम्बई	6.3	5.5	5.6	5.4	14.55	12.50	16.67
एच पी सी, विजाग	6.5	6.8	6.4	5.7	(4.41)	1.56	14.04
बी पी सी, बम्बई	6.9	5.4	5.1	5.4	27.78	35.29	27.78
एम आर एल, मद्रास	7.8	7.3	6.9	7.3	6.84	13.02	6.85
सी आर एल, कोचीन	5.8	4.9	5.5	5.1	18.37	5.45	13.72
आई ओ सी, हल्दिया	10.0	8.2	8.0	7.9	21.95	25.00	26.58
आई ओ सी, कोयाली	6.0	5.5	4.7	4.9	10.91	27.66	22.45

आई ओ सी, मथुरा	5.7	5.2	5.0	5.2	9.62	14.00	9.62
आई ओ सी, गुवाहाटी	9.1	8.8	8.0	7.5	3.41	13.75	21.33
आई ओ सी, बरैनी	8.5	8.3	8.0	7.5	2.41	6.25	13.33
आई ओ सी, दिग्बोई	14.6	13.4	13.0	13.5	8.96	12.31	8.15
बी आर पी एल, बोगाइगांव	9.8	7.5	7.4	7.4	30.67	32.43	32.45

(1993-94 से वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।)

4.3.4 उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि निर्धारित सीमा की तुलना में लगभग सभी शोधनशालाओं में इन तीन वर्षों के दौरान ईंधन और हानि में बचत हुई है और प्रतिशतता के अनुसार बचत निम्न के बीच रही:-

बी पी सी, बम्बई	21.74 और 26.08
आई ओ सी, हल्दिया	18 और 21
बी आर पी एल, बोगाइगांव	23.47 और 24.49
आई ओ सी, कोयाली	8.33 और 21.67
आई ओ सी, गुवाहाटी	3.30 और 17.58
सी आर एल, कोचीन	5.17 और 15.52
एच पी सी, बम्बई	11.11 और 14.29
आई ओ सी, मथुरा	8.77 और 12.28
आई ओ सी, बरैनी	2.35 और 11.76
आई ओ सी, दिग्बोई	7.53 और 10.95

4.3.5 उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि ईंधन और हानि के संबंध में निर्धारित सीमा अधिक है। यह देखा गया कि प्रत्येक शोधनशाला के लिए ईंधन और हानि की प्रतिशतता मूलतः ऐतिहासिक आंकड़ों के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है जो उत्पाद प्रतिमान संदर्भ अपनाये और संशोधित किये गए, / किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, पूर्ववर्ती वर्षों में हानि आगामी वर्षों में हानि अनुमत करने के लिए आधार होती है। इसलिए ईंधन और हानि की अधिक प्रतिशतता के विरुद्ध रोकथाम नहीं है। दूसरी ओर अकुशल प्रचालन को ईंधन और हानि की उच्च प्रतिशतता लाभ मिलता है जो क्षतिपूर्ति के लिए आधार स्वरूप अपनाया गया था। जहां कही भी इस आधार पर निर्धारित मानक प्राप्त किए गए ईंधन और हानि की मात्रा से उच्च है, वहां ईंधन और हानि की न्यून

प्रतिशतता कुशलता के बिना प्राप्त होती है जिसके परिणामस्वरूप बेहतर उत्पाद प्रतिमान और परिणामिक लाभ होता है जैसाकि मूल्य निर्धारण व्यवस्था में प्रावधान है।

4.3.6 प्रसंगवश, यह उल्लेखनीय है कि 1992 में एशियन विकास बैठक के कहने पर एक अन्तर्राष्ट्रीय छाती की परामर्शी फर्म द्वारा किए गए अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि यू एस और अन्यत्र शोधनशालाओं की तुलना में भारतीय शोधनशालाओं के लिए हानि के आंकड़े निरपवाद रूप से अधिक थे। यदि भारत की रिफाइनरियों की हानियां स्वीकार्य स्तरों तक लाई जाती तो प्रतिवर्ष 45.50 भिलियन अमरीकी डालर की बचत होती। यदि उपरोक्त अभ्युक्ति को ध्यान में रखकर मानक और वास्तविक हानियों को देखा जाए तो यह देखने में आएगा कि मानक उदारता पूर्वक निर्धारित किया गया है।

4.3.7 मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 1995) कि यू एस रिफाइनरियों के साथ थूपुट के वास्तविक ईंधन और हानि की प्रतिशतता के रूप में तुलना तकनालोजी और कूड़ संसाधन के स्वरूप में पर्याप्त अन्तर को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं था। मूल्य वृद्धि में सुधार के लिए कठिपय रिफाइनरियों की जटिलता में वृद्धि के आधार पर कुछ मामलों में ईंधन और हानि की प्रतिशतता बढ़ सकती है।

#### 4.4 प्रति कर्मचारी थूपुट

4.4.0 निम्नलिखित तालिका 1991-92 से 1993-94 के लिए तुलनात्मक शोधनशालाओं के संबंध में प्रति कर्मचारी थूपुट दर्शाती है :-

शोधनशाला	प्रति कर्मचारी थूपुट		
	1991-92	1992-93	1993-94
आई ओ सी, कोयाली	3662.35	3618.71	3381.53
आई ओ सी, मथुरा	4890.74	4644.25	4790.61
एच पी सी, विजाग	3678.71	4107.72	3813.78
एच पी सी, बम्बई	3812.13	3894.80	3873.24
बी पी सी, बम्बई	2529.96	2800.46	2872.54

4.4.1 उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि प्रति कर्मचारी धूपुट और उसी रिफाइनरी के संबंध में वर्षानुवर्ष धूपुट के बीच काफी अन्तर है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जबकि प्रत्येक रिफाइनरी के लिए मानक धूपुट निर्धारित था, मानक धूपुट का स्तर प्राप्त करने के लिए अपेक्षित मानक श्रमबल निर्धारित नहीं किया गया था। ओ सी आर सी ने भी टिप्पणी की है कि शोधनशालाओं में श्रमशक्ति की आलोचनात्मक समीक्षा की जाय और जहाँ कहीं अधिक श्रमशक्ति हो वहाँ उन्हें नई क्रियाकलापों/दीर्घकालिक परियोजनाओं में लाभकर ढंग से नियोजित किया जाना चाहिए। प्रत्येक शोधनशाला के लिए श्रमशक्ति के मानक निर्धारित न करने पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (सं.7) 1989 में भी टिप्पणी की गई थी।

#### 4.5 प्रोत्साहन योजनाएं

4.5.0 सामान्य प्रतिफल के अलावा शोधनशालाएं कुछ प्रोत्साहन योजनाओं के लिए योग्य हैं। अध्ययन के लिए ऐसी दो योजनाएं हाथ में ली गई और उन पर नीचे के पैराग्राफों में प्रकाश डाला गया है।

#### एल पी जी प्रोत्साहन योजना

4.5.1 वर्तमान मूल्य निर्धारण तंत्र के अन्तर्गत शोधनशाला में प्रचालन लागत और एल पी जी फिलिंग प्लांट में निवेश पर प्रतिफल को शोधनशाला की लागत और प्रतिफल के भाग के रूप में माना जाता है। ऐसी शोधनशाला के संबंध में जिनमें एल पी जी फिलिंग प्लांट है, पैक किए गए एल पी जी की मानक मात्रा एल पी जी बल्कि फिलिंग निर्धारित करती है। रिफाइनरी की कुल प्रचालन लागत से एल पी जी(पैकड) की मानक मात्रा के लिए 200 रु. प्रतिटन की दर पर संगणित काल्पनिक राशि और एल पी जी (बल्क) की मानक मात्रा के लिए 50 रु. प्रतिटन की दर पर घटा दिया जाता है और रिफाइनरी के लिए केवल प्रचालन लागत पर विचार किया जाता है।

4.5.2 शोधनशाला द्वारा भरे गये (पैक किए गए) एल पी जी के प्रतिटन के लिए मार्केटिंग कम्पनी शोधनशाला को 200 रु. प्रतिटन की दर पर राशि का भुगतान करती है। इसी तरह, मार्केटिंग कम्पनी शोधनशाला द्वारा आपूर्त एल पी जी (बल्क) के लिए 50 रु. प्रतिटन की दर पर राशि का भुगतान करती है।

4.5.3 मानक की तुलना में भरी गई वास्तविक मात्रा में कमी की सीमा तक एल पी जी (पैक किए गए) के लिए 200 रु. प्रतिटन की दर पर राशि और एल पी जी (बल्क) के लिए 50 रु. प्रति टन की दर पर राशि रिफाइनरी अभ्यर्पित करती है। दूसरे शब्दों में इस तथ्य का ध्यान किए बिना कि एल पी जी प्लांट चलती है

या नहीं, रिफाइनरी की धारण मार्जिन संगणित करने में रिफाइनरी की प्रचालन लागत से जो राशि कम की जाती है उसका रिफाइनरी को पुनः भुगतान कर दिया जाता है।

4.5.4 वर्तमान प्रोत्साहन योजना के अनुसार एल पी जी (पैक किए गए) फिलिंग को अधिकतम बनाने के लिए रिफाइनरी को मानक मात्रा से अधिक उनके द्वारा भरी गई (पैक किए गए) के लिए 50 रु. प्रतिटन की दर पर राशि का दावा करने की अनुमति दी जाती है।

4.5.5 निम्नलिखित तालिका कुछ शोधनशालाओं में 31 मार्च 1994 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान उसके प्रति प्राप्त वास्तविक की तुलना में प्रत्येक रिफाइनरी के लिए एल पी जी (पैकड़) के लिए निर्धारित मानक दर्शाती है :-

(शोधनशाला के एल पी जी फिलिंग (पैकड़) के लिए मानक और उसके प्रति वास्तविक प्राप्ति)

(000 मी.ट. में)

कम्पनी का नाम और वर्ष	मानक फिलिंग मात्रा	वास्तविक फिलिंग (2-3)	अन्तर की मात्रा				
			1	2	3	4	
<b>आई ओ सी-गुवाहाटी</b>							
- 1991-92	6	4.40				1.60	
- 1992-93	6	3.51				2.40	
- 1993-94	6	5.89				0.11	
<b>आई ओ सी- गुवाहाटी</b>							
- 1991-92	102	61.06				38.94	
- 1992-93	102	67.62				34.38	
- 1993-94	102	54.62				47.38	
<b>आई ओ सी-हल्दिया</b>							
- 1991-92	20	0.31				19.69	
- 1992-93	20	16.44				3.56	
- 1993-94	20	18.73				1.27	

### आई ओ सी- बरौनी

- 1991-92	15	12.16	2.84
- 1992-93	15	7.01	7.99
- 1993-94	15	12.48	2.52

### बी पी सी- बम्बई

- 1991-92	156	160.57	( 4.57 )
- 1992-93	156	127.40	28.60
- 1993-94	156	119.13	36.87

4.5.6 जैसा देखा जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि मानक फिलिंग से अधिक पैक किए गए प्रतिटन के लिए 50 रु. प्रोत्साहन दिया जाता है, मानक की तुलना में एल पी जी (पैकड) की कम फिलिंग की गई है। यह निम्न कारणों से है :-

4.5.7 शोधनशाला के फिलिंग प्लांट की समस्त लागत और प्रतिफल की वास्तविक फिलिंग का ध्यान रखे बिना पूरी भरपाई की जाती है। पैकिंग किए गए में कमी का अर्थ बल्क में अधिकता है और बल्क में अधिकता का अर्थ कम फिलिंग। एल पी जी (पैकड) की कम फिलिंग के लिए शोधनशाला पूल से 200 रु. प्रतिटन की दर से क्षतिपूर्ति प्राप्त करती है, अधिक एल पी जी (बल्क) फिलिंग के लिए 50 रु. प्रतिटन की दर से अन्यर्पित करती है। इसलिए एल पी जी (पैकड) की बल्क में संचलन की बजाए एल पी जी (पैकड) की कम फिलिंग के द्वारा रिफाइनरी को न केवल एल पी जी (पैकड) की लागतों की बचत होती है बल्कि इसे 150 रु. प्रतिटन की दर से लाभ भी होता है। 31 मार्च 1994 को समाप्त तीन वर्षों के लिए कम्पनी को इस प्रकार के लाभ की राशि 338.53 लाख रु. बनती थी।

4.5.8 मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 1995) कि " एल पी जी एक संवेदनशील उत्पाद है और इसका संचलन, पैकड और बल्क दोनों ही अखिल भारतीय के आधार पर बड़े ध्यान से मानीटर किया जाता है। वास्तव में एल पी जी का संचलन बाजारों में उपभोक्ता केन्द्रों को दिए गए लिंकेज पर आधारित होता है। शोधनशाला और बाजार की कम्पनियों के बोटलिंग संयंत्रों का उपयोग फिलिंग क्षमता के मानक स्तर तक एल पी जी की समग्र उपलब्धता के अध्यधीन होता है ताकि उपभोक्ता को उपलब्ध कराने पर न्यूनतम लागत सुनिश्चित की जा सके।"

4.5.9 मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एल पी जी (पैकड) की फिलिंग में कमी की क्षतिपूर्ति की वर्तमान योजना अननुद्भूत लागत के लिए क्षतिपूर्ति के कारण है, अतः अनुचित लाभ हुआ।

#### **विकसित उत्पाद प्रतिमान के लिए प्रोत्साहन भुगतान योजना**

4.5.10 उत्पाद प्रतिमान में सुधार के लिए प्रोत्साहन योजना के अनुसार यदि मानक उत्पाद प्रतिमान (एस पी पी) की अपेक्षा वास्तविक उत्पाद प्रतिमान (ए पी पी) के अनुसार वास्तविक निष्पादन बेहतर हो तो रिफाइनरियों को अतिरिक्त मार्जिन अनुमति किया जाता है। तथापि, चूंकि ए पी पी की एस पी पी के साथ सीधे तुलना नहीं की जा सकती, निम्नलिखित अन्तरों के कारण सही वास्तविक प्रतिमान निकालने के लिए वास्तविक उत्पादन के आंकड़े समायोजित किए जाते हैं :-

- (i) कच्चे तेल का मिश्रण
- (ii) कच्चे थूपुट का स्तर
- (iii) शासकीय निर्देशन

4.5.11 प्रोत्साहन दावों की गणना के उद्देश्य के लिए विभिन्न उत्पादों के उत्पादन की मात्रा को प्रत्येक उत्पाद के लक्षण का प्रयोग करके समरूप उत्पादन एस के ओ में परिवर्तित किया जाता है। ओ सी सी द्वारा पारित तीन रिफाइनरियों के प्रोत्साहन दावे की नमूना जांच की गई। यह ध्यान में आया कि जब ए टी एफ, एल डी ओ और बिट्मन के संबंध में ए पी पी और एस पी पी में अन्तर होता है तो अन्य उत्पादों अर्थात् एस के ओ, एच एस डी आदि में तदनुरूपी समायोजन करके मानक स्तर तक इसे समायोजित किया जाता है। यद्यपि इसके लिए सरकार के निर्देश नहीं थे। इन समायोजनों के बाद इस प्रकार के परिवर्तन के परिणामस्वरूप 1991-92 को समाप्त तीन वर्षों के लिए इन रिफाइनरियों को 24.81 करोड़ रु. तक अनुचित लाभ हुआ।

4.5.12 मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 1995) : "सतत प्रथा के रूप में ए टी एफ, बिट्मन और एल डी ओ जैसे उत्पाद मांग अर्थात् रिफाइनरी में उत्पादन में बाजार में उतार घटाव के लिए समायोज्य उत्पादों के रूप में माने जाते हैं। एक रिफाइनरी में उत्पादन नियोजन ओ सी सी/मंत्रालय द्वारा निरन्तर मानीटर किया जाता है। अतः ओ सी सी द्वारा अपनाई गई प्रथा योजना की परिचालनात्मक आवश्यकता है और रिफाइनरियों को

अनुचित लाभ नहीं माना जा सकता है। रिफाइनरी के लिए प्रोत्साहन योजना और सी सी द्वारा उसी रूप से कार्यान्वित की जाती है जिस रूप से यह लागू की गई है।"

4.5.13 उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ए टी एफ, बिटुमन और एल डी ओ के सम्बन्ध में ए पी पी के इस प्रकार समायोजन वर्तमान प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

## अध्याय 5

### मार्केटिंग और वितरण

#### 5.1 मार्केटिंग लागत

5.1.0 रिफाइनरियों से मूल्य निर्देशित उत्पाद और केनालाइज़ आयातों को रिफाइनरी पर मूल्य पर विपणन कम्पनियों को अन्तरित किया जाता है। आयातित उत्पादों की भूमि पर लागत और शोधनशाला पर मूल्य के बीच अन्तर को आयल पूल लेखे में समायोजित किया जाता है। मार्केटिंग कम्पनियों को उनकी प्रदालन लागत, उत्पाद हानियों (विशिष्ट लागत) और प्रतिधारण धारणाएँ अन्तर्गत पूँजी पर प्रतिफल के लिए क्षतिपूर्ति की जाती है। ये सभी तीन एक साथ मिलकर मार्केटिंग मार्जिन होते हैं।

5.1.1 निम्नलिखित तालिका विभिन्न मार्केटिंग कम्पनियों को विभिन्न मूल्य अवधियों में अनुमत प्रतिष्ठापन वितरण और प्रशासन जैसे सामान्य विपणन लागत दर्शती है :-

(रु./कि.ली.)

मूल्यावधि	कम्पनी						आई वी पी	व्ययित %
	आई ओ सी	व्ययित %	वी पी सी	व्ययित %	एच पी सी	व्ययित %		
1984-87	24.82		29.14		24.87		22.34	
1987-90	33.17	33.6	46.18	58.5	43.66	75.6	33.31	49.1
1990-93	45.53	37.53	62.51	35.4	62.64	43.5	54.05	62.3
184-87 की तुलना में								
1990-93 में प्रतिशतता								
में बुद्धि	83.4		114.5		151.9		141.0	

नोट: उपरोक्त विश्लेषण में विशिष्ट लागत और निवेश पर प्रतिफल शामिल नहीं हैं। यह केवल/सामान्य लागत के द्योतक है।

5.1.2 जिस आधार पर विपणन मार्जिन निर्धारित किए गए थे और सम्बन्धित ब्यौरेवार कागजात लेखापरीक्षा के लिए ओ सी सी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे और अतः लेखापरीक्षा मार्जिन के तर्क संगत होने पर टिप्पणी नहीं दे सकी। यद्यपि मंत्रालय ने बताया कि विपणन मार्जिन सरकार द्वारा ओ सी आर सी मानक के अनुसार निर्धारित की गई थी, सितम्बर 1995 में अपने उत्तर भेजते समय भी मंत्रालय ने कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया। प्रसंगवश यह उल्लेखनीय है कि ओ सी आर सी ने एक समान विपणन मार्जिन की सिफारिश

की जो सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई और सरकार ने प्रति धारण आधार पर विपणन मार्जिन निर्धारित किया।

5.1.3 विभिन्न अवधियों के दौरान सभी घार मार्केटिंग कम्पनियों की मार्केटिंग लागत वाली कुछ चुनी हुई मदों का विश्लेषण नीचे दिया गया है :-

	1982-83		1989-90		1992-93		1993-94	
	करोड़	कुल	करोड़	कुल	करोड़	कुल	करोड़	कुल
	रु. में	%						
वेतन	53.51	46	183.00	40	293.71	42	321.39	38
<b>मंडार एवं फालतू</b>								
<b>पुर्जे पावर एवं</b>								
ईंधन	7.90	6	42.44	9	45.30	6	55.50	6
आर एण्ड एम	14.98	13	58.11	13	72.10	10	90.14	11
ऊपरी व्यव	40.70	35	176.77	38	297.41	42	388.44	45
<b>जोड़</b>	<b>117.09</b>	<b>100</b>	<b>460.32</b>	<b>100</b>	<b>708.52</b>	<b>100</b>	<b>855.47</b>	<b>100</b>

5.1.4 जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वेतन एवं मजदूरी और ओवरहैड्स लेखे जोड़ के 75 प्रतिशत से अधिक है। विभिन्न विपणन क्रिया कलापों के लिए अपेक्षित श्रमशक्ति के लिए मानक विकसित नहीं किए गए हैं। मार्केटिंग मार्जिन मानक के संदर्भ में निर्धारित नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि ऐतिहासिक लागत विपणन लागतों के लिए क्षतिपूर्ति के लिए आधार होती है अतः नियंत्रण लागतों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। इसके अलावा श्रमबल लागतों का कोई विभेदक या पृथक्करण नहीं है जो मुक्त व्यापार उत्पादों के विपणन में अपेक्षित है। जबकि तेल विपणन कम्पनियां मूल्य निर्धारण तंत्र के माध्यम से अपनी पूरी लागत की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर लेती हैं साथ मुक्त व्यापार उत्पादों पर लाभ अर्जित करती हैं, जो मूल्य निर्धारण व्यवस्था से बाहर है, उनके द्वारा रख लिया जाता है।

5.1.5 मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 1995) कि सभी आयल कम्पनियों के लिए एक समान आधार मानकों का विकास व्यवहारिक कठिनाईयों से रुका जमा हुआ था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि यद्यपि एक समान मार्जिन के लिए मानकों का विकास नहीं किया गया था, दो आयल कम्पनियों के बीच एक तरह के प्रचालनों के लिए एक सी लागतों की तुलना की गई थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि यद्यपि श्रमबल लागतों के लिए संक्षिप्त

मानक विकसित नहीं किए गए थे, तेल कम्पनियों ने श्रमबल की भर्ती और नियोजन पर निकट से ध्यान रखा। मुक्त व्यापार उत्पादों के विपणन कि लिए नियोजित श्रमबल के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि उन्हें मूल्य निर्धारण तन्त्र से बाहर रखा गया था।

5.1.6<sup>c</sup> मार्जिन के निर्धारण के लिए विस्तृत वर्किंग शीट के अभाव में, मुक्त व्यापार उत्पादों को मूल्य निर्धारण से बाहर रखने के लिए श्रमबल के बारे में मंत्रालय के तर्क का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका। विपणन लागतों के लिए मानक विकसित न करने के मंत्रालय के कारण भी स्वीकार्य नहीं है। विभिन्न विपणन क्रियाकलापों के लिए मानक का विकास आवश्यक है क्योंकि विद्यमान मूल्य निर्धारण व्यवस्था के अधीन लागतों की पूरी क्षतिपूर्ति की जाती है। इस सम्बन्ध में तेल मूल्य निर्धारण व्यवस्था के विश्लेषण के बारे में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (1989 की सं.7) के पैरा 4.5 के अनुसार यह देखा गया कि ओ सी आर सी ने 1984 में विपणन के लिए एक समय मार्जिन का पक्ष लिया किन्तु उसे भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। ओ सी आर सी ने कहा (जून 1991) कि धारण संकल्पना में जटिलता की स्थिति है जिसने इस पहलू की भी जांच की और धारण मार्जिन को जारी रखने का पक्ष लिया किन्तु यह सिफारिश की कि एक समान उद्योग मार्जिन की दिशा में कार्रवाई की जानी चाहिए। ओ सी आर सी की सिफारिशों और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पूर्व की रिपोर्ट के बावजूद विभिन्न विपणन कार्यों के लिए और उनकी लागतों के लिए मानक विकसित नहीं किए गए हैं। प्रत्येक तेल कम्पनी के लिए लागू मानक विकसित करने की आवश्यकता है।

5.1.7 विपणन लागतों की क्षतिपूर्ति के लिए विद्यमान धारण संकल्पना में लागत की कटौती के प्रयास के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है क्योंकि ऐतिहासिक लागत भविष्य के मार्जिन का आधार होती है। जबकि एक मूल्य निर्धारण अवधि में लागत में कटौती लाभप्रद हो सकती है, अगली मूल्य निर्धारण अवधि के लिए वही मार्जिन के निर्धारण के लिए अहितकर साबित हो सकती है।

## 5.2 विक्री योजना हकदारी

5.2.0 विभिन्न रिफाइनरियों में उत्पादित पेट्रोलियम उत्पाद और देश में केनालाइज्ड आयातों को चार लोक क्षेत्र उपक्रम की तेल विपणन कम्पनियां अर्थात आई ओ सी, बी पी सी, एच पी सी और आई बी पी द्वारा बाजार में बेचा जाता था। सेल्स प्लान हकदारी (एस पी ई) की संकल्पना मूल्य निर्देशित पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के लिए 1976 से विद्यमान है। प्रत्येक कम्पनी की एस पी ई पूर्व निर्धारित होती है और विपणन

कम्पनियों से यह आशा की जाती है कि वे विनियमित और किफायती विपणन के लिए एस पी ई का अनुपालन करें। ओ पी सी ने 1976 में सिफारिश की कि आई ओ सी का विपणन शेयर जो 65 प्रतिशत था, प्रगामी रूप से घटाकर 55 प्रतिशत कर दिया जाए। 1988 तक तेल कम्पनियों की उत्पादवार एस पी ई इंडियन आयल कम्पनी की बढ़ी हुई प्रमात्रा में 50 प्रतिशत भार देने के बाद निकाला गया और शेष 50 प्रतिशत 1976-77 में उनके बाजार शेयर के अनुपात में अन्य तेल कम्पनियों द्वारा शेयर कर लिया गया, इस प्रकार आई ओ सी का शेयर 1987-88 में धीरे-धीरे 56.7 प्रतिशत रह गया।

5.2.1 1988 में, एस पी ई के लिए भारत सरकार द्वारा संशोधित नीति बनाई गई जिसके अनुसार आयल कम्पनियों को 1987-88 के एस पी ई पर आधारित एक समान वृद्धि दर सिवाय एल पी जी के मामले में जहां आई ओ सी ने 50 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त की और एच पी सी तथा बी पी सी ने शेष 50 प्रतिशत को बराबर-बराबर शेयर किया, अनुमत की गई थी। संशोधित नीति में पूँजी पर 100% प्रतिशत प्रतिफल और सामान्य लागत (प्रचालन) का 50 प्रतिशत (पूँजी पर प्रतिफल का 60 प्रतिशत और एम एस/एच एस डी की खुदरा बिक्री के मामले में सामान्य लागत का 50 प्रतिशत) एस पी ई से अधिक बिक्री के संबंध में पूल को अभ्यर्पित करना विहित था और कमी के लिए पूल से तदनुरूपी दावा किया जाना था। वास्तव में यह योजना 1 अक्टूबर 1989 से लागू की गई।

5.2.2 निम्नलिखित तालिका वर्ष 1990-91 से 1993-94 की अवधि के दौरान प्रत्येक आयल कम्पनी की एस पी ई और वास्तविक बिक्री दर्शाती है:-

		1990-91			1991-92			1992-93			(मात्रा एम एम टी में)		
		एस पी ई	वास्तविक	एस पी ई	वास्तविक	एस पी ई	वास्तविक	एस पी ई	वास्तविक	एस पी ई	वास्तविक		
आई ओ सी	मात्रा	30.5	29.9	31.5	30.9	32.7	31.6	33.3	31.8	प्रतिशत	56.9	55.9	56.9
	प्रतिशत	56.9	55.9	56.9	55.6	56.9	55.0	56.7	54.2	मात्रा	10.0	10.1	10.3
बी पी सी	मात्रा	10.0	10.1	10.3	10.4	10.7	11.0	11.0	11.7	प्रतिशत	18.7	18.9	18.6
	प्रतिशत	18.7	18.9	18.6	18.7	18.6	19.2	18.7	19.9	मात्रा	10.2	10.4	10.6
एच पी सी	मात्रा	10.2	10.4	10.6	10.9	11.0	11.3	11.2	11.7	प्रतिशत	19.0	19.4	19.2
	प्रतिशत	19.0	19.4	19.2	19.6	19.2	19.6	19.1	19.9	मात्रा	2.0	2.3	2.1
आई बीपी	मात्रा	2.0	2.3	2.1	2.5	2.1	2.7	2.2	2.8	प्रतिशत	3.7	4.3	3.7
	प्रतिशत	3.7	4.3	3.7	4.5	3.7	4.7	3.8	4.8	मात्रा	0.9	0.8	0.9
ए ओ डी/आई ओ सी	मात्रा	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.7	प्रतिशत	1.7	1.5	1.6
	प्रतिशत	1.7	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.7	1.2	जोड़ (मात्रा)	53.6	53.5	55.6
क्यू = मात्रा		% = प्रतिशत	ए सा टी = वास्तविक			55.6	57.4	57.5	58.7				

5.2.3 तालिका से यह देखा जा सकता है कि जबकि आई ओ सी अपनी एस पी ई प्राप्त करने में असमर्थ थी, बी पी सी, एच पी सी और आई बी पी की एस पी ई सभी वर्षों में अधिक थी। उत्पादवार एस पी ई और बिक्री के विश्लेषण से यह पता लगा कि एच पी सी और बी पी सी के मामले में एस पी ई से अधिक वास्तविक

बिक्री मुख्यतः एम एस और एच एस डी में थी। अन्य उत्पादों में एच पी सी और बी पी सी अपनी एस पी ई प्राप्त नहीं कर सकी। आई ओ सी के मामले में इसके विपरीत था। यह मुख्यतः इस कारण था कि आई ओ सी के पास एस पी ई के अनुरूप एम एस और एच एस डी के लिए खुदरा आउट लेट की संख्या कम थी।

5.2.4 अपने वर्तमान आकार में एस पी ई विपणन पहल को रोकती है। उदारीकरण और वैसा ही विपणन अनुमत करने के संदर्भ में फ्रोजेन एस पी ई के आकार और बिक्री की अधिक उपलब्धि के अभ्यर्पण और कम उपलब्धि के लिए क्षतिपूर्ति की समीक्षा की आवश्यकता है।

5.2.5 मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 1995) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्ति नोट कर ली गई है।

### 5.3 उत्पाद हानियां

5.3.0 विपणन कम्पनियों के लिए मार्जिन में मुख्य प्रतिष्ठापन और डिपुओं में स्टाक हानियों के लिए क्षतिपूर्ति शामिल होती है। क्षतिपूर्ति अलग-अलग उत्पाद के लिए भिन्न-भिन्न होती है। ओ पी सी (1976) द्वारा विकसित स्टाक हानि प्रतिमानों पर आधारित क्षतिपूर्ति में अनुवर्ती संशोधनों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। निम्न तालिका ओ पी सी (1976) और ओ सी आर सी (1984) द्वारा विचाराधीन स्टाक हानियों के लिए प्रतिमान और एम एस, एच एस डी और एस के ओ के सम्बन्ध में बेचे गए उत्पाद की प्रति यूनिट स्टाक हानियों के लिए क्षतिपूर्ति दर्शाती है:-

उत्पाद	बिक्री की प्रतिशतता के रूप में स्टाक हानि	स्टाक हानियों के लिए विपणन मार्जिन में क्षतिपूर्ति	
	ओ पी सी	ओ सी आर सी	रु./बिक्री के लिए
एम एस	0.50	0.50	19.56
एच एस डी	0.12	0.12	1.78
एस के ओ	0.28	0.28	6.41

5.3.1 1990-91 से 1993-94 के दौरान विभिन्न विपणन कम्पनियों की वास्तविक स्टाक हानियां/(लाभ) निम्न प्रकार थे :-

एम एस	(विकी की प्रतिशतता के रूप में)											
	एच एस डी					एस के ओ						
	(प्रत्येक उत्पाद के लिए 1990-91 से 1993-94 तक कालम)											
आई ओ सी	0.01	0.00	0.07	0.05	(0.10)	(0.08)	(0.05)	(0.07)	(0.05)	(0.02)	(0.01)	(0.05)
बी पी सी	0.34	0.36	0.17	0.15	0.16	0.13	0.04	0.03	0.12	0.07	0.00	0.00
एच पी सी	0.14	0.14	0.11	0.10	(0.02)	(0.02)	(0.06)	0.00	(0.03)	(0.00)	0.01	(0.03)
आई बी पी	0.14	0.16	0.08	0.21	(0.08)	(0.19)	(0.12)	(0.11)	(0.10)	(0.28)	(0.32)	(0.20)

5.3.2 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है ओ पी सी 1976 द्वारा निर्धारित हानि प्रतिमानों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हालांकि वास्तविक हानियों में काफी कमी हुई है और वास्तव में कई उदाहरणों में लाभ हुए। अतः स्टाक हानियों के लिए प्रतिमानों में संशोधन की आवश्यकता है।

## पूँजी पर प्रतिफल

6.1.0 परिष्करण और विपणन लागतों की क्षतिपूर्ति के लिए अवधारण धारणा को अपनाने के साथ पूँजी पर प्रतिफल परिष्करण और विपणन मार्जिन में एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। ओ सी सी 1976 की अनुशंसा पर आधारित, सरकार ने परिष्करण, विपणन और पाइपलाइन प्रचालनों के लिए नियोजित पूँजी (निवल स्थायी परिसम्पत्तियाँ + आदर्शी कार्यकारी पूँजी) पर 15 प्रतिशत का प्रतिफल निर्धारित किया था। ओ सी आर सी 1984 जिसने विस्तृत रूप में इस पहलू की जांच की, ने नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से निवल मूल्य पर प्रतिफल के परिवर्तन की अनुशंसा की। परिवर्तन के लिए ओ सी आर सी द्वारा दी गई दलील यह थी कि मौजूदा प्रणाली भावी परियोजनाओं में लगाने के लिए कम्पनियों के पास पर्याप्त आंतरिक संसाधन उत्पन्न नहीं करती थीं। ओ सी आर सी ने यह भी कहा कि संशोधित आधार सामान्यतया कम्पनियों को बेहतर प्रतिफल प्रदान करेंगे ताकि कम्पनियाँ कम से कम आंशिक रूप में अपनी भावी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए अधिक निधियाँ उत्पन्न करने में सक्षम हो सकें। निम्नलिखित योजना, जो अब प्रचालन में है, ओ सी आर सी की अनुशंसाओं पर आधारित है।

6.1.1 नियोजित पूँजी निवल स्थायी परिसम्पत्तियों (मूल्य निर्देशित उत्पादों के विपणन और परिष्करण में नियोजित) आदर्शी कार्यकारी पूँजी की राशि होती है। इस आंकड़े में सामान्यतया तीन वर्षों की मूल्य निर्धारण अवधि के दौरान कोई संशोधन नहीं किया जाता। इसे प्रथमतः तुलन पत्र के अनुसार वास्तविक निवल मूल्य द्वारा निधियन किया माना जाता है। नियोजित शेष पूँजी को उधार ली गई निधियों द्वारा निधियन किया माना जाता है। जबकि निवल मूल्य पर 12 प्रतिशत का पश्च कर प्रतिफल अंजित किया जाता है वही उपरोक्त के अनुसार ली गयी उधार निधियों को वास्तव में उधार ली गई निधियों की भारित औसत ब्याज दर पर क्षतिपूरित किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए निवल मूल्य इकिवटी और मुफ्त आरक्षित के तुलनपत्र के आंकड़ों की कुल राशि होता है तथा वर्ष के लिए निवल मूल्य वर्ष के आरम्भ में और वर्ष की समाप्ति पर तुलनपत्र के अनुसार निवल मूल्य का औसत होता है। विशेष वर्ष (सामान्यतया मूल्य निर्धारण अवधि के प्रारम्भ में) के निवल मूल्य को निर्धारित किए गए अवधारण मूल्य में पूँजी पर प्रतिफल और निवल मूल्य में अनुवर्ती वृद्धि, जिस सीमा तक यह नियोजित पूँजी (उपरोक्त के अनुसार संगणित और अवरोधित) से अधिक न हो, को निर्धारित करने, पूल से अतिरिक्त निवल मूल्य दावे के रूप में उधार ली गई निधियों की भारित औसत दर तथा 12 प्रतिशत पश्च कर के बीच अन्तर निकालने के लिए ध्यान में रखा जाता है।

6.1.2 निम्नलिखित तालिका पिछली दो मूल्य निर्धारण अवधियों अर्थात् 1987-90 और 1990-93 के मूल्य निर्धारण तथा प्रत्येक मूल्य निर्धारण अवधि के अंतिम वर्ष के वास्तविक निवल मूल्य में ध्यान में रखे गए नियोजित पूँजी के कम्पनीवार आंकड़ों को दर्शाती है:

(करोड़ रु. में)

कम्पनी	SII	SII	%	एन डब्ल्यू	एन डब्ल्यू	%
	1987-90	1990-93	वृद्धि	1989-90	1992-93	वृद्धि
आई ओ सी	2131	2598	22	2873.76	4950.47	72
बी पी सी	897	1064	19	546.21	951.05	74
एच पी सी	1103	1225	11	683.39	1102.97	61
आई बी पी	62	76	23	66.22	95.25	44
एम आर एल	318	315	( - )1	233.96	329.56	41
सी आर एल	239	252	5	205.42	363.96	77
बी आर पी एल	44	41	( - )7	297.12	381.18	28

6.1.3 उपरोक्त तालिका से ऐसा प्रतीत होता है कि निवल मूल्य में वृद्धि की दर नियोजित पूँजी में वृद्धि की दर से काफी अधिक थी। जबकि यह सच है कि निवल मूल्य पर प्रतिफल मुहैया कराने के लिए योजना, जैसी ओ सी आर सी द्वारा परिकल्पना की गई, अधिक आंतरिक संसाधनों के उत्पन्न सहायक रही है वहीं यह तेल कम्पनियों के कारबार में उन निधियों को लगाने में सहायक नहीं रही है, जैसा कि ओ सी आर सी द्वारा निर्दिष्ट किया गया। यह इस तथ्य द्वारा समर्थित है कि सबसे बड़ी तेल कम्पनी अर्थात् इंडियन आयल कारपोरेशन के मामले में निवल मूल्य कारबार में नियोजित पूँजी से काफी अधिक था। बी आर पी एल का मामला भी वैसा है। तेल उद्योग में उत्पन्न इन अतिरिक्त निधियों को लगाने की बजाय तेल कम्पनियों ने इन निधियों को ब्याज अर्जन करने वाली प्रतिभूतियों में लगाया।

6.1.4 1989-90 से 1991-92 वर्षों के दौरान तेल कम्पनियों ने पोर्टफोलिओ प्रबन्धन योजना और विविध अन्यावधि जमाओं/निवेशों के अन्तर्गत अपने निवेशों पर ब्याज की पर्याप्त राशि अर्जित की। ऐसे अर्जनों के कारण निवल मूल्य में वृद्धि ने संचालित मूल्य निर्धारण योजना के अन्तर्गत 12 प्रतिशत पश्च कर प्रतिफल भी

अर्जित किया। चूंकि इन कम्पनियों की नकदी अधिक थी इसलिए उनके उधार कम थे और उनका ऋण इकिवटी अनुपात काफी कम था। दूसरी ओर कम्पनी, जो सम्बद्ध रूप से अधिक ऋण-इकिवटी अनुपात को लागू करती है, के लिए प्रतिफल कम होता है जबकि उधार ली गई निधियों को कम्पनी के अन्दर लगाया गया हो।

6.1.5 12 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया मौजूदा मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में पूँजी संरचना पर प्रतिफल निवल मूल्य पर 12 प्रतिशत पश्च कर होता है। निम्नलिखित तालिका 1991-92 से 1993-94 तक तीन वर्षों के दौरान तेल कम्पनियों द्वारा अर्जित निवल मूल्य (शेयर पूँजी + आरक्षित एवं बेशी) पर वास्तविक पश्च कर प्रतिफल को दर्शाती है:-

कम्पनी	1991-92	1992-93	1993-94	तीन वर्षों का औसत
आई ओ सी*	18.2	13.7	13.6	15.2
एच पी सी*	14.4	20.6	22.3	19.1
बी पी सी *	18.6	17.9	18.7	18.4
आई बी पी ***	16.9	13.5	16.9	15.8
एम आर एल ***	15.8	21.53	14.77	17.4
सी आर एल***	19.1	23.93	16.47	19.8
बी आर पी एल***	9.9	7.61	9.43	9.0

टिप्पणी \* = परिष्करण एवं विपणन कम्पनी

\*\* = केवल विपणन कम्पनी

\*\*\* = केवल परिष्करण कम्पनी

6.1.6 उपरोक्त तालिका से ऐसा प्रतीत होता है कि तेल कम्पनियों द्वारा अर्जित निवल मूल्य पर वास्तविक प्रतिफल बी आर पी एल के मामले को छोड़कर अवधारण धारणा में परिकल्पित प्रतिफल से अधिक था। तेल कम्पनियों द्वारा उत्पादित और बेचे गए सभी उत्पादों का अठानवें प्रतिशत संचालित मूल्य निर्धारण के अन्तर्गत आता है। ऐसा मानते हुए कि तेल कम्पनियां मुफ्त मूल्य निर्धारण के अंतर्गत बेचे गए बाकी के दो प्रतिशत उत्पादों पर अधिक प्रतिफल और कुछ गैर प्रचालन आय भी अर्जित कर सकती थीं, समग्र प्रतिफल परिकल्पित प्रतिफल से काफी अधिक है।

## अध्याय 7

### उत्पाद बिक्री मूल्य

#### 7.1 पूर्व भंडारण पाइंट मूल्य

7.1.0 प्रारम्भिक मूल्य निर्धारण पाइंट (परिष्करण) में संचालित उत्पादों के पूर्व भंडारण पाइंट मूल्य में निम्नलिखित शामिल होते हैं :-

1. पूर्व परिष्करण मूल्य (अपरिष्कृत लागत एवं परिष्करण मार्जिन)
2. विपणन मार्जिन
3. लागत एवं भाड़ा (ला एवं भा) अधिभार
4. भाड़ा (एफ एस पी) अधिभार
5. उत्पाद मूल्य समायोजन (उ मू स)
6. प्र पे गै एवं विट्मैन के मामले में अन्य प्रभार
7. उत्पाद शुल्क

7.1.1 ग्राहक मूल्य डिपो तक राष्ट्रीय रेलवे भाड़े, स्थानीय परिवहन प्रभारों, डीलरों के कमीशन, बिक्री कर और पूर्व भंडारण पाइंट मूल्य के प्रति अन्य स्थानीय उद्ग्रहणों जैसे कतिपय अन्य घटकों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है।

7.1.2 पूर्व परिष्करण मूल्य और विपणन मार्जिन पर पहले ही उल्लेख किया गया है। ला एवं भा अधिभार का उद्देश्य शोधनशाला तक अपरिष्कृत तेल को लाने की लागत में अन्तरों, आयातित उत्पादों और पूर्व शोधनशाला मूल्यों (विपणन कम्पनियों के लिए आयातित उत्पादों का मूल्य पूर्व शोधनशाला मूल्यों पर आंका जाता है) के बीच अन्तरों, आयात मूल्य वूसली और देशी मूल्य के बीच अन्तर तथा पूर्व परिष्करण स्तर तक उत्पादन की लागत में अन्य अन्तरों से होने वाली निवल कम वसूलियों को शामिल करना है। एफ एस पी अधिभार का तात्पर्य उत्पादों के परिवहन में निवल कम वसूलियों को शामिल करना है क्योंकि ग्राहक मूल्य में परिवहन लागत संरचना एक काल्पनिक रेलवे भाड़ा होता है। मौजूदा ला एवं भा तथा एफ एस पी अधिभारों

को 1986 से क्रमशः प्रति बिक्री इकाई (के एल/एम टी) 640 रु. और 40 रु. पर समाप्त कर दिया गया है। इन अधिभारों की पर्याप्तता पर अध्याय 8 में चर्चा की गई है।

7.1.3 उत्पाद मूल्य समायोजन सामाजिक - आर्थिक आधारों पर विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के ग्राहक मूल्यों की प्रतिकूल आर्थिक की एक प्रक्रिया है। जैसाकि पहले ज्ञात हुआ, विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के रिफाइनरी पर मूल्यों में अन्तर केवल मिट्टी के तेल, जिसका सूचकांक 1 लिया गया है, के संदर्भ पाइंट के साथ विभिन्न उत्पादों के उत्पादन की लागत का आवंटन करने के लिए कृत्रिम अक्षांकों के निर्धारण के कारण रहता है। ऐसा केवल उत्पाद मूल्य समायोजन के कारण ही हुआ कि देशी प्रयोग के लिए मिट्टी के तेल का मूल्य एम एस के मूल्य से कम ही रखा जाता है जबकि मिट्टी के तेल का पूर्व परिष्करण मूल्य एम एस के पूर्व परिष्करण मूल्य से अधिक होता है।

7.1.4 निम्नलिखित तालिका 1 मार्च 1988 और 1 मार्च 1994 को एम एस, एच एस डी, मिट्टी के तेल (गैर-औद्योगिक) और द्र पे गै (देशी) की पूर्व भंडारण पाइंट मूल्य संरचना को दर्शाती है:-

लागत घटक	एम एस	एच एस डी	एस के ओ देशी	द्र पे गै देशी
	प्रतिलीटर रूपए	प्रतिलीटर रूपए	प्रतिलीटर रूपए	प्रतिलीटर रूपए
अपरिष्कृत लागत	1.3.88	1.3.94	1.3.88	1.3.94
परिष्करण मार्जिन	0.17	0.17	0.17	0.17
पूर्व-परिष्करण मूल्य	1.70	1.70	1.98	1.98
विपणन मार्जिन	0.10	0.16	0.07	0.12
अधिभार	0.68	0.68	0.68	0.68
पी पी ए	3.00	10.31	0.04	2.94 (1.08) (0.75) (1.49) (0.01)
अन्य प्रभार	-	-	-	-
ई. डी.	2.22	2.57	0.33	0.57
जोड़	7.70	15.42	3.10	6.29
			0.33	0.33
			0.20	0.20
			0.26	0.26
			0.53	0.53
			5.84	5.84

7.1.5 उपरोक्त तालिका से ऐसा प्रतीत होता है कि बेशक उत्पाद मूल्यों में वृद्धि हुई थी फिर भी 1986 से पूर्व परिष्करण मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार लागत एवं भाड़ा तथा एक एस पी अधिभारों की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विपणन मार्जिन में केवल दो परिवर्तन हुए थे- पहला 15 अक्टूबर 1990 से और दूसरा 1 मार्च 1994 से। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपरिष्कृत तेल आयातित उत्पादों, परिष्करण और उत्पादों के परिवहन की लागतों में कोई वृद्धि नहीं हुई। अपरिष्कृत तेल, आयातित उत्पादों और अन्य प्रयोज्य सामग्रियों की लागत में जो कुछ भी वृद्धि हुई उसे मूल्य संरचना में अपरिष्कृत तेल की सुपुर्दगी लागत, परिष्करण लागतों और ला एवं भा तथा एक एस पी अधिभारों जैसे सम्बन्धित घटकों में संशोधन किए बिना उत्पाद मूल्य समायोजन की प्रक्रिया के माध्यम से तदर्थ वृद्धियों द्वारा वसूल किया जाना था। पी पी ए के माध्यम से ऐसी वसूलियां पर्याप्त थीं अथवा नहीं इस पर अध्याय में चर्चा की गई है।

## 7.2 विभेदक मूल्य निर्धारण

7.2.0 निम्नलिखित उत्पादों के सम्बन्ध में विभिन्न अन्तिम उपयोग के लिए विभेदक मूल्य निर्धारण की एक योजना अब प्रचालन में है:-

- मिट्टी का तेल - औद्योगिक और औद्योगिक से इतर
  - द्र थे गै पैक किए गए देशी/गैर देशी (आश्यक/अनावश्यक), थोक में आवश्यक/अनावश्यक
  - नेफथा/एल एस एच एस उर्वरक उपयोग/उर्वरक उपयोग से इतर
  - एफ ओ थोक/ पैक किए गए
  - विटूमैन बंकर फ्यूल/अन्य
  - एल एस एच एफ (एच एस डी)

7.2.1 जबकि बिटुमैन के सम्बन्ध में विभेदक मूल्य के निर्धारण में द्रमों के रूप में आने वाली अतिरिक्त लागत और पैक किए गए बिटुमैन के सम्बन्ध में पैकिंग प्रभारों को ध्यान में रखा जाना होता है वहीं अन्य उत्पादों के सम्बन्ध में विभेदक मूल्य मुख्यतया सामाजिक-आर्थिक आधारों पर कठिपय उपयोगों के लिए मूल्य को आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

### 7.3 आर्थिक सहायता

7.3.0 सरकार की नीति समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को सस्ता इंधन मुहैया कराने और लकड़ी के स्थान पर पकाने वाले इंधन के रूप में द्रव पेट्रोल के उपयोग का विकास कराने की भी है। इसी प्रकार उर्वरक के विनिर्माण में संभरक स्टाक के रूप में उपयोग के लिए उर्वरक उद्योग को आपूर्त किए गए नैफथा/एफ ओ/एल एस एवं एस को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है क्योंकि उर्वरक के अन्तिम उपभोक्ता किसान होते हैं।

7.3.1 विभिन्न मूल्य निर्धारण से उत्पन्न उपरोक्त आर्थिक सहायता के अलावा एच एस डी, वैक्स, बिटुमैन (पैक किया गया) आदि जैसे कंतिपय उत्पादों के सम्बन्ध में इनविल्ट आर्थिक सहायता का घटक होता है क्योंकि इन उत्पादों का उपभोक्ता मूल्य इन उत्पादों के उत्पादन की लागत से काफी कम होता है।

7.3.2 1994-95 वर्ष के लिए विभिन्न पेट्रौलियम उत्पादों पर कुल आर्थिक सहायता का लगभग 8500 करोड़ रु. पर अनुमान लगाया गया है जो निम्न प्रकार से है:

	(करोड़ रु. में)
उत्पाद	आर्थिक सहायता
एच एस डी	2205
एस के ओ	4101
पैक की गई द्रव पेट्रोल	1199
उर्वरकों के लिए नैफथा	539
उर्वरकों के लिए एफ ओ/एल एस एच एस	296
पैक किया गया बिटुमैन	127
वैक्स	20
जोड़	8487

7.3.3 संचालित मूल्य निर्धारण के अन्तर्गत ये आर्थिक सहायता तेल पूल लेखा द्वारा वहन की जाती है। तथापि आर्थिक सहायता के कारण निवल प्रभाव काफी कम होगा क्योंकि ये आर्थिक सहायता काफी सीमा तक उर्वरक उत्पादन आदि से इतर के लिए एम एस, ए टी एफ, नैफथा उपयोग जैसे अन्य उत्पादों के लिए निर्धारित अधिक मूल्यों द्वारा प्रतिसन्तुलित की जाती है।

7.3.4 आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप नेफथा, स्नेहक तेलों आदि जैसे कई उत्पादों के आयात, जिनसे संचालित मूल्य निर्धारण व्यवस्था में अधिक मूल्य की वसूली हुई, को असरणीबद्ध कर दिया गया है और मुक्त कर दिया गया। परिणामी रूप से आरक्षितियों, जो तेल उद्योग पूल लेखा इन उत्पादों से बना सका, में कमी आई है। इनमें से कुछेक मुद्दों पर अध्याय 9 में विस्तार से चर्चा की गई है।

#### 7.4 नेफथा/एफ ओ/ एल एस एवं एस का मूल्य निर्धारण

7.4.1 नेफथा, एफ ओ और एल एस एवं एस के लिए विभेदक मूल्य निर्धारण क्रमशः 1974, 1976 और 1979 में शुरू हुआ। उर्वरक उद्योग में उपयोग के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। ओ सी आर सी ने माना : "संभरक स्टाक के रूप में उपयोग के लिए उर्वरक उद्योग को आपूर्त किए गए नेफथा/एफ ओ/एल एस एवं एस के सम्बन्ध में रियायती मूल्य घार्ज करने का सिद्धान्त सार्वजनिक क्षेत्र की युक्तियुक्त धारणाओं पर आधारित है। यह जारी रहेगा। इंधन उपयोग के लिए एक ऐसी ही रियायत कुछ कम औचित्य वाली प्रतीत होती है। जबकि मौजूदा रियायत को समाप्त करना आसान नहीं वहीं प्रथम उपाय के रूप में ऐसा अनुबन्ध कर दिया जाए कि संभरक स्टाक और इंधन के लिए खपत के प्रतिमान एफ आई सी सी/सरकार द्वारा वैज्ञानिक रूप से निर्धारित किए जाने चाहिए। दीर्घावधि में, जहां कहीं तकनीकी रूप से और प्रचालनात्मक रूप से ऐसा व्यवहार्य हो, उर्वरक उद्योग को वैकल्पिक इंधन (पेट्रोलियम उत्पादों से इतर) के प्रति भारी परिवर्तन करना चाहिए।"

7.4.2 उपरोक्त पर आधारित उर्वरक उद्योग में संभरक स्टाक और गैर संभरक स्टाक प्रयोजनों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के लिए प्रतिमानों के विकास के लिए भारत सरकार ने एक परिपत्र (नवम्बर 1986) जारी किया। तथापि इस सम्बन्ध में कोई और कार्रवाई नहीं की गई। सितम्बर 1992 में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्रचलन के लिए प्रतिमानों के अभाव में, अन्तरिम उपाय के रूप में गैर संभरक स्टाक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गए नेफथा/एफ ओ/एल एस एवं एस का भाग थंब बेसिस, जो कि ओ सी सी/आपूर्तिकर्ता तेल कम्पनी द्वारा निकाला जाए, को तदर्थ नियम पर निर्धारित किया जाए और उस सीमा तक कोई रियायती मूल्य अनुमत नहीं किया जाना चाहिए जिस सीमा तक गैर संभरक स्टाक उपयोग का पता लगाया जाए। इसके बावजूद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम ओ सी सी द्वारा अभी तक नहीं उठाए गए हैं।

7.4.3 निम्नलिखित तालिका 1990-91 से 1992-93 के दौरान उर्वरक उद्योग को आपूर्त की गयी नेफथा, एफ ओ और एल एस एवं एस की प्रमात्रा को रियायती मूल्यों पर दर्शाती है :

(मी.टन)

	1990-91	1991-92	1992-93
नेफथा	2416	2345	2269
एफ ओ	1428	1590	1398
एल एस एच एस	918	1021	921

टिप्पणी :

- i) 1991-92 और 1992-93 के लिए आंकड़े 1992-93 की उद्योग निष्पादन रिपोर्ट (उनि रि) के अनुसार हैं।
- ii) 1990-91 के लिए एफ ओ और एल एस एच एस की प्रमात्राएं 1991-92 प्रमात्राओं के अनुपात में संविभाजित 1990-91 की उनि रि के अनुसार कुल एफ ओ/ एल एस एच एस प्रमात्रा पर आधारित हैं।

7.4.4 संभरक स्टाक से इतर उपयोग के लिए आपूर्ति किए गए नेफथा/एफ ओ/एल एस एच एस पर दी गई आर्थिक सहायता का प्रभाव लेखापरीक्षा में निश्चेय नहीं है। मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 1995) कि उर्वरक उद्योग में नेफथा/एफ ओ/एल एस एच एस उपयोग के सम्बन्ध में संभरक स्टाक और ईंधन के लिए खपत के प्रतिमान प्रस्तुत करने के लिए उर्वरक विभाग से 1987 में अनुरोध किया गया था परन्तु उर्वरक विभाग ने नियमित कार्बवाई के बावजूद कोई उत्तर नहीं दिया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि मामले पर सचिवीय समिति जिसकी अनुशंसा/दिशानिर्देश अपेक्षित थे, द्वारा विचार विमर्श किया गया है।

### 7.5 थोक में और पैक किया गया बिटुमैन

7.5.0 बिटुमैन का मुख्यतया सड़क बनाने में उपयोग किया जाता है। उत्पाद थोक में और पैक की गई अवस्था में उपलब्ध होता है। निम्नलिखित तालिका 1989-90 से 1992-93 तक के चार वर्षों के दौरान थोक में और पैक की गई अवस्था में बेचे गए बिटुमैन को दर्शाती है :-

	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
थोक (टी एम टी )	968.1	946.3	1118.8	1237.4
पैक किया गया (टी एम टी)	729.7	636.8	600.9	590.2
कुल के प्रति थोक की %	57	59.8	65.1	67.7

7.5.1 पैक की गई अवस्था में बिटुमैन बेचने में इमों और भराई प्रभारों के रूप में अतिरिक्त लागत का घटक होता है। तदनुसार, पैक किए गए बिटुमैन का पूर्व भंडारण पाइंट मूल्य भी थोक रूप वाले बिटुमैन के मूल्य से अधिक होता है। 1986 से बिटुमैन के कीमत निर्धारण के विश्लेषण से पता चलता है कि पैक किए गए और थोक बिटुमैन के मूल्यों में अन्तर पैकिंग बिटुमैन में अन्तरग्रस्त अतिरिक्त लागत के समान अनुपात में नहीं था। उदाहरण के लिए पैक किए गए बिटुमैन की मूल्य संरचना में परिकल्पित भराई प्रभार और इम की लागत (उत्पाद शुल्क सहित) 1 अक्टूबर 1986 को प्रति मीट 945.04 रु. थी। इसके प्रति, उस तारीख को थोक बिटुमैन की तुलना में पैक किए गए बिटुमैन की मूल्य संरचना (उत्पाद शुल्क और विपणन मार्जिन को छोड़कर) में इनविल्ट आर्थिक सहायता पैक किए गए बिटुमैन की प्रति मीटन 417.24 रु. थी। इम की लागत और भराई लागतें पिछले वर्षों में बढ़ती रही हैं। 1986 के बाद किसी भी समय पैक किए गए बिटुमैन की मूल्य संरचना में इमों की लागत में संशोधन नहीं किया गया था जबकि वृद्धि की पर्याप्त राशि की वर्षानुवर्ष तेल कम्पनियों को प्रतिपूर्ति की गयी है। आर्थिक सहायता और अधिक होती यदि पूल लेखाओं से तेल कम्पनियों को प्रदत्त उस पर इमों की लागत और उत्पाद शुल्क में वृद्धि पर विचार किया होता। 1992-93 के दौरान थोक बिटुमैन की तुलना में पैक किए गए बिटुमैन के मूल्य में इनविल्ट आर्थिक सहायता का प्रभाव 80 करोड़ रु. था जो 1 अक्टूबर 1986 को प्रति मीटन 417.24 रु. के प्रति तकरीबन प्रति मीट 1000 रु. बनता था। इस प्रकार मौजूदा मूल्य निर्धारण ढांचे में थोक बिटुमैन की बिक्री/स्वरीद को बढ़ाने के लिए बिक्रेता या क्रेता को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है जो कि लागत प्रभावी है और थोक बिटुमैन की बिक्री को प्रोत्साहन देना सरकार की नीति थी।

7.5.2 इस बात पर सहमत होते हुए (सितम्बर 1995) कि थोक बिक्री की तुलना में पैक किए गए इमों में बिटुमैन बेचने में अन्तर्ग्रस्त लागत का अतिरिक्त घटक था, मंत्रालय ने उक्त अनियमितता को या तो दूर करने या उसे कम करने के लिए कार्रवाई करने के लिए कोई निश्चित दिशानिर्देश नहीं दिए।

## अध्याय 8

### तेल उद्योग पूल लेखे

8.1.0 मुख्य पूल लेखे, जिनमें तेल कम्पनियां अपने दावों का समायोजन और संचालित मूल्य निर्धारण और अवधारण मार्जिन के कारण होने वाले अभ्यर्पण करती हैं, इस प्रकार हैः-

- i) कूड आयल प्राइस इक्यूलाइजेशन (सी ओ पी ई) अकाउंट;
- ii) लागत एवं भाड़ा समायोजन (ला एवं भा) लेखा ;
- iii) फ्रेट सरचार्ज पूल (एफ एस पी) अकाउंट;
- iv) उत्पाद मूल्य समायोजन (उ मू स) लेखा ।

8.1.1 1987-88 से 1994-95 तक के वर्षों के दौरान समग्र पूल लेखा स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है :-

	(करोड़ रु.में)							
	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
अथंगेष/(घाटा)	7452.08	8294.52	9266.94	6769.93	3223.46	52.48	(455.94)	(605.87)
वर्ष के दौरान बेन देनों पर निवल								
अन्तर्वाह( वर्हिवाह )								
सी ओ पी ई	(274.99)	(69.82)	(2166.98)	(3638.28)	(6441.17)	(8737.29)	(9055.81)	(9875.93)
ला एवं भा	1345.91	943.33	(391.24)	(2381.73)	(6037.26)	(5774.63)	(8010.76)	(6935.55)
एफ एस पी	(147.71)	(158.04)	(331.59)	(427.84)	(482.61)	(663.80)	(964.27)	(1280.39)
उ मू स	11.86	225.34	431.10	5391.16	10169.07	15113.72	18728.18	19885.82
अन्य	(92.63)	31.61	(38.28)	(2489.78)	(379.01)	(446.42)	(847.27)	(510.95)
अन्तंगेष/(घाटा)	8294.52	9266.94	6769.93	3223.46	52.48	(455.94)	(605.87)	677.13

8.1.2 उपरोक्त तालिका से ऐसा प्रतीत होता है कि आयल पूल, जिसमें मार्च 1989 के अंत तक 9266.94 करोड़ रु. की निवल बेशी थी, मार्च 1994 के अंत तक 605.87 करोड़ रु. के निवल घाटे तक पहुंच गया। प्रत्येक वर्ष वार्षिक लेन-देनों का समग्र प्रभाव 1989-90 से 1993-94 तक सदैव घाटे में रहा था। ऐसा मुख्यतया इसलिए हुआ कि जबकि अपरिष्कृत तेल की लागतों, परिष्करण और विपणन लागतों में वृद्धि हुई वहीं पेट्रोलियम उत्पादों के बिक्री मूल्यों में तदनुरूपी वृद्धि नहीं हुई। तथापि 1994-95 के दौरान 1283 करोड़ रु. का निवल अन्तर्वाह रहा परिणामतः मार्च 1995 के अंत तक 677.13 करोड़ रु. की निवल बेशी हुई। ऐसा मुख्यतया फरवरी 1994 और पुनः मार्च 1994 से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कारण रहा।

8.1.3 पूल की निधियाँ (पूल की प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए भाग को छोड़कर) "लोक लेखा" में जमा के रूप में रखी जाती हैं। मार्च 1989 के अंत में 8900.05 करोड़ रु. की जमा 31 मार्च 1995 के अंत में घटकर 4429.03 करोड़ रु. हो गयी। तेल कम्पनियों को पूल की देयताओं के परिसमाप्तन के लिए लोक लेखा से ओ सी सी द्वारा आहरण को अलावा सरकार ने भी लोक लेखा में रखी गई इस जमा से भारत की समेकित निधि को 2300 करोड़ रु. की राशि 1990-91 वर्ष के दौरान विनियोजित की तथा बाद में ओ सी सी द्वारा इसे पूल के लेखाओं से बट्टे खाते डाल दिया गया। पूल निधियों में से इस विनियोजन का पूल लेखा में अनुवर्ती निवल घाटे में अंशदान रहा। यदि लोक लेखा में ओ सी सी के जमाओं से भारत की समेकित निधि को इस प्रकार के विनियोजन भविष्य में भी किए जाते हैं तो पूल लेखाओं में अधिक निवल घाटे की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

8.1.4 जबकि पूल का धन लोक लेखा में रखा जाता है फिर भी पूल विभिन्न तेल कम्पनियों को पर्याप्त धनराशि का देनदार है जिनमें मुख्य लेनदार ते प्रा गै आ तथा इंआ का हैं जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु. में)

निम्नलिखित को ओ सी सी से बकाया देय					
कम्पनी	31.3.91	31.3.92	31.3.93	31.3.94	31.3.95
ते प्रा गै आ 1898.78		3069.95	2626.35	2319.90	1233.86
इंआ का 1138.91		2035.15	2279.06	2288.33	1470.95

8.1.5 1987 तक लोक लेखा में जमा पूल की निधियों पर लोक लेखा में बकाया न्यूनतम मासिक शेष पर 5 प्रतिशत की दर पर ब्याज अर्जन हो रहा था। 1987 में सरकार ने निर्णय लिया कि ये जमाएं गैर ब्याज वहन करने वाली थीं। इस प्रकार जबकि लोक लेखा में जमा निधियों पर कोई ब्याज अर्जन नहीं होता फिर भी पूल को विभिन्न तेल कम्पनियों को देय राशियों पर 10.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज अदा करना पड़ा। 31 मार्च 1995 को समाप्त चार वर्षों के दौरान पूल द्वारा किए गए निवल ब्याज व्यय (तेल कम्पनियों और अन्य जमाओं से अर्जित ब्याज समायोजित करने के बाद) क्रमशः 379.01 करोड़ रु., 446.42 करोड़ रु., 383.55 करोड़ रु. और 130.42 करोड़ रु. था।

## 8.2 कूड आयल प्राइस इक्युलाइजेशन (सी ओ पी ई) लेखा

8.2.1 कूड आयल के पूलड एफ ओ बी मूल्य की धारणा से कूड आयल प्राइस इक्युलाइजेशन (सी ओ पी ई) लेखा के नाम से जाने जाने वाले तेल उद्योग पूल लेखे की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई।

8.2.2 इस लेखे का प्रयोजन सममूल्य (अर्थात् कूड की पूलड एफ ओ बी लागत) पर आगामी संसाधन के लिए शोधनशालाओं को जारी करने के लिए विभिन्न स्रोतों, आयातित और देशी दोनों, से प्राप्त कूड आयल के मूल्य को बराबर करना है। इसका मतलब यह है कि यदि कूड का वास्तविक मूल्य पूलड एफ ओ बी मूल्य से अधिक है तो वास्तविक मूल्य और पूलड मूल्य के बीच अन्तर सी ओ पी ई लेखा द्वारा बहन किया जाएगा। इसी प्रकार शोधनशालाएं, जो कम मूल्य पर प्राप्त कूड को संसाधित कर रही हैं, पूल लेखा को अंतर में सहयोग करेंगी। इस प्रकार, सिद्धान्त रूप में सी ओ पी ई लेखा में इन लेन देनों को विस्तृत रूप में एक दूसरे को संतुलित करना चाहिए। तथापि यूकि पूलड मूल्य पूर्व निर्धारित मूल्य होता है जो पूर्व में विशेष तारीख को प्रचलित मूल्यों के संदर्भ में निश्चित किया जाता है, फिर भी उस समय तक इस लेखे में कुछ बेशी या घटा होना निश्चित है जब तक कि पूलड एफ ओ बी मूल्य में संशोधन करने के लिए कूड मूल्यों में उतार-चढ़ावों पर आधारित आवश्यक उपचारी कार्रवाई नहीं की जाती।

8.2.3 इस लेखा में शेषों की समीक्षा से निम्नलिखित स्थिति का पता चलता है :-

वर्ष	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	(करोड़ रु. में)
निवन्त्रण									
अन्तर्वाह/ (घाटा)	(274.9)	(69.82)	(2166.98)	(3638.28)	(6441.17)	(8737.28)	(9055.81)	(9875.93)	

8.2.4 जैसा कि उपरोक्त से पता चलता है कि सी ओ पी ई लेखा में घाटे में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शायी गई है जो 1988-89 में 69.82 करोड़ रु. से 1994-95 में 9875.93 करोड़ रु. है। सी ओ पी ई लेखा में घाटे का मुख्य कारण यह है कि कूड आयल का पूलड एफ ओ बी मूल्य, जिस पर शोधनशालाएं कूड आयल के लिए अदा करती हैं और जो 1986 में प्रति मीट 1700 रु. पर निर्धारित किया गया था, तब से लेकर संशोधित नहीं किया गया है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कूड आयल मूल्य में वृद्धि हुई है। घाटा 1989-90 से अधिक घोषित किया गया है जो कि मुख्यतया अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कूड आयल मूल्यों में वृद्धि के कारण और इस तथ्य कि

देशी उत्पादन मांग में वृद्धि को पूरा नहीं कर सकता था तथा अधिक आयातों का सहारा लेना पड़ा था, के कारण भी रहा। इसके अतिरिक्त, देशी कूड़ आयल के मूल्य में सितम्बर 1992 और पुनः अप्रैल 1993 में भी संशोधन किया गया जिसने भी 1992-93 से घाटे में अपना योगदान दिया है। उपकर तथा रायल्टी में भी वृद्धि रही थी। इन सभी परिवर्तनों के बावजूद कूड़ आयल के पूलड एफ और बी मूल्य में कोई संशोधन नहीं किया गया है जिसके कारण सी ओ पी ई लेखा में बड़ी सीमा तक घाटे में योगदान किया गया।

8.2.5 मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 1995) कि आदर्श स्थिति में सी ओ पी ई लेखा के लेन देनों से एक दूसरे के समतुल्य होने की प्रत्याशा थी ताकि सी ओ पी ई लेखा स्वयं संतुलित रूप में प्रस्तुत किया जा सके। मंत्रालय ने यह भी बताया कि विभिन्न विशेषज्ञ समितियां कूड़ आयल मूल्यों के पूर्लिंग की धारणा के साथ कार्य कर रही थीं और ओ सी आर सी की अनुशंसा, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया, पर आधारित 1 अप्रैल 1986 से कूड़ आयल के लिए प्रति मीट 1700 रु. का पूलड एफ ओ बी मूल्य निर्धारित किया गया था, जो अब तक चल रहा है।

### 8.3 लागत एवं भाड़ा समायोजन लेखा

8.3.1 इस लेखे, जो 1988-89 तक निवल बेशी दर्शा रहा था, में 1989-90 से घाटा हो रहा है। ला एवं भा समायोजन लेखे में कई उप-पूल लेखे शामिल होते हैं। इस लेखे में घाटे के मुख्य कारण निम्नलिखित थे :-

- i) चूंकि देश में परिष्करण क्षमता में मांग में वृद्धि के समतुल्य वृद्धि नहीं हुई है इसलिए एच एस डी, मिट्टी के तेल और द्र पे गै जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की बड़ी मात्रा का आयात किया जाता है। इन उत्पादों का पूर्व परिष्करण मूल्यों से अधिक मूल्यों पर तेल कम्पनियों द्वारा आयात किया जाता है। परन्तु वे संचालित मूल्य संरचना के तहत मात्र पूर्व परिष्करण मूल्य अदा करते हैं। शेष को ला एवं भा समायोजन लेखा से वहन किया जाता है। मात्र इसके कारण घाटा 1991-92 में 3135 करोड़ रु. 1992-93 में 4040.48 करोड़ रु., 1993-94 में 4554.80 करोड़ रु. और 1994-95 में 4783.38 करोड़ रु. था। इसी प्रकार नेपथ्य जैसे बेशी उत्पादों की पर्याप्त प्रमाणाएं भी अवधारण मूल्यों से कम मूल्यों पर निर्यात की जाती हैं तथा तेल कम्पनियों को कमी की प्रतिपूर्ति पूल से की जाती है (1992-93 में 365 करोड़ रु., 1993-94 में 897.08 करोड़ रु. और 1994-95 में 476.69 करोड़ रु.)।

- ii) शोधनशालाओं तक कूड़ आयल को लाने की लागत तथा शोधनशालाओं के अवधारण मूल्यों में लागत संरचना के बीच अन्तर का ला एवं भा अधिभार लेखा में समायोजन किया जाता है। इन लागतों में निरन्तर वृद्धियों की पूल लेखाओं से प्रतिपूर्ति की जाती है। ऐसी निवल प्रतिपूर्तियां 1987-88 में 1206 करोड़ रु., 1992-93 में 2635.24 करोड़ रु. और 1993-94 में 2913.87 करोड़ रु. बनती थीं।
- iii) पूल लेखाओं से प्रदल्त परिष्करण प्रोत्साहन दावों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जबकि 1987-88 में इसके कारण निवल वहिर्वाह 37.79 करोड़ रु. था, 1992-93 में यह 184.91 करोड़ रु. तथा 1993-94 में 473.83 करोड़ रु. था।
- iv) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण में कूड़/उत्पादों के आयात में किसी विलम्ब शुल्क की सही ढंग से परिकल्पना नहीं की गई क्योंकि यह आवश्यक लागत नहीं है और नियंत्रणीय भी है। तथापि पिछले कुछ वर्षों के दौरान कूड़/उत्पाद आयातों पर विलम्ब शुल्क में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। 31 मार्च 1995 को समाप्त हुए तीन वर्षों के दौरान पूल लेखाओं से तेल कम्पनियों को प्रतिपूरित विलम्ब शुल्क की राशियां क्रमशः 83.06 करोड़ रु., 103.34 करोड़ रु. और 126.36 करोड़ रु. बनती थीं। इसके अतिरिक्त टाईम चार्टर्ड वैसल के माध्यम से आयातित कूड़ आयल के मामले में पर्याप्त अवरोधन प्रभार लगाए जाते हैं जिसके लिए आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं थे।

पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में अधिक विलम्ब शुल्क का मुख्य कारण अपर्याप्त पत्तन सुविधाएं हैं जिसके परिणामस्वरूप वैसल का लम्बा अवरोधन समय रहा। मांग में अनुमानित वृद्धि के साथ आने वाले वर्षों में पत्तनों पर दबाव बढ़ने की आशा है। मुख्य प्रतिबन्ध अपर्याप्त जेटी, ड्राफ्ट प्रतिबन्ध, रात्रि नौवहन सुविधाओं का अभाव, कुछेक पत्तनों में छोटी डायामीटर पाइपलाइनों आदि का होना है।

द्र पे गै प्रमुख घाटे का उत्पाद है और इसका आयात किया जाता है। आयात में घाटे की प्रमात्रा के 1994-95 में तकरीबन 600 टी एम टी से बढ़कर 2001-02 में 3300 टी एम टी और 2010-11 में 7600 टी एम टी तक हो जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त 2001-02 में 1100 टी मी टी और 2010-11 तक 1875 टी एम टी की अतिरिक्त मांग की संभावना है। इसके प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के पास उपलब्ध आयात क्षमता 1994-95 में बम्बई और वाइजाग केवल दो पत्तनों में मात्र तकरीबन 500 टी एम टी थी। बेशक 2001-02 तक तकरीबन 3150 टी एम टी की सीमा तक सार्वजनिक

क्षेत्र द्वारा अतिरिक्त आयात सुविधाओं के सृजन की योजनाओं को पहले ही संस्थीकृति दी जा चुकी है और कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है तो भी घटे को ध्यान में रखते हुए इनमें न केवल विलम्ब शुल्क को घटाने के लिए बल्कि सरपट मांग को पूरा करने के लिए भी विस्तार की आवश्यकता है।

पत्तन संकुलन को घटाने की अन्य विधि सिंगल पाइंट मूरिंग और समुद्र तट के समीप प्रतीयमान जेटी स्थापित करना है। इस सम्बन्ध में व्यवहार्य योजनाओं को अनुमोदन प्रदान करने और प्राथमिकता आधार पर कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। कांडला पत्तन के समीप एक प्रतीयमान जेटी के प्रतिष्ठापन के लिए आई ओ सी के एक हाल के प्रस्ताव से पता चला कि तकरीबन 14 लाख रु. की वार्षिक प्रचालन लागत के साथ 6.34 करोड़ रु. के एक समय के निवेश के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 9.07 करोड़ रु. के विलम्ब शुल्क की बचत होगी।

- v) कुछ राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों में कतिपय उद्घाटन ऐसे हैं जिन्हें मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में तेल कम्पनियों द्वारा वसूल नहीं किया जाता। ऐसी कम वसूलियों की पूल की निधियों से क्षतिपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त उचित सम्यान्तरालों पर ओ सी सी द्वारा बिक्री कर अधिभार योजना की समीक्षा नहीं की गई थी जैसाकि इस तथ्य से पता चलता है कि पूल लेखे से क्षतिपूरित इसके कारण कम वसूलियाँ 1987-88 में 106 करोड़ रु., 1988-89 में 178 करोड़ रु., 1989-90 में 192 करोड़ रु., 1990-91 में 220 करोड़ रु. और 1991-92 में 439 करोड़ रु. थीं। तथापि बिक्री कर अधिभार में उपयुक्त समायोजन/वृद्धि के लिए योजना की नियमित समीक्षा के लिए सरकार के निदेशों के परिणामस्वरूप इसमें 1992-93 में 53.98 करोड़ रु. तक कमी आई है। तथापि कम वसूली पुनः बढ़कर 1993-94 में 165 करोड़ रु. और 1994-95 में 175 करोड़ रु. तक हो गई।
- vi) वर्ष 1991-92 के दौरान कूड़ आयल के आयात को वित्त पोषित करने के लिए सरकार की ओर से इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा लिए गए यूरो कटंसी ऋणों पर 2214.29 करोड़ रु. के बहुत मुद्रा सम्बन्धी अन्तर को पूल ने समाप्तित किया। यूरो कटंसी ऋणों पर मुद्रा दर अन्तर के कारण दावों के विनियमन के लिए सरकार द्वारा अनमोदित योजना की एक प्रति, जो ओ सी सी (दिसम्बर 1994) से मार्गी गई थी, अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है (सितम्बर 1995)।

8.3.2 जबकि उपरोक्त लेखाओं पर बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई थी, ला एवं भा प्रभार, जो 1986 में 640 रु./बिक्री इकाई पर निर्धारित किया गया था, में संशोधन नहीं किया गया है।

#### 8.4 भाड़ा अधिभार पूल लेखा

8.4.1 इस लेखे का उद्देश्य मुख्यतया प्राधिकृत "जोन से बाहर संचरण" और "सड़क सेतु बन्धन" तथा पेट्रोलियम उत्पादों के तटीय संचरण के कारण परिवहन की अतिरिक्त लागत शामिल करना है। उत्पाद मूल्यों में एफ एस पी अधिभार संरचना 1986 से प्रति बिक्री इकाई 40 रु. पर बिना किसी परिवर्तन के रहा है। तथापि इस लेखे में घाटे में पिछले कई वर्षों में निम्नलिखित के कारण पर्याप्त स्पष्ट से वृद्धि हुई है :-

- i) डिपो मूल्यों में राष्ट्रीय रेलवे भाड़ा संरचना 1 दिसम्बर 1986 को लागू रेलवे भाड़ा दरों पर आधारित है। रेलवे भाड़ा (1 अप्रैल 1992 को रेलवे भाड़ा वृद्धि को छोड़कर) में हुई अनुवर्ती वृद्धि को मूल्यों में नहीं किया गया है। 1987-88 से 1994-95 तक के वर्षों के दौरान एफ एस पी लेखे से तेल कम्पनियों को प्रतिपूरित रेल संचरणों पर कम वसूली 5943.10 करोड़ रु. थी।
- ii) वास्को, ओखा, कांडला और कलकत्ता में गौण मूल्यनिर्धारण स्थानों को लागू तटीय भाड़े में शुरू से कोई संशोधन नहीं किया गया है और परिणामी कम वसूली का पूल लेखाओं द्वारा समामेलन किया जा रहा है। 1987-88 से 1994-95 के दौरान पूल से प्रतिपूरित इसके कारण कम वसूली 1539 करोड़ रु. थी।
- iii) पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ता मूल्यों में भाड़ा घटक संरचना प्रारम्भिक मूल्यनिर्धारण स्थान (शोधनशाला) से आपूर्ति स्थान (डिपो) तक काल्पनिक रेलवे भाड़ा होता है। तथापि उत्पाद हमेशा रेल द्वारा नहीं भेजे जाते हैं। कभी-कभी सड़क संचरण का सहारा उन स्थानों के बीच भी लिया जाता है जो स्थान रेल द्वारा जुड़े हों। इसे "सड़क सेतुबन्धन" कहा जाता है। यद्यपि एफ एस पी नियमपुस्तक में सड़क सेतुबन्धन की क्षतिपूर्ति के लिए कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है और यद्यपि भारत सरकार के विशेष अनुदेश थे कि "सड़क सेतुबन्धन" पर अतिरिक्त लागतों की क्षतिपूर्ति नहीं की जानी चाहिए फिर भी मामले से मामला आधार पर तेल कम्पनियों द्वारा दिए गए औचित्य पर सड़क सेतुबन्धन में कम वसूलियों की ओ सी सी प्रतिपूर्ति कर रहा है। 1987-88 से 1994-95 के दौरान इसके कारण पूल से प्रतिपूरित कुल कम वसूलियां 320.34 करोड़ रु. बनती थी।

8.4.2 एफ एस पी लेन देनों का विश्लेषण करते समय यह भी पाया गया कि एक पाइपलाइन परिवहन का सबसे सस्ता तथा सबसे सुरक्षित साधन भी था। मौजूदा पाइपलाइनों के थूपुट में वृद्धि करने और नयी पाइपलाइनें विछाने की भी गुंजाइश है। इसलिए उपलब्ध पाइपलाइन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में वृद्धि करने और नई पाइपलाइन परियोजनाओं की संस्थीकृति में तेजी से कार्रवाई करने की भी आवश्यकता थी।

## 8.5 उत्पाद मूल्य समायोजन लेखा

8.5.0 इस लेखे ने संदर्भाधीन अवधि के दौरान सकारात्मक पक्ष (निवल बेशी) में क्रमशः वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शायी है। ऐसा इस लेखे के माध्यम से समय-समय पर किए गए पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि और उद्ग्रहण किए गए अन्य अधिभारों के कारण रहा।

8.5.1 1988-89 से 1993-94 तक की अवधि के दौरान उत्पाद मूल्य समायोजन के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में प्रभावी प्रमुख वृद्धि इस प्रकार थी :-

- i) 20.3.1990 से मूल्य वृद्धि
- ii) 15.10.1990 से 25 प्रतिशत का खाड़ी अधिभार
- iii) 25.7.1991 से मूल्य वृद्धि
- iv) 16.9.1992 से मूल्य वृद्धि
- v) 2.2.1994 से मूल्य वृद्धि

8.5.2 इस प्रकार, जबकि कूड़ आयल की पूलड एफ ओ बी लागत, पूर्व परिष्करण मूल्यों और ला एवं भा तथा एफ एस पी अधिभारों में समीक्षाधीन अवधि में संशोधन नहीं किया गया है तथापि पेट्रोलियम उत्पादों के विनिर्माण और वितरण की लागतों में वृद्धि की इस लेखे के अन्तर्गत अधिभारों और उत्पाद मूल्य समायोजनों के माध्यम से वसूली की जानी थी। परन्तु यह स्पष्ट है कि उत्पाद मूल्य समायोजन में ऐसी वृद्धियां लागत वृद्धियों के अनुरूप नहीं थीं परिणामतः पूल, जिसकी 1988-89 के अन्त तक 9266.94 करोड़ रु. की समग्र बेशी थी, 1993-94 के अंत तक 605.87 करोड़ रु. के घाटे तक पहुंच गया।

8.5.3 पूल का प्रत्येक लेखा विशेष प्रयोजन के लिए बनाया गया था। ओ सी आर सी (1984) ने अनुशंसा की कि ओ सी सी को अलग-अलग तेल उद्योग पूल लेखाओं के लिए आवश्यकता तथा उनकी आगामी सरलीकरण की संभावना की भी आवधिक समीक्षा करनी चाहिए। जबकि पूल लेखाओं की संख्या में परिणामी रूप से इसके साथ सम्बद्ध लिपिक वर्गीय कार्य में वृद्धि के साथ वृद्धि हुई है किर भी उत्पाद मूल्य के विभिन्न घटकों में आवश्यक संशोधन/समायोजन सम्बन्धित पूल लेखाओं में नहीं किए गए हैं। परिणामस्वरूप इन पूल लेखाओं ने मूल्य संरचना में अपना प्रयोजन तथा पहचान खो दी है। इसके अतिरिक्त उत्पाद मूल्य समायोजन लेखा में तदर्थ समायोजनों द्वारा उत्पाद मूल्य पर संशोधन करते हुए मौजूदा पद्धति के अन्तर्गत ऐसा स्पष्ट रूप से पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा उत्पाद वास्तव में आर्थिक सहायता प्राप्त है और कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त है।

## उदारीकरण और पेट्रोलियम उद्योग

9.1.0 जैसाकि पूर्व में पैराग्राफ 1.1.0 में उल्लेख किया गया कि पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 1993-94 की 62.3 मि मी टन से 2003-04 में 107.9 मि मी टन तक और 2010 तक लगभग 150 मि मी ट प्रतिवर्ष तक बढ़ जाने की आशा की जाती है।

9.1.1 बढ़ती मांग को पूरा करने और आर्थिक उदारता की नीति के अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने पेट्रोलियम उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है।

9.1.2 ऊपरी क्षेत्र में ते प्रा गै नि/आ ई लि को पहले ही अन्वेषित माध्यम आकार के तेल/गैस क्षेत्रों को उत्पादन साझा करारों के अन्तर्गत ते प्रा गै नि/आ ई लि के साथ संयुक्त उद्यम में निजी क्षेत्र में विदेशी/भारतीय पार्टियों द्वारा विकास के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ लघु अन्वेषित क्षेत्रों को केवल निजी क्षेत्र द्वारा विकास के लिए पहले ही दिया जा चुका है। इन संयुक्त उद्यमों और प्राइवेट पार्टियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल का भुगतान ते प्रा गै नि/आ ई लि को प्रदत्त आकलित मूल्य (वर्तमान में रायल्टी तथा उपकर सहित 100.23 अमरीकी डालर प्रतिटन और प्रति टन निवल 55.28 अमरीकी डालर) के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों (1994-95 के दौरान तुलनीय कच्चे तेल (सऊदी अरब के परिप्रेक्ष्य में) के लिए प्रति बैरल 16.5 अमरीकी डालर की औसत दर पर प्रतिटन लगभग 121.61 अमरीकी डालर) पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन संयुक्त उद्यमों को शून्य सीमा शुल्क, अवरुद्ध रायल्टी और उपकर आदि जैसी अन्य रियायतें दी गई हैं। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को संयुक्त उद्यमों और प्राइवेट पार्टियों की तुलना में उनके बराबर सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं।

9.1.3 वर्तमान में अनुप्रवाह परिष्करण क्षेत्र में 57.4 मि मी टन की सभी क्षमता सार्वजनिक क्षेत्र में है और शोधनशालाएं संचालित मूल्यों तथा अवधारण मार्जिन के तहत प्रचालन करती हैं। मांग में अनुमानित वृद्धि को पूरा करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में क्षमता विस्तार/नयी ग्रासरूट शोधनशालाओं के लिए लैटर्स आफ इन्टेन्ट जारी किया है। इनसे प्रतिवर्ष तकरीबन 64 एम एम टी की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की आशा है जो इस प्रकार है :-

i )	सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूदा शोधनशालाओं का विस्तार	9.85 एम एम टी
ii )	सार्वजनिक क्षेत्र में नयी ग्रासरुट शोधनशालाएं	6.00 एम एम टी
iii )	निजी/संयुक्त क्षेत्र में नयी ग्रासरुट शोधनशालाएं	48.00 एम एम टी

9.1.4 ऐसा प्रतीत होता है कि परिष्करण क्षमता और 2010 तक मांग के बीच तकरीबन 30 एम एम टी का बढ़ा अन्तर होगा। यद्यपि सरकार ने प्रतिवर्ष तकरीबन 32 एम एम टी की कुल परिष्करण क्षमता के लिए निजी क्षेत्र में कुछ और शोधनशालाओं को लैटर्स आफ इन्टेन्ट जारी किया है फिर भी यह मात्र काफी प्रारम्भिक अवस्था में है।

9.1.5 पेट्रोलियम क्षेत्र में गैर विनियमन और नयी शोधनशालाओं, विशेषकर जो निजी क्षेत्र में हैं, को स्थापित करना पेट्रोलियम उत्पादों के लिए मूल्य निर्धारण नीति से निकट रूप से सम्बन्धित है। संचालित मूल्यनिर्धारण प्रक्रिया के जारी रहने का अर्थ है कि सार्वजनिक क्षेत्र में मूल्यहासित और कम लागत वाली मौजूदा शोधनशालाओं द्वारा निजी/संयुक्त क्षेत्र की अधिक लागत वाली नयी शोधनशालाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसका यह तात्पर्य भी है कि "कॉस्ट प्लस" प्रणाली की विद्यमान कमियों का जारी रहना। उसी समय, बाजार निर्धारित मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में जबकि मौजूदा कम लागत शोधनशालाएं लागतों के अनुसार नयी उच्च लागत शोधनशालाओं के कगार में थी वहीं नयी शोधनशालाएं प्रौद्योगिकी, ईंधन तथा हानि पर नियंत्रण आसवन के प्रतिफल आदि के अनुसार मौजूदा शोधनशालाओं के कगार में हो सकती है। भविष्य की खपत की प्रवृत्ति दर्शाती है कि मध्य स्तर के तथा कम स्तर के (मुख्यतया एच एस डी, एम एस और द्र पे गै) आसवन के लिए अधिक मांग होगी और बड़े उद्देश्यों की वस्तुओं (एफ ओ) के लिए कम मांग होगी। मौजूदा शोधनशालाओं द्वारा उत्पादित बड़े उद्देश्य की वस्तुओं की प्रतिशतता आधुनिक शोधनशालाओं (16%) की तुलना में अधिक (26%) होती है। जब तक कि मौजूदा शोधनशालाओं को बड़े उद्देश्यों की वस्तुओं की श्रेणी बढ़ाने और उत्पाद विनिर्देशनों में सुधार करने के लिए आधुनिक नहीं बनाया जाता तब तक निजी क्षेत्र में उनकी नयी प्रतिवस्तु या उदारीकृत परिदृश्य में आयातित उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करना उनके लिए कठिन होगा। इसका साक्ष्य स्नेहक क्षेत्र में उदारीकरण के परिणामस्वरूप पिछले कई वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र तेल कम्पनियों के स्नेहकों की बिक्री प्रमाणाओं में गिरावट से मिलता है।

9.1.6 विपणन क्षेत्र में स्थिति में कुछ फर्क है। कुछेक उत्पाद वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा आयात के लिए डिकेनालाइज किए गए हैं तथा निजी क्षेत्र द्वारा मुफ्त मूल्य निर्धारण के अन्तर्गत द्र पे गै तथा मिट्टी का तेल

और उनके समनुरूप के आयात को भी अनुमत किया गया है। अभी भी देशी रूप से उत्पादित तथा केनालाइजिंग एंजेसियों के माध्यम से आयातित पेट्रोलियम उत्पादों की बड़ी मात्रा संचालित मूल्य निर्धारण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की चार तेल कम्पनियों द्वारा विपणन की जाती है। इस प्रकार ऐसी स्थिति है जहां वही उत्पाद संचालित मूल्य निर्धारण के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा विपणन किया जाता है और बाजार निर्धारित मूल्यों पर मुक्त रूप से इसका आयात किया जाता है।

9.2.0 ल्यूब आयल बेस स्टाक (एल ओ बी एस) नेफथा, द्र पे गै, मिट्टी के तेल आदि जैसे कुछ उत्पाद यदि सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल कम्पनियों द्वारा बेचे जाते हैं तो वे संचालित मूल्य निर्धारण के अंतर्गत होते हैं। उसी समय इन उत्पादों के आयात को भी डिकेनालाइज किया गया है। अन्य मुक्त व्यापार उत्पादों के विनिर्माण में इनका उपयोग संभरक स्टाक के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए एल ओ बी एस का उपयोग स्नेहकों के विनिर्माण नेफथा का उपयोग बैंजीन के विनिर्माण और येलीन तथा द्र पे गै का उपयोग प्रोपाइलीन संभरक स्टाक (पी पी एफ एस) के विनिर्माण में किया जाता है।

9.2.1 इन उत्पादों पर सीमा शुल्क में सामान्य कमी के साथ ऐसे डिकेनालाइज किए गए उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार घटाव और आर्थिक उदारीकरण के एकदम बाद बहुत से सम्बन्धित पेट्रोलियम/पेट्रोरसायन उत्पादों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कम्पनियों और राजकोष को प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़े। ऐसा मुख्यतया इसलिए हुआ क्योंकि उदारीकरण के साथ-साथ उनके संचालित मूल्यों के उपयुक्त रूप से समायोजन के लिए अनुरूप कार्रवाई नहीं की गई थी। ऐसे दो उद्दरणों- एक ल्यूब आयल बेस स्टाक की बिक्री में छोटी तेल कम्पनियों को अदेय लाभ दूसरे अवास्तविक संचालित मूल्य निर्धारण से उत्पन्न नेफथा के तदनुरूप आयात और निर्यात को देय हानि पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 1995 की प्रतिवेदन संख्या 3 (वाणिज्यिक ) के पैराग्राफ 14.16 और 14.17 में चर्चा की गयी थी। इन्हें उपलब्ध संदर्भ के लिए वर्तमान प्रतिवेदन में अनुबंध III के रूप में शामिल किया गया है। कुछ अन्य मामलों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में संक्षेप में चर्चा की गई है :-

### 9.3 स्नेहकों का मूल्य निर्धारण और उनकी बिक्री

9.3.0 छोटी तेल कम्पनियों, जो उनका अपना बिक्री मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र थीं, द्वारा विपणन किए गए स्नेहकों का बिक्री मूल्य सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा निर्धारित बिक्री मूल्यों से काफी अधिक था। इस प्रकार बाजार की वह विशेष स्थिति थी जहां उस उत्पाद को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल

कम्पनियों द्वारा बेचे जाने पर उसे नियंत्रित उत्पाद के रूप में और छोटी तेल कम्पनियों द्वारा माना जाता था। इस विसंगति से बचने और ल्यूब क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास करने के लिए तेल मूल्य समीक्षा समिति ने अपनी जून 1991 की रिपोर्ट में मुक्त व्यापार श्रेणी के अन्तर्गत स्नेहकों की सभी श्रेणियों को रखने की अनुशंसा की थी। परन्तु सरकार ने अक्टूबर 1993 तक अनुशंसा पर कोई निर्णय नहीं लिया। उसी समय सार्वजनिक क्षेत्र तेल कम्पनियों ने मूल्य नियंत्रित स्नेहकों के सम्बन्ध में पूल लेखा से मूल्य समायोजनों का दावा जारी रखा। बेशक ओ पी आर सी के कार्यान्वयन के लिए जुलाई 1991 से मार्च 1992 तक नौ महीने की अवधि अनुमति की गई है, अप्रैल 1992 से अक्टूबर 1993 तक सरकार द्वारा निर्णय में विलम्ब के परिणामस्वरूप पूल लेखा से 482.97 करोड़ रु. का वहिर्गमन हुआ।

9.3.1 मुक्त व्यापर स्नेहकों के मामले में भी बेस आयल और योगज जैसी प्रयोज्य सामग्रियों के मूल्य निर्धारण की योजना में छोटी तेल कम्पनियों को अदेय लाभ हुआ था। ऐसा मुख्यतया इसलिए हुआ क्योंकि सितम्बर 1992 तक सरकार द्वारा लगाए गए उद्घाटन और सभी अधिभारों को हिसाब में लेते हुए बेस आयल जैसी प्रयोज्य सामग्रियों के लिए प्रमुख तेल कम्पनियों की संचालित मूल्य संरचना सीमा शुल्क सहित आयातित बेस आयल की उत्तराई के बाद लागत से अधिक थी। उदारीकृत आर्थिक नीति के शुरू होने के साथ बेस आयल का आयात डिकेनालाइज कर दिया गया और उपरोक्त अधिभारों का कोई भुगतान किए बना 1 मार्च 1992 से छोटी तेल कम्पनियां अपनी आवश्यकता के लिए आयात के लिए स्वतंत्र हो गयी। दूसरे प्रमुख तेल कम्पनियों के मामले में खाड़ी अधिभार और बजटीय अधिभार न केवल बेस आयल संघटक पर लागू होते थे बल्कि योगजों की लागत, विनिर्माण लागत और पैकेजिंग की लागत में शामिल किया जाता है, पर भी लागू होते थे जबकि छोटी तेल कम्पनी ने ये अधिभार केवल बेस आयल संघटक पर अदा किए और वह भी मात्र तब जब देशी बेस आयल का उपयोग किया गया। इसने सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा उत्पादित मुक्त व्यापार स्नेहकों को भी छोटी तेल कम्पनियों के उन्हीं उत्पादों के संदर्भ में अप्रतिस्पर्धा बना दिया।

9.3.2 ये विसंगतियां अगस्त 1993 में मंत्रालय के ध्यान में लाई गई थीं। इस सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन सम्बन्धी उपाय सरकार द्वारा अक्टूबर 1993 में निम्नलिखित द्वारा किए गए :-

- i) आयात क्षमता पर देशी ल्यूब आयल बेस स्टाक का अन्तरण मूल्य निर्धारित करना;
- ii) केवल सार्वजनिक क्षेत्र तेल कम्पनियों को एल ओ बी एस के सम्बन्ध में एस पी ई सीमित करना;
- और
- iii) मूल्य नियंत्रण से तैयार स्नेहकों के मूल्य को मुक्त करना और सभी स्नेहकों तथा ग्रीज को "मुक्त व्यापार" उत्पाद के रूप में घोषित करना।

**9.4 विनिर्माण के लिए प्रयोज्य सामग्रियों का अयथार्थ मूल्य निर्धारण और बेंजीन की बिक्री**

9.4.0 बेंजीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा विनिर्मित एक मुक्त व्यापार उत्पाद है। नेफ्था, जो देश की आवश्यकताओं से बेशी है और इसलिए अलाभकारी मूल्यों पर निर्यात किया जाता है और लोसल्फर हैवी स्टाक (एल एस एच एस) बेंजीन के विनिर्माण के लिए क्रमशः संभरक स्टाक और हैंडन होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा बेंजीन के विनिर्माण के लिए अपेक्षित एल एस एच एस और नेफ्था के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और बेंजीन का अंतिम बिक्री मूल्य संसाधन और अन्य लागतों को ध्यान में रखने के बाद तेल कम्पनियों द्वारा निश्चित किया जाता है।

9.4.1 आर्थिक उदारीकरण के भाग के रूप में, सरकार ने जुलाई 1991 से बेंजीन के अयात को डिकेनालाइज किया। तेल कम्पनियों द्वारा उत्पादित बेंजीन के मामले में नेफ्था और एल एस एच एस के मूल्य सितम्बर 1992 में सरकार द्वारा अधिभार लगाकर वृद्धि करके संशोधित कर दिए गए थे। प्रयोज्य लागतों में इस वृद्धि के साथ बेंजीन का आयात मूल्य देशी रूप से उत्पादित बेंजीन की लागत से कम हो गया। परिणामस्वरूप बेंजीन के उपभोक्ताओं ने देशी उत्पादकों से इसे खरीदने की बजाय इसका आयात करना शुरू कर दिया। चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियां अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ अपने बिक्री मूल्य बराबर नहीं कर सकीं इसलिए नवम्बर 1992 के बाद से बेंजीन की उनकी बिक्री में पर्याप्त कमी आई। मार्च 1993 से 25% से 15% तक बेंजीन के आयात शुल्क में कमी के साथ स्थिति और बिगड़ गई। जबकि बेंजीन की देशी उत्पादन क्षमता तकरीबन प्रतिवर्ष 2,20,000 टन थी, नवम्बर 1992 से अक्टूबर 1993 तक एक वर्ष के दौरान सुधार मात्र 1,17,457 टन था।

9.4.2 उपरोक्त स्थिति के कारण बेंजीन के उत्पादन में कट बैक हुआ जैसाकि नीचे की तालिका से देखा जा सकता है :-

शोधनशाला	1992-93		1993-94		(000 टन)
	प्रतिष्ठापित क्षमता	वास्तविक क्षमता	प्रतिष्ठापित क्षमता	वास्तविक क्षमता	
बी पी सी, बम्बई	85	56.7	85	22	
सी आर एल, कोचीन	87.2	61.4	87.2	44	
आई ओ सी, कोयाली	51	37.6	51	37.9	

9.4.3 इससे मूल्य वृद्धि का अवरोधन हुआ और नेफ्था की उपलब्धता में वृद्धि हुई (जिसका उत्पादन देश की आवश्यकताओं से पहले ही बेशी में है) जिसे अलाभकारी मूल्यों पर निर्यात करना पड़ा।

9.4.4 नवम्बर 1992 से अक्टूबर 1993 की अवधि के दौरान बैंजीन के आयात के लिए विदेशी मुद्रा में आयातकों द्वारा प्रदत्त औसत एफ ओ बी मूल्य प्रतिटन तकरीबन 277 अमरीकी डालर था। इसके प्रति नेफ्था के निर्यात पर तेल उद्योग द्वारा वसूल किया गया औसत मूल्य प्रतिटन तकरीबन 175.47 अमरीकी डालर था। इस प्रकार देश में आयात किए गए प्रतिटन बैंजीन के लिए विदेशी मुद्रा का निवल वहिर्गमन 101 अमरीकी डालर था। निवल वहिर्गमन वास्तव में अधिक होता यदि बैंजीन के आयात और नेफ्था के निर्यात दोनों के भाड़ा प्रभारों को हिसाब में लिया गया होता। नेफ्था, जिसे एक टन बैंजीन के लिए बेशी माना जाता है, ने प्रक्रिया पर आधारित 1.0638 टन और 1.32 टन के बीच रेंज का उत्पादन नहीं किया। बैंजीन के आयात और बैंजीन के देशी उत्पादन में कमी के कारण उत्पन्न नेफ्था की बराबर प्रमाण के निर्यात के कारण विदेशी मुद्रा का निवल वहिर्गमन, उपरोक्त कारणों के कारण, 8.756 मिलियन अमरीकी डालर और 4.358 मिलियन अमरीकी डालर (28.02 करोड़ रु. और 13.95 करोड़ रु.) के बीच रहा जो उस प्रक्रिया पर आधारित था जिससे प्रतिटन बैंजीन के लिए अपेक्षित नेफ्था की प्रमाण का निर्धारण हुआ।

9.4.5 नवम्बर 1992 और अक्टूबर 1993 के बीच तेल समन्वय समिति (ओ सी सी) पूल लेखाओं को अभ्यर्पण के लिए सरकार द्वारा लगाए गए उद्घाटन और सभी अधिभार बैंजीन के प्रत्येक टन के लिए 6419.87 रु. और 6613.04 रु. के बीच बनते थे जो नेफ्था खपत पर आधारित थे। इसके प्रति बैंजीन के प्रतिटन विनिर्माण के लिए उपयुक्त नेफ्था और ऐल एल एस एस के निर्यातों से वसूली मात्र 2136.86 रु. और 2257.03 रु. के बीच थी। इस प्रकार देशी उत्पादन में कट बैंक के कारण आयातित बैंजीन के प्रत्येक टन के लिए ओ सी सी को राजस्व हानि 4283.01 रु. और 4355.61 रु. के बीच थी। जबकि 1992-93 के दौरान देश में आयात किए गए बैंजीन के बारे में कोई स्पष्ट आंकड़े नहीं थे फिर भी 1993-94 के दौरान आयात किए गए बैंजीन की प्रमाण 1,01,600 टन तक बताई गई थी। 1993-94 वर्ष के दौरान आयातित प्रमाण पर ओ सी सी द्वारा राजस्व हानि की राशि 43.52 करोड़ रु. थी (बैंजीन का प्रतिटन 4283.01 रु. पर परिकलित)।

9.4.6 मंत्रालय ने बताया (फरवरी 1994) कि इसके कई कारण थे कि बैंजीन के आयातों में इसके डिकेनालाइजेशन के बाद अनुवर्ती वृद्धि क्यों हुई और इस तथ्य, कि अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं ने भारत में पश्च उदारीकृत बाजार में पकड़ बनाने के लिए मूल्यों में कमी की होगी, का पता नहीं लगाया। मंत्रालय ने आगे बताया कि बैंजीन की बिक्री से लाभों, यदि संभव न हो, की अन्य लाभप्रद मुक्त व्यापार उत्पादों की बिक्री पर बढ़ते हुए लाभों से तेल कम्पनियों द्वारा क्षतिपूर्ति कर दी जानी चाहिए।

9.4.7 मंत्रालय का उत्तर संतोषजनक नहीं है। मंत्रालय ने इस संभावना का पता नहीं लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं ने भारतीय बाजार में पकड़ बनाने के लिए बैंजीन के मूल्य कम किए होंगे। यह भी एक तथ्य है कि सरकार ने भी आयातित बैंजीन पर सीमाशुल्क घटाकर 40% से 25% (1992 बजट) तक और 15% (1993 बजट) तक कर दिया था। उदारीकरण की प्रक्रिया में सरकार को देशी उद्योग का भी ध्यान रखना चाहिए था खासकर जबकि बैंजीन के विनिर्माण के लिए प्रयोज्य सामग्रियों की लागतें ओ सी सी/सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। मंत्रालय का तर्क कि बैंजीन पर लाभों की हानि की अन्य मुक्त व्यापार उत्पादों की बिक्री पर बढ़ते हुए लाभों द्वारा क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए थी, भी आम बात है। किसी मामले में, बेशी नेफ्था का निर्यात किया जा रहा था।

9.4.8 परिणामी स्थिति के कारण बैंजीन के विनिर्माण में मूल्य संवर्धन और विदेशी मुद्रा के निवल वर्हांगन के बारे में मंत्रालय के उत्तर में कोई जिक्र नहीं था।

9.4.9 जबकि मंत्रालय ने पहले बताया था (अक्टूबर 1993) कि बैंजीन के विनिर्माण और बिक्री के लिए प्रयोज्य सामग्रियों का अवधार्थ मूल्य निर्धारण नहीं किया गया था, इसने नवम्बर 1993 में एक अधिसूचना जारी की जिससे बैंजीन पर सभी अधिभार समाप्त कर दिए गए और संभरक स्टाक तथा ईंधन के अंतरण मूल्यों में संशोधन कर दिया गया जिससे भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड जैसे बैंजीन के देशी उत्पादकों की कुल लागतों में प्रतिटन बैंजीन 1452.55 रु. के मार्जिन तक कमी आई थी।

9.4.10 जबकि सरकार के नवम्बर 1993 के निर्णय से उस समय मौजूद स्थिति में आंशिक रूप से सुधार हुआ फिर भी तर्कसंगत फार्मूला के आधार पर आवधिक रूप से बैंजीन के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के संदर्भ में संभरक

स्टाक के मूल्य का स्वतः समायोजन करने के लिए कोई प्रणाली नहीं बनाई गई है। यद्यपि तेल कम्पनियों द्वारा बैंजीन के उत्पादन और बिक्री में बैंजीन के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के कम होने के कारण 1994-95 में बढ़ोतरी हुई थी फिर भी इस तथ्य, कि यह देश में एक घाटे का उत्पाद है, के बावजूद बैंजीन उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। ऐसा मुख्यतया इस कारण से है कि देशी बैंजीन की लागत नेपथ्य और एल एस एच एस इन दो प्रयोज्य सामग्रियों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की बजाय इन दोनों के संचालित मूल्य से सम्बन्धित है। 87.2 टी एम टी से 210 टी एम टी तक बैंजीन क्षमता को बढ़ाने के लिए कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड की योजना भी अब विचाराधीन है।

9.5 प्रयोज्य सामग्रियों के अमितव्ययी मूल्य निर्धारण के कारण पी पी एफ एस पृथक्करण संयंत्र को रोकना

9.5.0 दि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) ने प्रोपाइलीन, जिससे आई पी सी एल अंतिम उत्पाद प्रोपाइलीन बनाता है, बनाने के लिए कम्पनी के एकमात्र ग्राहक मैसर्ज इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आई पी सी एल) को पोलीप्रोपाइलीन संभरक स्टाक (पी पी एफ एस) की आपूर्ति एवं पृथक्करण के लिए 22.50 करोड़ रु. की लागत पर मई 1991 में एक संयंत्र स्थापित किया।

9.5.1 पी पी एफ एस एक मुक्त व्यापार उत्पाद है। तथापि पी पी एफ एस के विनिर्माण के लिए संभरक स्टाक (द्र पे गै) और ईंधन (एल एस एच एस) के रूप में प्रयुक्त उत्पादों के अंतरण मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कम्पनी संसाधन और अन्य प्रयोज्य सामग्री लागतों को ध्यान में रखने के बाद पी पी एफ एस का बिक्री मूल्य निर्धारित करती है। 16 सितम्बर 1992 से पहले पी पी एफ एस (60% प्रोपाइलीन घटक) का मूल्य प्रतिटन 10,725 रु. था। सितम्बर 1992 में सरकार ने आयातों मूल्यों के साथ क्षमता आधार पर पेट्रोकेमिकल्स उपयोग के लिए पेट्रोलियम उत्पादों को लाने के लिए अधिभार लगाया। अधिभार स्ट्रीम/संभरक स्टाक और ईंधन की खपत पर आधारित उत्पादों पर एक विशेष उद्यग्रहण था। इस उद्यग्रहण के परिणामस्वरूप पी पी एफ एस का मूल्य 9 अक्टूबर 1992 से प्रतिटन 5882.59 रु. से बढ़कर प्रतिटन 16,607.59 रु. हो गया। इस वृद्धि के साथ आई पी सी एल ने प्रोपाइलीन/पोलीप्रोपाइलीन का उत्पादन करना अमितव्ययी पाया और इसलिए नवम्बर 1992 से पी पी एफ एस को उन्नत करने में रोक लगा दी।

9.5.2 स्थिति उस समय और बिंगड़ गई जब भारत सरकार ने अपने 1993-94 के बजट में आयातित प्रोपाइलीन पर 85% से 15% तक सीमाशुल्क में कमी की घोषणा की। आयातित पोलीप्रोपाइलीन की लागत में कमी आई जो घटकर प्रतिटन 10,112 रु. रह गई। यह कम्पनी को बिना किसी मार्जिन के प्रतिटन 13466.09 रु. पर देशी पी पी एफ एस की संभरक स्टाक और इंधन की मूल लागत से भी कम थी।

9.5.3 चूंकि आई पी सी एल ही पी पी एफ एस का मात्र ग्राहक था इसलिए उत्पादन को संयोषित करने के लिए बी पी सी ने प्रतिटन 2746.65 रु. तक अपना पी पी एफ एस मूल्य घटा दिया जिसके बाद मात्र आई पी सी एल ने पी पी एफ एस को बढ़ाना शुरू किया (सितम्बर 1993)। कम्पनी का पी पी एफ एस पृथक्करण संयत्र मूल्य संवर्धन करते हुए दिसम्बर 1992 से अगस्त 1993 तक निष्क्रिय पड़ा रहा।

9.5.4 मंत्रालय ने बताया कि पी पी एफ एस एक मुक्त व्यापार उत्पाद था और मुक्त व्यापार उत्पादों के मूल्य तेल कम्पनियों द्वारा बाजार परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि तेल कम्पनियां अपने लाभ अनेकों उत्पादों से अर्जित करती हैं और यदि वह लाभ पी पी एफ एस की बिक्री से संभव नहीं हो पाता तो इसकी क्षतिपूर्ति अन्य मुक्त व्यापार उत्पादों से बढ़े हुए लाभों के साथ तेल कम्पनियों द्वारा की जानी चाहिए।

9.5.5 मंत्रालय का उत्तर संतोषजनक है। यदि कोई उत्पाद पृथक रूप से लाभ नहीं प्रदान करता तो तेल कम्पनी को उत्पाद के उत्पादन में कोई प्रोत्साहन नहीं होगा क्योंकि ऐसा उस मामले में हुआ जहां 22.50 करोड़ रु. की लागत पर प्रतिष्ठापित एक संयंत्र नौ महीने के लिए निष्क्रिय पड़ा रहा परिणामस्वरूप मूल्य संवर्धन की हानि हुई।

## 9.6 रॉ पेट्रोलियम कोक का मूल्य निर्धारण

9.6.0 बरौनी, डिबोई और गुवाहाटी में दि इंडियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी) की तीन शोधनशालाएं कूड़ आयल की प्रोसेसिंग में उप उत्पाद के रूप में रॉ पेट्रोलियम कोक (आर पी सी) का उत्पादन करती हैं।

9.6.1 देश में आर पी सी की मांग इसके देशी उत्पादन से अधिक है। 31 मार्च 1992 तक आर पी सी का आयात आई ओ सी के माध्यम से केनालाइज किया गया था और आयातित एवं देशी उत्पाद को सरकार द्वारा निर्धारित संचालित मूल्य के अन्तर्गत बेचा गया था। उत्पाद शुल्क को छोड़कर उस तारीख (31 मार्च 1992) को मूल्य प्रतिटन 3198.25 रु. था। उत्पाद को 1 अप्रैल 1992 से डिकेनालाइज कर दिया गया। और कोई भी इसका आयात करने के लिए स्वतंत्र था। परन्तु संचालित मूल्य निर्धारण जारी रहा। 16 सितम्बर 1992 से देशी उत्पाद का संचालित मूल्य प्रतिटन 5335.49 रु. तक बढ़ा दिया गया था। देशी उत्पाद के मूल्य में वृद्धि के साथ अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट के कारण आयात अधिक सस्ता हो गया और आर पी सी के उपयोक्ताओं ने उत्पाद का आयात करना शुरू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप आई ओ सी शोधनशालाओं में स्टाक इकट्ठे हो गए और 31 दिसम्बर 1994 को स्टाक 1.48 लाख टन था जो 31 मार्च 1994 को 1.30 लाख टन, 31 मार्च 1993 को 0.63 लाख टन और 31 मार्च 1992 को 0.14 लाख टन के प्रति था।

9.6.2 सरकार ने 3 अगस्त 1993 से संचालित मूल्य निर्धारण से आर पी सी समाप्त कर दी। उसी तारीख को, मूल्य, जिस पर शोधनशालाओं को आर पी सी विपणन कम्पनियों को अंतरित करनी थी, में भी प्रतिटन 2125 रु. से प्रतिटन 4150 रु. तक संशोधन किया गया था। इस प्रकार संचालित मूल्य निर्धारण से आर पी सी के हटाए जाने के बावजूद तेल कम्पनियां देशी उत्पाद को बेचने में सक्षम नहीं हो सकीं चूंकि आयात शोधनशाला से विपणन कम्पनी तक अंतरण मूल्य से सस्ता था। आई ओ सी ने आर पी सी के बिक्री मूल्य में कमी की जो अगस्त 1993 में पूर्व डिग्बोई में प्रतिटन 4250 रु. प्रतिटन से 2922 रु. तक और फरवरी 1994 से पूर्व गुवाहाटी में प्रतिटन 3500 रु. तक थी तथा इसने अपने ग्राहकों को क्रेडिट भी दिया। इस प्रकार प्रातिटन 3500 रु. के मूल बिक्री मूल्य पर बेचे गए आर पी सी के प्रत्येक टन के लिए आई ओ सी की हानि 650 रु. थी। इसके साथ दिसम्बर 1994 के अंत तक संचित स्टाक 147800 टन था। संभाव्य रूप से मार्च 1994 के अंत तक 1.30 लाख टन का समस्त स्टाक दिसम्बर 1994 तक बिना बेचे पड़ा रहा। परिणामतः 23.10 करोड़ रु. का अवरोधन हुआ (प्रतिटन 1775.72 रु. के कम से कम अवधारण मूल्य पर)।

9.6.3 ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जहां एक ओर सरकार ने आर पी सी के आयात को डिकेनालाइज कर दिया वहीं दूसरी ओर इसने सितम्बर 1992 में आर पी सी का संचालित मूल्य बढ़ाकर 2137.24 रु. कर दिया जिसके परिणामस्वरूप देशी उत्पाद आयात से मंहगा हो गया। अगस्त 1993 तक विपणन कम्पनियों की

देशी आर पी सी के मूल्य निर्धारण में कोई भूमिका नहीं थी। अगस्त 1993 के बाद भी शोधनशाला से विपणन तक अंतरण मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया गया था जो कि देशी उत्पाद के विपणन के लिए मितव्ययों नहीं था। इन निर्णयों के कारण देशी उत्पाद को नहीं हटाया जा सका और माल का संचय हो गया जिसके परिणामस्वरूप शोधनशालाओं को बन्द करने की आशंका हो गई।

9.6.4 जबकि मंत्रालय ने नवम्बर 1994 में बताया कि तेल कम्पनियां अपने लाभ अनेकों उत्पादों से अर्जित करती थीं और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ निवेशित रूप से एकीकृत देशी आर पी सी मूल्यों के विचार से आर पी सी का बिक्री मूल्य तेल कम्पनी का वाणिज्यिक निर्णय था, इसने बाद में तिमाही आधार पर समायोजित किए जाने वाले एक्स.यू.एस. (खाड़ी) मूल्यों पर आधारित आर पी सी अंतरण मूल्य में संशोधन किया (मई 1995)।

१९९५ प्रसाद माधुर

नई दिल्ली

(बीरेन्द्र प्रसाद माधुर)

दिनांक :

उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

१५ मार्च १९९५

एवं अध्यक्ष लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

सि. जि. सोमैया

नई दिल्ली

(सि. जि. सोमैया)

दिनांक:

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुबन्ध ।

पेट्रोलियम उत्पादों का वर्गीकरण

I. मूल्य नियंत्रित उत्पाद

मोटर स्पिरिट (एम एस)

हाई स्पीड डीजल (एच एस डी)

एविएशन टरबाईन फ्यूल (ए टी एफ)

बढ़िया मिट्टी का तेल (एस के ओ)

द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (द्र पे गै)

नेपथ्य

मट्ठी तेल/ईंधन तेल (एफ ओ)

लो सल्फर हैवी स्टाक (एल एस एच एस)

बिटुमैन

लाइट डीजल आयल (एल डी ओ)

II. मुक्त व्यापार उत्पाद

स्नेहक

देंजीन

टोलीन

आक्सीटोल

परिष्कृत नेपथ्य

आयोमैक्स/एरोमैक्स

स्लैक वैक्स

जूट बैचिंग आयल

हैक्सेन

मिलरल टरपेनटाइन आयल (एम टी ओ)

सी3/सी4

रॉ पेट्रोलियम कोक( आर पी सी )

कैलसिनेटिड पेट्रोलियम कोक

कार्बन ब्लैक फीडस्टाक ( सी बी एफ एस )

फिनोल एक्ट्रेक्टस

प्रोपाइलीन

अनुबन्ध ॥

पूर्व परिष्करण मूल्यों की संरचना

आयातित क्रूड आयल

क्रूड आयल का पूलड

देशी क्रूड

एफ ओ बी मूल्य

आयल

+

भाड़ा

+

समुद्री हानि

+

बीमा

+

घाट शुल्क

+

अनुषंगी शुल्क

=

क्रूड की सुपुर्दग्गी लागत

+

परिष्करण लागत (रसायन, उत्प्रेरक एवं उपयोगिता, उपभोज्य, वेतन एवं पारिश्रमिक,

मरम्मत एवं रखरखाव/उपरिव्यय, मूल्यहास आदि)

+

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

=

क्रूड थूपुट का प्रतिटन अवधारण मूल्य

X

मानक थूपुट

विभाजित द्वारा

मानक उत्पाद X प्रत्येक उत्पाद का अक्षांक

X

=

उत्पाद का प्रतिटन अवधारण मूल्य

उद्योग आधार पर प्रति उत्पाद के लिए आंका गया औसत अवधारणा मूल्य + 25 रु.

=

पूर्व परिष्करण मूल्य

खुदरा मूल्य की संरचना

पूर्व परिष्करण मूल्य

+

सीमा/उत्पाद शुल्क

+

विपणन मार्जिन

+

अधिभार

उत्पाद मूल्य समायोजन

=

परिष्करण स्थान पर पूर्व भंडारण स्थान मूल्य

+

आर पी ओ प्रभार/एम एस/एच एस डी के लिए अधिभार

=

मुक्त सुपुर्दगी जोन के अन्दर पूर्व खुदरा आउटलैट मूल्य

(भाड़े और स्थानीय उद्ग्रहण को छोड़कर)

#### 14.16 छोटी तेल कम्पनियों को अदेय लाभ

दि इंडिया आयल कारपोरेशन लिमिटेड 29 फरवरी 1992 तक ल्यूब बेस आयल के आयात के लिए एक मात्र केनलाइजिंग एजेंट था। प्रचलित संचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली के अनुसार देशी ल्यूब बेस स्टाकों की आयातित बेस आयल (सीमाशुल्क सहित) और अंतरण मूल्य (पूर्व परिष्करण मूल्य, शुल्क और अधिभार) की वास्तविक उतराई के बाद लागत के बीच अन्तर को तेल समन्वय समिति द्वारा संचालित और रखे गए तेल उद्योग पूल लेखाओं से दावा करने के लिए अनुमति किया गया था।

आर्थिक उदारीकरण नीति के अन्तर्गत ल्यूब बेस आयल का आयात पहली मार्च 1992 से डिकेनालाइज कर दिया गया था और बाजार मुदा की दर पर ल्यूब बेस आयल के आयात की अनुमति दी गई थी। तथापि वास्तविक प्रथा में, दि इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने केनलाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करना जारी रखा और आयातों के लिए वास्तविक ऊंची उतराई के बाद की लागत की बजाय कम अंतरण मूल्य पर निजी क्षेत्र में छोटी तेल कम्पनियों को आयातित ल्यूब बेस आयल मेज दिया।

ऐसे आयातित ल्यूब बेस आयल (एच VI-150) जो अप्रैल 1992 से अगस्त 1992 तक की अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर उपयुक्त ल्यूब बेस आयल था, का औसत मूल्य प्रतिटन 10,379 रु. था जिसके लिए उतराई के बाद की लागत प्रतिटन 24,120 रु. बनती थी। इसके प्रति सार्वजनिक क्षेत्र में एक प्रमुख तेल कम्पनी से निजी क्षेत्र में एक छोटी तेल कम्पनी को बिक्री के लिए निर्धारित संचालित अंतरण मूल्य मात्र प्रतिटन 17,227 रु. था। अवधि के दौरान 18,486 टन की कुल प्रमाणा छोटी तेल कम्पनियों को बेची गयी थी जिसमें तेल उद्योग पूल लेखा से मूल रूप में उनको दी गई और अन्ततः उपभोक्ता को प्रेषित की गई 12.74 करोड़ रु. की अवाञ्छित आर्थिक सहायता अन्तर्ग्रहित थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संचालित अंतरण मूल्य को युक्तियुक्त बनाने को लिए कोई समयानुसार कार्रवाई नहीं की गई थी।

प्रमुख तेल कम्पनियों से छोटी तेल कम्पनियों को आपूर्त किए गए ल्यूब बेस आयल (एच VI) का अंतरण मूल्य 16 सितम्बर 1992 से प्रति के एल 21,404 रु. (प्रतिटन 23,844 रु.) तक संशोधित कर दिया गया। प्रति के एल 5940 रु. (प्रतिटन 6617 रु.) के समरूप अधिभार के उद्ग्रहण द्वारा अंतरण मूल्य के संशोधन के साथ उस समय आयातों की उतराई के बाद लागत से देशी ल्यूब बेस स्टाक का मूल्य अधिक हो गया। इस प्रकार संशोधित अंतरण मूल्य पर देशी ल्यूब बेस स्टाक को खरीदने की बजाय ल्यूब बेस आयल का आयात अधिक आकर्षक रहा। परिणामस्वरूप प्रमुख तेल कम्पनियों की शोधनशालाओं में ल्यूब बेस स्टाक की बिक्री न की गई प्रमाणा इकट्ठी हो रही थी जिन पर भारी वहन लागतें लग रही थीं और स्टाक को हटाने की

समस्या के कारण उत्पादन प्रक्रिया में बाधा डालने का डर था। इंडियन आयल कारपोरेशन की ल्यूब बेस स्टाक की मालसूची अप्रैल 1992 में 37,800 टन से बढ़कर अप्रैल 1993 में 58,200 टन हो गयी और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम की अप्रैल 1992 में 20,758 टन से बढ़कर अप्रैल 1993 में 44,035 टन हो गई।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 1993) :

"नयी आयात निर्यात नीति की घोषणा पर ल्यूब आयल बेस स्टाक के वैकल्पिक स्रोत का पता लगाना छोटी तेल कम्पनियों के लिए तत्काल संभव नहीं था। मार्च 1992 के दौरान सरकारी नीति की घोषणा पर ल्यूब आधारित आयल स्टाक की वास्तविक प्राप्ति से पहले इस उत्पाद के संभाव्य आपूर्तिकर्ताओं से सम्पर्क करने के लिए उनको इकट्ठा करने के लिए उन्हें उपाय करने पड़े थे। इस प्रकार छोटी तेल कम्पनियों द्वारा ऐल औ बी एस का आहरण तब तक अनुमत किया गया जब तक कि आयात के प्रति वैकल्पिक व्यवस्था स्वयं ही शीघ्रातिशीघ्र नहीं की गई।" 16 सितम्बर 1992 के बाद मौजूद स्थिति, जबकि उद्घाटन के परिणामस्वरूप संचालित मूल्यों से आयात सस्ता हो गया, के सम्बन्ध में मंत्रालय ने बताया कि " 1992-93 के दौरान बिक्री में कमी छोटी तेल कम्पनियों/निजी पार्टियों, जिन्होंने स्वयं सीधे ही आयात करना शुरू किया, को बेस आयल की बिक्री बंद करने के कारण रही। इसलिए एक विशेष तारीख को मालसूची संरचना में वृद्धि के कारण, जैसाकि अलग तेल कम्पनी द्वारा लेखापरीक्षा द्वारा निर्दिष्ट किया गया, अंतरण मूल्य में वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं थे।"

मंत्रालय के उत्तर से इस तथ्य को नहीं बदला गया कि छोटी तेल कम्पनियों/निजी पार्टियों ने डिकेनालाइजेशन के बाद भी संचालित अंतरण मूल्य पर प्रमुख तेल कम्पनियों से बेस आयल का आहरण जारी रखा तथा एक बार संचालित मूल्य में वृद्धि हुई तो उन्होंने आयात का सहारा लिया जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने प्रमुख तेल कम्पनियों के बेस स्टाक इकट्ठा हो गया। एक बार ल्यूब बेस आयल के आयात के डिकेनालाइजेशन और उदारीकरण के बाद छोटी तेल कम्पनियों/प्राइवेट पार्टियों को अदेय लाभ उचित समय पर संचालित मूल्य को अपनाने में विलम्ब का परिणाम था।

#### 14.17 नेपथा का संचालित मूल्य

नेपथा देश में सार्वजनिक क्षेत्र की शोधनशालाओं में उत्पादित किया जाता है और तीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों अर्थात् इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी ऐल) द्वारा इसका विपणन किया जाता है। यह नेपथा संचालित मूल्य निर्धारण के अध्यधीन होता है और मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेपथा का मूल्य संचालित मूल्य निर्धारण के अध्यधीन होता है और मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उर्वरक उत्पादन से इतर

के लिए उपयुक्त नेफथा का मूल्य 16 सितम्बर 1992 से प्रतिटन 6075.69 रु. पर निर्धारित किया गया था। यह निर्धारण उस समय मौजूदा आयात क्षमता मूल्य पर निर्धारित था।

नेफथा का उत्पादन देश की आवश्यकता से बेशी होता है। 1992-93 और 1993-94 वर्षों के दौरान निर्यात क्रमशः 1.518 मिलियन टन और 1.620 मिलियन टन थे।

दिसम्बर 1992 तक नेफथा का आयात, यदि कोई हो, आई ओ सी के माध्यम से केनालाइज किया जा रहा था। दिसम्बर 1992 में भारत सरकार ने अपना आयात डिकेनालाइज किया और वास्तविक उपयोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं के लिए आयात की अनुमति दी गई थी।

सितम्बर 1992 से लेकर नेफथा का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य गिर रहा है। मूल्य, जो सितम्बर 1992 में प्रतिटन तकरीबन 180 अमरीकी डालर था जनवरी 1993 में प्रतिटन तकरीबन 162 अमरीकी डालर तक और जनवरी-मार्च 1994 में प्रतिटन तकरीबन 115 अमरीकी डालर तक गिर गया। तथापि देशी रूप से उत्पादित नेफथा के संचालित मूल्य में कोई संशोधन सरकार द्वारा नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप डिकेनालाइजेशन का लाभ उठाते हुए सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों में वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा नेफथा का प्रत्यक्ष आयात किया गया क्योंकि आयातित नेफथा देशी उत्पाद से सस्ता था। इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी, ने बरोड़ा में प्रतिटन 5701 रु. की सुपुर्दगी लागत पर मार्च 1994 में 5000 टन का आयात किया। उन्होंने आगे अप्रैल/मई 1994 में 35000 टन का आयात किया (प्रतिटन 5796 रु. पर 10000 टन और प्रतिटन 6300 रु. पर 25000 टन)। इन आयातों की औसत लागत प्रतिटन 190 अमरीकी डालर था। उसी समय जनवरी-मार्च 1994 के दौरान देशी नेफथा के 522413 टन के आयात में आई ओ सी द्वारा वसूल किया गया औसत मूल्य प्रतिटन 114 अमरीकी डालर था। कोयाली और कांडला पत्तन पर आई ओ सी शोधनशाला से परिवहन के लिए प्रतिटन 14 अमरीकी डालर की परिवहन लागत को अनुमत करने के बाद निवल वसूली मात्र प्रतिटन 100 अमरीकी डालर थी।

इस प्रकार जबकि एक ओर एक सा क्षेत्र डिस्ट्रैस मूल्यों पर भजबूर होकर उत्पाद का निर्यात कर रहा था वहीं दूसरी ओर एक अन्य सा क्षेत्र काफी अधिक मूल्यों पर उत्पाद का आयात कर रहा था। यदि मार्च-मई 1994 के बीच आई ओ सी एल द्वारा आयातित नेफथा का 40,000 टन जनवरी-मार्च 1994 के दौरान आई ओ सी द्वारा वसूल किए गए औसत मूल्य पर आधारित की बजाय आई ओ सी से अधिप्राप्त किया गया होता तो तकरीबन 11.52 करोड़ रु. की आई पी सी एल को बचत हो सकती थी।

विदेशी मुद्रा के सम्बन्धित निर्गम और हानि के अलावा इस प्रकार की स्थिति के परिणामस्वरूप भी उस उत्पाद के परिहार्य प्रति संचरणों द्वारा पतन सुविधाओं और रेलवे पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त देश में आयात किए जा रहे उत्पाद के प्रति निर्यातित उत्पाद की संभावना का पता नहीं लगाया जा सकता।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 1994) कि पेट्रोलियम उत्पादों के देशी मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ सख्ती से तुलना योग्य नहीं हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में नेफथा के मूल्य तेजी से उतार चढ़ाव के अध्यधीन हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर नेफथा की समस्त बिक्री प्रमाण के मूल्य निर्धारण से तेल पूल लेखे को अधिक हानियां हुई होगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 1993-94 के दौरान नेफथा का निर्यात 16,20,000 टन रहा है और पेट्रोरसायन इकाइयों को बिक्री 11,00,000 टन थी तथा पेट्रोरसायन इकाइयों द्वारा नेफथा का आयात 11,00,000 टन था तथा इस अवधि के दौरान पेट्रोरसायन इकाइयों द्वारा नेफथा का आयात मात्र 1,38,000 टन सूचित किया गया है जो कि निर्यात और बिक्री की प्रमाणाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है। सितम्बर 1992 में पेट्रोलियम उत्पादों के संचालित मूल्यों में वृद्धि उस समय प्रचलित आयात सदृश मूल्य पर आधारित थी। जबकि मंत्रालय तेल पूल लेखे की हानि के बारे में सम्बन्धित है इसने हो चुकी हानि को देश के प्रति विवादित नहीं बनाया है। मंत्रालय ने कम मूल्य पर बेचे गए निर्यात पार्सल, जो अधिक मूल्य पर वापिस आया, की संभावना पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

## प्रयुक्त संकेताक्षरों की सूची

### I. संस्थाओं के नाम

ए ओ डी	असम आयल डिवीजन (आई ओ सी)
बी आर पी एल	बोगाईगांव रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
बी पी सी	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
सी आर एल	कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड
एफ आई सी सी	उर्वरक उद्योग समन्वय समिति
एच पी सी	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
आई बी पी	आई बी पी कम्पनी लिमिटेड
आई ओ सी	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड
आई पी सी एल	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड
एम आर एल	मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड
ओ सी सी	तेल समन्वय समिति
ओ आई डी बी	तेल उद्योग विकास बोर्ड
ओ आई एल	आयल इंडिया लिमिटेड
ओ एन जी सी	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड

### II. पेट्रोलियम उत्पाद

एफ ओ	भट्ठी तेल/ इंधन तेल
एच एस डी	हाई स्पीड डीजल आयल
एल ओ बी एस	ल्यूब आयल बेस स्टाक
एल पी जी	द्वीकृत पेट्रोलियम गैस
एन एस एच एस	लो सल्फर हैवी स्टाक
एम एस	मोटर स्पिरिट
आर पी जी	रॉ पेट्रोलियम कोक
पी पी एफ एस	पोली प्रोपाइलीन फीडस्टाक

### III. अन्य

ए पी एम	संचालित मूल्य निर्धारण प्रक्रिया
ए पी पी	वास्तविक उत्पाद नमूना
सी ई	नियोजित पूँजी
सी एंड एफ	लागत एवं भाडा समायोजन लेखा (एक पूल लेखा)
सी ओ पी ई	कूड़ आयल प्राइस इक्पुलाइजेशन एकाउंट (एक पूल लेखा)
ई डी	उत्पाद शुल्क
एफ एस पी	भाड़ा अधिभार पूल लेखा (एक पूल लेखा)
आई पी आर	उद्योग निष्पादन समीक्षा किलोलीटर
के एल	किलो लीटर
एल ई आर एम एस	उदारीकृत मुद्रा दर प्रबन्धन योजना
एम एम टी	मिलियन मीट्रिक टन
एम टी	मीट्रिक टन
एन डब्ल्यू	निवल मूल्य
ओ सी आर सी	तेल लागत समीक्षा समिति
ओ पी सी	तेल मूल्य समिति
ओ पी आर सी	तेल मूल्य समीक्षा समिति
पी पी ए	उत्पाद मूल्य समायोजन लेखा (एक पूल लेखा)
एस पी ई	बिक्री योजना हकदारी
एस पी पी	मानक उत्पाद नमूना
टी एम टी	हजार मीट्रिक टन
टी पी डी	टन प्रतिदिन

L



